



Accurate. Lethal. Reliable.



म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड

MUNITIONS INDIA LIMITED

A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
MINISTRY OF DEFENCE



1ST ANNUAL REPORT 2021-22



विषय सूची

कार्पोरेट ओवरव्यू

02	अध्यक्ष का संदेश
06	कार्पोरेट सूचना
09	निदेशक मंडल
13	हमारे बारे में
14	एमआईएल फ़ूटप्रिंट
16	उत्पाद प्रोफ़ाइल और आधुनिकीकरण
22	मुख्य उपलब्धियाँ
26	प्रमुख घटनाएँ
29	प्रथम वार्षिक आम बैठक की सूचना

वैधानिक रिपोर्ट

30	निदेशकों की रिपोर्ट
56	कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (अनुबंध- I)
60	सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट (अनुबंध- II)
65	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट
72	कार्पोरेट प्रशासन पर अनुपालन प्रमाण पत्र
73	व्यापार आचार संहिता और नैतिकता के लिए प्रमाण पत्र

वित्तीय विवरण

74	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
108	महालेखानियंत्रक की टिप्पणी
111	महालेखानियंत्रक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब
113	तुलन पत्र
116	लाभ और हानि का विवरण
117	नकदी प्रवाह का विवरण
119	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण
120	वित्तीय विवरणों की टिप्पणी



"सशस्त्र बलों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण युद्धक्षेत्र गोला-बारूद से लैस कर प्रतिस्पर्धा में बढ़त प्रदान करना।"



VISION



MISSION

गोला-बारूद क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया पहल का प्रमुख संरक्षक बनना। हमारी रक्षा और मातृभूमि सुरक्षा एजेंसियों के सबसे विश्वसनीय और पसंदीदा भागीदार के रूप में घरेलू बाजार में नेतृत्व स्थापित करना और बनाए रखना और समूह को एक अंतरराष्ट्रीय वर्ग के गोला-बारूद वित्तिर्माण में विकसित करना। मुद्रा के लिए बेहतर मूल्य प्रदान करके और हितधारकों (स्टेकहोल्डर) की अपेक्षाओं को पूरा करके म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ब्रांड को बनाना और उसे मजबूत करना।

वैश्विक दक्षताओं के साथ एक शिक्षण संगठन बनना, जो रचनात्मकता और नवाचार के लिए प्रतिबद्ध हो।



अध्यक्ष का संदेश



मुझे म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) के निदेशक मंडल की ओर से, 17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए एमआईएल की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर, पूर्ववर्ती ओएफवी के पुनर्गठन के फलस्वरूप नवगठित एमआईएल का संचालन 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ। गठन के समय, एमआईएल की 12 उत्पादन इकाइयों और 3 गैर-उत्पादन इकाइयों की जनशक्ति 23,620 कर्मचारियों से अधिक थी। सरकार ने एमआईएल के कॉर्पोरेट कार्यालय को पुणे में स्थापित करने का निर्णय लिया। जब कंपनी ने कार्य करना शुरू किया तो हम सबके मन में कार्य भार की स्थिरता, व्यवहार्यता एवं उपलब्धता को लेकर काफी आशंकाएं थी। 1 अक्टूबर 2021 को जो हमने एक नई यात्रा शुरू की है, उसमें सरकार ने हमें अगले पांच वर्षों के लिए समुचित वर्कलोड दिया है। हमें रक्षा सेनाओं से 23,954 करोड़ रुपये से अधिक की आपूर्ति का आदेश प्राप्त हुआ है जिसे अगले पांच वर्षों में पूरा करना है।

कोई भी संक्रमण चरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और नई व्यावसायिक रणनीतियों की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ चुनौतियाँ नई लेखा प्रक्रिया, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, स्टोर खरीद प्रक्रिया, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन में वृद्धि आदि को अपनाता था। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि एमआईएल ने अपने सामूहिक प्रयासों और एमआईएल परिवार के टीम वर्क के साथ इन चुनौतियों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

1 अक्टूबर 2021 को विभिन्न निर्माणियों में वर्क लोड की स्थिति समान रूप से नहीं थी। स्माल आर्म्स अम्युनिशन (AFK, OFV, OFI) और हाई कैलिबर अम्युनिशन (OFCH, OFBL, OFDR, CFA) के लिए वर्क लोड इन निर्माणियों की पूरी वर्क फोर्स के अनुसार पर्याप्त नहीं था। हमारे सामने तत्काल चुनौती इन निर्माणियों के लिए वर्क लोड को देना था। कॉर्पोरेट कार्यालय की टीम निर्यात बाजार सहित ग्राहक आधार का विस्तार करने के लिए पहले दिन से ही सक्रिय हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के सर्वेक्षण और इसके वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर, एमआईएल ने पहले चार महीनों में ही 600 करोड़ रुपये से अधिक के निर्यात आदेश प्राप्त किए, जिससे इन निर्माणियों को बड़ी राहत मिली है। ऑर्डर बुक की स्थिति में सुधार के प्रयासों की निरंतरता के कारण हमें भरपूर लाभ हुआ। आज एमआईएल को स्थापित हुए केवल एक वर्ष ही हुआ है और हमने 1500 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात आदेश प्राप्त कर लिया है। हमारी यह यात्रा अभी भी जारी है।



गोला बारूद के उत्पादन के लिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज हैं – कौशल एवं बुनियादी ढांचा। हालांकि हमें अपनी समर्पित, योग्य और कुशल वर्क फोर्स पर गर्व है, लेकिन अपेक्षित बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। आयुध निर्माणी नालंदा में बीएससीएस के विनिर्माण के लिए, कुछ आवश्यक संयंत्रों की खरीद पर निर्णय विभिन्न कारणों से पिछले एक दशक से अधिक समय से लंबित था। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि अपनी स्थापना के पहले चार महीनों के दौरान, एमआईएल ने इन बहुप्रतीक्षित संयंत्रों के लिए खरीद आदेश दिए हैं और इन्हें मार्च 2024 तक प्राप्त करने की योजना है। भविष्य में कंपनी के उत्पाद प्रोफाइल के आधार पर, सिंगल वेस प्रोपेलेंट की आवश्यकता में काफी वृद्धि होगी; तदनुसार, प्लांट से संबंधित खरीद मामला, जो पिछले कई वर्षों से लंबित था, को भी अंतिम रूप दिया गया है और अप्रैल 2024 तक भंडारा को प्लांट उपलब्ध कराने की योजना है। बाजार के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, कॉर्पोरेट कार्यालय की टीम ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों बाजारों में विभिन्न प्रकार के अम्युनिशन की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। इसके आधार पर कुछ अन्य संयंत्रों के आधुनिकीकरण और क्षमता बढ़ाने की भी योजना तैयार की गई है।

आज के प्रतिस्पर्धी कारोबारी वातावरण में नए उत्पादों का विकास सफलता की कूजी होने जा रहा है। इसके लिए, एमआईएल ने तकनीकी जानकारी के आदान-प्रदान के लिए शैक्षणिक संस्थानों और भारतीय उद्योग के साथ विभिन्न समझौते किए हैं। इस अवधि के दौरान, एमआईएल ने निम्नलिखित प्रमुख अम्युनिशन का उत्पादन सफलतापूर्वक स्थापित किया है:

पिनाका एक्सटेन्डिड रेंज रॉकेट

पिनाका डीपीआईसीएम रॉकेट

ग्रेनेड 40 m.m. विभिन्न वर्जन -

मल्टी मोड हेंड ग्रेनेड

155 m.m. के लिए फ्यूज पीडीएम 557

एरियल बम 500 कि.ग्रा. इत्यादि।

मुझे आपको यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि एमआईएल को घरेलू और विदेशी ग्राहकों से उपरोक्त अम्युनिशन के आदेश मिलने शुरू हो गए हैं।

मानव संसाधन किसी भी संगठन की अमूल्य संपत्ति है और एक कुशल, प्रशिक्षित एवं प्रेरित वर्कफोर्स अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूंकि हम एक विशिष्ट प्रौद्योगिकी क्षेत्र - "गोला बारूद उत्पादन" में काम करते हैं, इस क्षेत्र में मानव संसाधन को विकसित किया जाता है। तदनुसार, एमआईएल के अनुरोध पर, आईआईटी मद्रास ने सितंबर 2022 से अम्युनिशन प्रौद्योगिकी में एम.टेक. पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिसमें इस वर्ष 10 अभ्यर्थियों को प्रायोजित किया गया है। यह पाठ्यक्रम कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए है। इसी तरह, एनएडीपी ने रक्षा उत्पादन प्रबंधन में पीजीडीएम पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एआईसीटीई से अनुमति प्राप्त की है, जिसमें कंपनी इस विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए अपने अभ्यर्थियों को प्रायोजित करेगी।

एमआईएल के अधीन कार्यरत एक अन्य प्रमुख संस्थान आ.नि.शि.संस्थान, खमरिया भी इस दिशा में कार्य कर रही है और इसी तरह के पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ बातचीत कर रही है। एमआईएल ने अपने कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित किया है और वर्ष के दौरान 2000 से अधिक कर्मचारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त किया है।



निगमीकरण के पश्चात, निर्माणियों को उत्पादों की गुणवत्ता के लिए पूरी जिम्मेदारी दी गई है। यह हमारे पास अपनी सक्षमता और सामर्थ्य को साबित करने का एक बड़ा अवसर है। तदनुसार गुणवत्ता नियमावली प्रकाशित की गई है जिसके माध्यम से एमआईएल की सभी निर्माणियों में एक समान गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपनी प्रतिबद्धता के साथ, आप हमारे सम्मानित ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि के लिए इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में सक्षम होंगे।

उत्पादन, नए उत्पादों के विकास, ऑर्डर बुक की स्थिति, उत्पादकता, सुरक्षा आदि के क्षेत्रों में कर्मचारियों की भागीदारी के लिए एमआईएल कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है। टीम एमआईएल को प्रेरित करने और इसके सदस्यों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को मान्यता प्रदान करने के लिए, नई पुरस्कार प्रणाली भी शुरू की गई है।

कई कंपनियां दुनिया को बदलने की इच्छा रखती हैं। लेकिन बहुत कम के पास आवश्यक सभी तत्व जैसे - प्रतिभा, संसाधन और दृढ़ता होती है। मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पास यह तीनों चीजें प्रचुरता में उपलब्ध है। हम पहले भी इसे कई बार साबित कर चुके हैं। आइए हम सभी मिलकर इस संस्थान का पुनर्निर्माण करें।

निदेशक मंडल और कंपनी के सभी अधिकारियों की ओर से, मैं माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्टजी को उनसे मिले अपार समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ। कंपनी के कामकाज में समर्थन और विश्वास के लिए, मैं डॉ. अजय कुमार, रक्षा सचिव, भारत सरकार का भी हृदय से आभारी हूँ। मैं श्री संजय जाजू, अति. सचिव/डीपी, रक्षा मंत्रालय को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने एमआईएल की यात्रा के विभिन्न चरणों में आई चुनौतियों से उबरने में हमारा मार्गदर्शन किया है। मैं श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव, संयुक्त सचिव (एलएस), रक्षा मंत्रालय और डीडीपी के अन्य अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने निरंतर मार्गदर्शन के माध्यम से एमआईएल का समर्थन किया है।

मैं बोर्ड में अपने सम्मानित सहयोगियों और एमआईएल के सभी कर्मचारियों के साथ-साथ कंपनी के अन्य स्टैकहोल्डरों को भी उनके बहुमूल्य समर्थन और कंपनी को किए गए सहयोग के लिए धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ।

(रवि कान्त)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



कॉर्पोरेट सूचना

निदेशक मंडल

श्री रवि कान्त
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री देवाशीष त्रैनर्जी
निदेशक / मानव संसाधन

श्री सुशान्ता कुमार राउत
निदेशक / ऑपरेशन

श्री विवेक चंद्र वर्मा
निदेशक / वित्त

(दिनांक 01.10.2021 से 20.05.2022 तक)

श्री प्रकाश अग्रवाल
निदेशक / वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी
दिनांक 14.06.2022

मुख्य सतर्कता अधिकारी
श्री महेश चन्द्र

श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव
संयुक्त सचिव (एलएस)
सरकारी नामांकित निदेशक
(दिनांक 30.11.2021 से)

कंपनी संचिव

श्री ई जे पॉल
(दिनांक 11.07.2022 से)

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स ए. के. रस्तोगी एण्ड एंथ्रोपिण्ट्स
राजियाबाद

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स पी जी भागवत
पुणे

मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक

श्री अजय कुमार सिंह
खमरिया, जबलपुर

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया



शाखा लेखा परीक्षक

मेसर्स खिरे खांडेकर एण्ड किलोस्कर
चाटई एकाउंटेंट, पुणे

मेसर्स एल. के. महेश्वरी एण्ड कंपनी
चाटई एकाउंटेंट, जबलपुर

मेसर्स सामी एण्ड राजू
चाटई एकाउंटेंट, तिरुचिरापल्ली

मेसर्स नितीन अलशी एण्ड एसोसिएट्स
चाटई एकाउंटेंट, नागपुर

मेसर्स मिश्रा बघाई एण्ड एसोसिएट्स
चाटई एकाउंटेंट, संबलपुर

मेसर्स एम.के. सिंह एण्ड कंपनी
चाटई एकाउंटेंट, पटना

मेसर्स एस.पी. सी. एम. एण्ड एसोसिएट्स
चाटई एकाउंटेंट, पुणे

मेसर्स ठक्कर एण्ड संचानी
चाटई एकाउंटेंट, कोयंबतूर

मेसर्स ए. पी. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चाटई एकाउंटेंट, नागपुर

मेसर्स एस.पी.ए.एन. एण्ड कंपनी
चाटई एकाउंटेंट, चन्द्रपुर

मेसर्स एम ए के के एस एण्ड कंपनी
चाटई एकाउंटेंट, होशंगाबाद

मेसर्स बडाले महाले एण्ड कंपनी
चाटई एकाउंटेंट, जळगांव



ईकाइयों के विभागाध्यक्ष (दि.14/03/2023 से)

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की उत्पादन ईकाइयां

श्री संजय हजारी
महाप्रबंधक
गोला बारूद निर्माणी खडकी, पुणे
श्री पंकज गोयल
महाप्रबंधक
कार्डाईट निर्माणी अरवतकाडु
डॉ. अब्दुल समद खान
महाप्रबंधक
अति विस्फोटक निर्माणी, खडकी, पुणे
श्री एन.के. अग्रवाल
महाप्रबंधक
हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी तिरुचिरापल्ली
श्री पी. के. दास
महाप्रबंधक
आयुध निर्माणी बोलंगीर
श्री पी. के. मेखाम
महाप्रबंधक
आयुध निर्माणी भंडारा
श्री बिजॉय कुमार
महाप्रबंधक
आयुध निर्माणी चांदा
श्री संजीव गुप्ता
वरिष्ठ महाप्रबंधक
आयुध निर्माणी देहरोड
श्री एस.पी. शेन्द्रे
महाप्रबंधक
आयुध निर्माणी इटारसी
श्री अशोक कुमार
महाप्रबंधक
आयुध निर्माणी खमरिया
श्री एम.एन. हुलदर
महाप्रबंधक
आयुध निर्माणी नालंदा
श्री प्रकाश चन्द्र नंदा
महाप्रबंधक
आयुध निर्माणी वरणागांव

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की गैर उत्पादन ईकाइयां

श्री डी.सी. श्रीवास्तव
महाप्रबंधक
राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबाहरी
श्री ज्ञानेश्वर त्यागी
महाप्रबंधक
आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान खमरिया
श्रीमती जे. वी. ठाकुर
प्रभारी अधिकारी
एम.आई.एल. क्षेत्रीय संरक्षा नियंत्रणालय, खडकी पुणे



पंजीकृत कार्यालय

गोला बारूद फैक्टरी, खडकी, पुणे,
महाराष्ट्र-411 003
CIN No.U29190PN2021GOI203505

कॉर्पोरेट कार्यालय

दूसरी मंजिल, न्याति यूनिटी, नगर रोड, यरवदा, पुणे-411 006
020-67080400
mil-pune@munitionsindia.in <https://munitionsindia.in>

एमआईएल की उत्पादन इकाइयां

1. गोला बारूद फैक्टरी खडकी
पुणे, महाराष्ट्र -411003
2. कौंडाइट फैक्टरी, अरुवनकाडु
अरुवनकाडु- 643202, तमिलनाडु
3. अति विस्फोटक निर्माणी खडकी
पुणे, महाराष्ट्र -411003
4. हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी
तिरुचिरापल्ली - 620025, तमिलनाडु
5. आयुध निर्माणी, भंडारा
भंडारा - 441906, महाराष्ट्र
6. आयुध निर्माणी ब्रह्माल,
ब्रह्माल,बोलंगीर - 767070, उड़ीसा
7. आयुध निर्माणी, चांदा
चांदा-442501, महाराष्ट्र
8. आयुध निर्माणी, देहूरोड
पुणे- 412101, महाराष्ट्र
9. आयुध निर्माणी, इटारसी
इटारसी- 461122, मध्य प्रदेश
10. आयुध निर्माणी, खमरिया
जबलपुर - 482005, मध्य प्रदेश
11. आयुध निर्माणी, नालंदा
राजगीर - 803121, बिहार
12. आयुध निर्माणी, वरणगांव
वरणगांव- 425308

एमआईएल की गैर उत्पादन इकाइयां

1. आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान
खमरिया, जबलपुर - 482005, मध्य प्रदेश
2. राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी
अंबाझरी, नागपुर - 440021
3. क्षेत्रीय संरक्षा निबंधालय
खडकी, पुणे- 411003 महाराष्ट्र





निदेशक मंडल



श्री रवि कान्त, भा.आ.नि.से.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री रविकांत प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर योग्यता के साथ एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्हें रक्षा उत्पादन उद्योग में 35 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वह वर्ष 1987 में सहायक कार्य प्रबंधक के रूप में यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के माध्यम से भारतीय आयुध निर्माणियों में शामिल हुए और आगे बढ़े। तब से इस यात्रा के दौरान, उन्होंने 2 दशकों से अधिक समय तक गोला-बारूद (विस्फोटक और हार्डवेयर दोनों) और आयुध के उत्पादन और नियोजन में विभिन्न क्षमताओं में काम किया। उन्होंने 5 वर्षों के लिए सचिव/आयुध निर्माणी बोर्ड के रूप में कार्य किया है। वह ओएफवी में विभिन्न हथियार प्रणालियों और गोला-बारूद के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। उन्होंने प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए रूस, इजराइल, बेल्जियम, इटली, ब्राजील, फ्रांस, यूएस, यूके आदि में रक्षा निर्माण कारखानों का दौरा किया है।

उन्होंने नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम किया है। इस अवधि के दौरान वे भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और नौसेना प्रणालियों के पुंजी अधिग्रहण, तीनों सेवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के लिए जिम्मेदार थे। इस अवधि के दौरान, वे सामरिक भागीदारी मॉडल के निर्माण में सक्रिय रूप से जुड़े रहे।

उन्होंने अगस्त 2019 से सितंबर 2021 तक आयुध निर्माणी खमरिया, जबलपुर के महाप्रबंधक के रूप में काम किया। यह कारखाना भारत का सबसे बड़ा कारखाना है जो सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद के उत्पादन में लगा हुआ है।

श्री रविकांत ने 1 अक्टूबर 2021 को म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, तबसूजित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के पहले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला।



श्री देवाशीष बैनर्जी
निदेशक / मानव संसाधन

श्री देवाशीष बनर्जी, रखरखाव प्रबंधन (एम.टेक) और सामाजिक विज्ञान (एम.फिल) में स्नातकोत्तर योग्यता के साथ एक यांत्रिक इंजीनियर हैं। उन्होंने आईआईएम, बेंगलूर से मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिस्ट का कोर्स किया है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। उन्हें रक्षा उत्पादन उद्योग में 33 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वह यूपीएससी (इंजीनियरिंग सेवा) परीक्षा के माध्यम से भारतीय आयुध निर्माणी सेवाओं में शामिल हो गए, वर्ष 1989 में पश्चिम बंगाल स्थित आयुध निर्माणी दम दम में सहायक कार्य प्रबंधक के रूप में। 3 दशक से अधिक की अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने गोला-बारूद और विस्फोटक समूह, हथियार समूह, वस्त्रबंद वाहन कारखानों के समूह में काम किया है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने उत्पादन, योजना, गुणवत्ता नियंत्रण, इंजीनियरिंग, रखरखाव, प्रशासन, प्रावधान और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे लगभग हर क्षेत्र में विभिन्न उत्पादन इकाइयों में विभिन्न स्तरों पर काम किया। श्री बनर्जी ने सितंबर, 2020 से सितंबर, 2021 तक इंजन फैक्ट्री अवाडी के महाप्रबंधक के रूप में काम किया। यह फैक्ट्री टैंक टी-72, टैंक टी-90 और वीएमपी II वाहन के लिए इंजन के उत्पादन में लगी हुई है। इस अवधि के दौरान कारखाने ने अपने इनपुट घटकों का 100% स्वदेशीकरण हासिल किया। श्री बनर्जी ने 1 अक्टूबर, 2021 को नव निर्मित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे के पहले निदेशक/मानव संसाधन के रूप में पदभार संभाला।



श्री सुशान्ता कुमार राउत
निदेशक / ऑपरेशन

श्री एस के राउत बीएससी इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) हैं और इधू से एमबीए में स्नातकोत्तर हैं। उन्हें रक्षा उत्पादन उद्योग में 33 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वह यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के माध्यम से वर्ष 1989 में पश्चिम बंगाल में स्थित राइफल फैक्ट्री ईशापुर में सहायक कार्य प्रबंधक के रूप में भारतीय आयुध कारखानों में शामिल हुए। उन्होंने लगभग 2 दशकों तक उत्पादन, योजना, पौधों के रखरखाव, सुरक्षा और गुणवत्ता के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न उत्पादन इकाइयों में काम किया।

उन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, अंबाजारी (आईओएफएस और संबद्ध स्थापना अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक एकल संस्थान) में साठे तीन साल तक अतिरिक्त प्रधान निदेशक के रूप में काम किया है और सेवा अधिकारियों और वरिष्ठ लीवर के लिए विभिन्न प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमबीपी) का आयोजन किया है। अधिकारी। उन्होंने प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए रूस और फ्रांस में रक्षा निर्माण कारखानों का दौरा किया है। उन्होंने दिसंबर 2020 से सितंबर 2021 तक आयुध निर्माणी वरणांगव के महाप्रबंधक के रूप में काम किया। यह कारखाना हमारे रक्षा बलों के लिए छोटे हथियारों के गोला-बारूद जैसे 5.56 मिमी और 7.62 मिमी गोला-बारूद के निर्माण में लगा हुआ है।

श्री एस के राउत ने 1 अक्टूबर 2021 को नव निर्मित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) पुणे के पहले निदेशक/संचालन के रूप में पदभार संभाला।



श्री विवेक चंद्र वर्मा
निदेशक / वित्त
(w.e.f.01.10.2021 to
20.05.2022)

श्री विवेक सी. वर्मा, 1991 बैच के एक आईओएफएस अधिकारी, 7 अप्रैल 1992 को भारतीय आयुध निर्माणी संगठन में शामिल हुए। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लखनऊ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक और भारतीय संस्थान से डिजाइन इंजीनियरिंग में एम.टेक किया है। ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली। उनकी पहली स्थायी पोस्टिंग जुलाई 1993 से मई 2005 तक व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में थी। उन्होंने इंजन टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल की और VFJ में नई पीढ़ी के वाहनों के निर्माण की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट ऑफिसर थे। वह जून, 2005 से मई, 2009 तक रक्षा मंत्रालय (नियोजन और समन्वय निदेशालय), नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर थे। उन्होंने भूमि प्रणालियों और अन्य के साथ सैन्य तकनीकी सहयोग के लिए उपकरणों के स्वदेशी निर्माण की दिशा में सरकार की पहल को आगे बढ़ाने में अत्यधिक योगदान दिया। प्रतिनियुक्ति के सफल समापन के बाद, आयुध निर्माणी कानपुर (ओएफसी) में तैनात किया गया था। उनका प्रमुख क्षेत्र लार्ज कैलिबर ऑर्डनेंस का निर्माण था। उन्होंने धनुष और 130 / 155 मिमी अपगन के लिए आयुध के विकास और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में आयुध प्रभाग ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निर्माताओं से अत्याधुनिक मशीनों को शामिल करने और उत्पादकता में सुधार के साथ बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। मई 2017 में ओएफवी मुख्यालय, कोलकाता में शामिल हुए और बाद में आयुध निर्माणी बोर्ड के सचिव की जिम्मेदारी संभाली। इस पद पर वे सभी कॉर्पोरेट स्तर के नीति निर्माण, पूरे संगठन में निष्पादन और निगरानी, मंत्रालय के साथ वातचीत और संसद के मामलों से निपटने के लिए नोडल थे। कार्यकाल में एक सरकारी विभाग से एक कॉर्पोरेट इकाई के लिए आयुध कारखानों का परिवर्तन भी देखा गया।



श्री प्रकाश अग्रवाल
निदेशक / वित्त एवं सीएफओ
(w.e.f.14.06.2022)

श्री प्रकाश अग्रवाल एनआईटी कुल्लु से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और आईआईएम, कोलकाता से एमबीए हैं। वह 1990 बैच के आईओएफएस अधिकारी हैं। एनईडीपी, अंबाला, नागपुर में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, वह 1992 में तत्कालीन आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) में शामिल हुए, जहां विपणन और निर्यात का एक नया प्रभाग स्थापित किया जा रहा था। पूर्व ओएफबी में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उनके पास विपणन, निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का व्यापक अनुभव है। इस दौरान उन्हें प्रतिष्ठित "आयुध भूषण" पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया। उन्होंने आयुध उपकरण निर्माणी, कानपुर और उसके बाद ओईएफ मुख्यालय, कानपुर में कारखाने के स्तर पर सामग्री प्रबंधन, उत्पादन योजना, गुणवत्ता नियंत्रण आदि के क्षेत्रों में भी काम किया है। उन्होंने पुणे में नव निर्मित DPSU, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (MIL) में महाप्रबंधक, व्यवसाय विकास और वित्त के रूप में शामिल होने से पहले 2021 तक विपणन और निर्यात के उप महानिदेशक के रूप में फिर से ओएफबी, कोलकाता में सेवा की। रक्षा निर्यात संवर्धन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए लगभग 25 देशों का दौरा करने के बाद उनका व्यापक अंतरराष्ट्रीय अनुभव है। श्री प्रकाश अग्रवाल ने 16 जून, 2022 को MIL में निदेशक/वित्त का पदभार संभाला। वह MIL के मुख्य वित्त अधिकारी (CFO) भी हैं।



श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव
सरकारी नामांकित निदेशक
(w.e.f. 30.11.2021)

श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव को कंपनी बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव पश्चिम बंगाल कैडर के बी.टेक और एम.टेक और 1996 बैच के भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी हैं। उन्होंने पहले वन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार में विभिन्न पदों पर काम किया है, जैसे कि प्रभागीय वन अधिकारी और मुख्य वन संरक्षक।

उन्होंने 7 वर्षों से अधिक समय तक पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम किया।

वर्तमान में, वह रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव (भूमि प्रणाली) के रूप में कार्यरत हैं।



हमारे बारे में

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (MIL) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) है। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी निर्माता और मार्केट लीडर है, जो सेना, नौसेना, वायु सेना और अर्धवारुद और विस्फोटकों की व्यापक रेंज के उत्पादन-सैन्य बलों के लिए गोला-, परीक्षण अनुसंधान और विकास और विपणन में लगी हुई है।

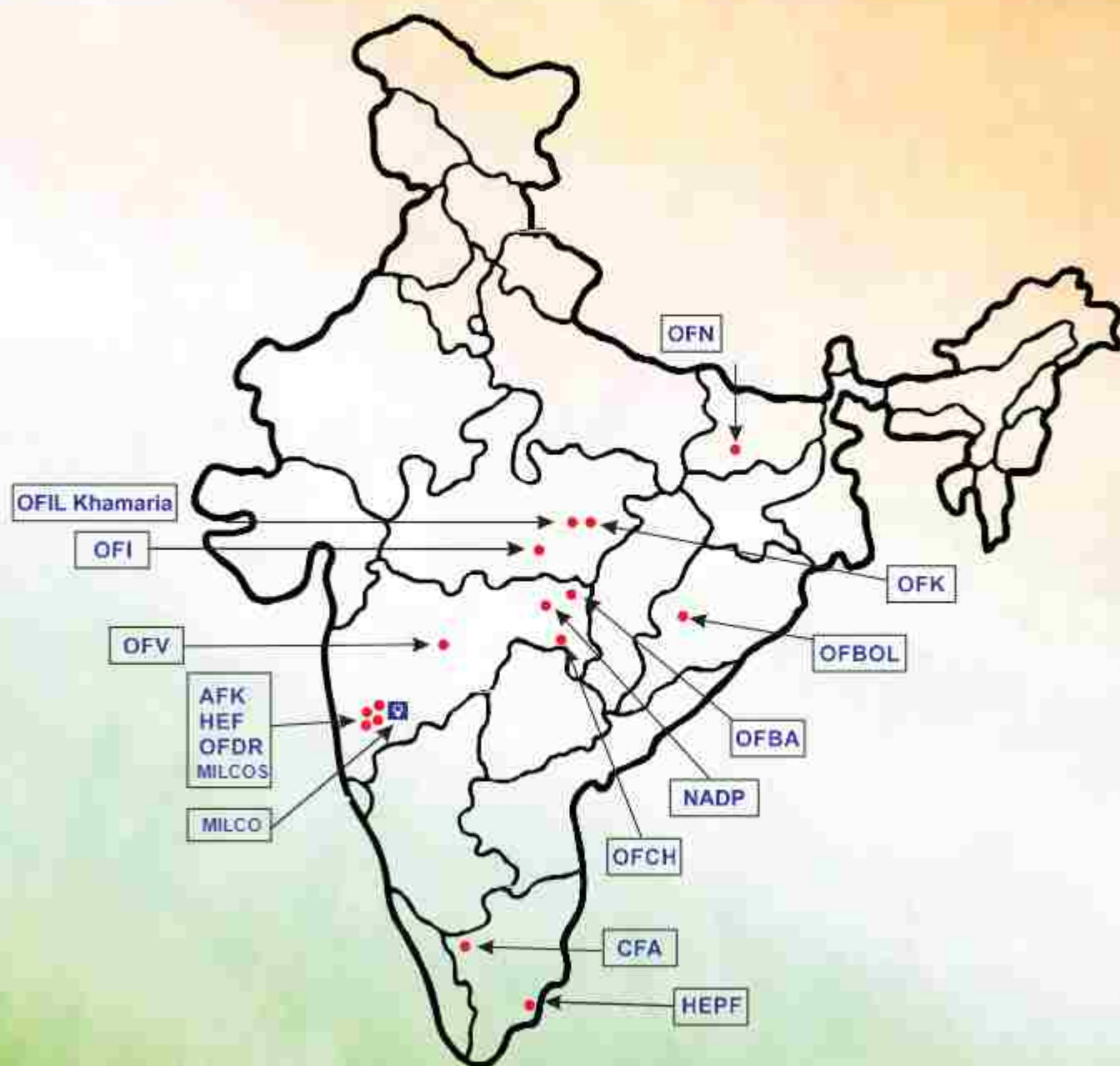
पुणे में कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ (भारत), म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड देश भर में स्थित अपनी 12 अत्याधुनिक निर्माण इकाइयों में लगभग 23,000 के कुशल कार्यबल को नियुक्त करती है। इन निर्माणियों ने 150 से अधिक वर्षों के लिए इतिहासिक कंपोजिशन, प्रोपेलेंट और हाई एक्सप्लोसिव के इन्हाउस निर्माण के साथ छोटे-, मध्यम और उच्च कैलिबर गोलावारुद-, मोर्टार, रॉकेट, हैंड ग्रेनेड आदि के उत्पादन के लिए एकीकृत आधार साबित किया है। हमारा प्राथमिक उद्देश्य सशस्त्र बलों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण युद्धक्षेत्र गोलावारुद से लैस करके प्रतिस्पर्धी बढ़त - प्रदान करना है। हमारे विदेशी ग्राहकों में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया में स्थित देश शामिल हैं। भारत और विदेशों में हमारे ग्राहकों से हमें जो संरक्षण मिलता है, वह हमारे उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में उनके विश्वास को दर्शाता है। हम सशस्त्र बलों के पीछे की ताकत हैं।

एमआईएल अपनी 12 उत्पादन इकाइयों के साथ प्रदान करती है -

- बहु प्रौद्योगिकी क्षमताओं के साथ एक व्यापक और बहुमुखी उत्पादन-आधार
- अत्याधुनिक निर्माण सुविधाएं
- कुशल और पेशेवर जनशक्ति और प्रबंधकीय कर्मियों का बड़ा पूल
- गुणवत्ता मानकों का सख्त अनुपालन - सभी यूनिट आईएसओ 9000 प्रमाणित है
- मूल के साथ आधारित शोधन और संशोधन -साथ अनुकूली अनुसंधान एवं विकास आवश्यकता-करने के लिए
- औद्योगिक प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए एक मजबूत आधार

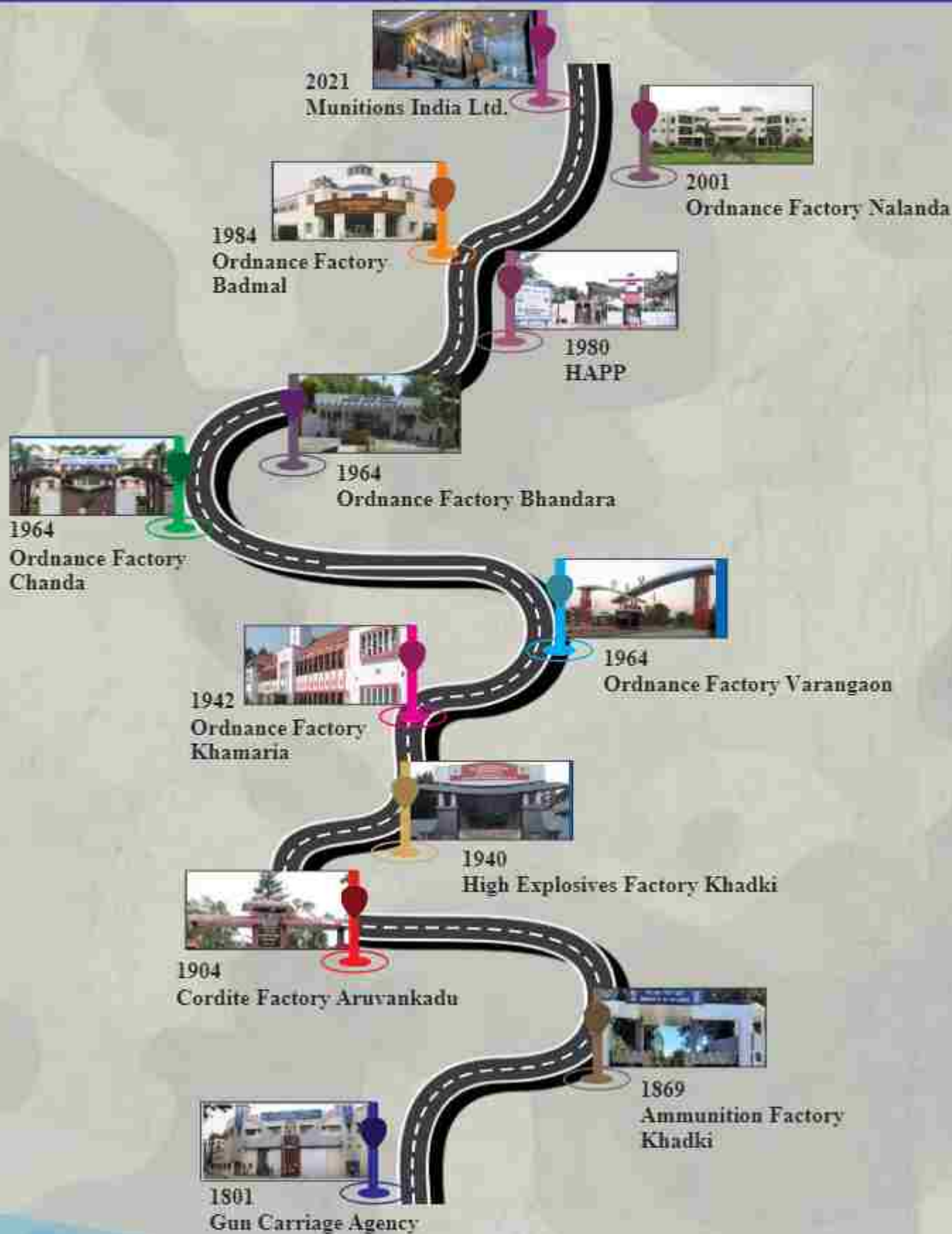


एम आई एल फुटप्रिंट्स उत्पादन और गैर उत्पादन इकायां





एमआईएल यात्रा



एमआईएल के उत्पाद पोर्टफोलियो में गोला-बारूद, विस्फोटक, आतिशबाज़ी बताने की बिद्या और अन्य रक्षा संबंधी उत्पाद शामिल हैं। म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड अपने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए जाना जाता है जो भारतीय सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और निर्यात के सख्त मानकों और आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

Cartr. SA 9.36 x 45mm
 M193 Ball

Cartr. SA 9.56mm
 M855 / XM100 Ball

Cartr. 7.62 x 39mm

Cartr. SA 9 mm Ball

Cartr. SA 9 mm Tracer

Cartr. 14.3 mm 12PD

Cartr. SA 7.62 mm Black

Cartr. SA 203 mm

Carat 25mm AME HE/1 Carat 25mm AME SAPHIR Carat 25mm AME DFF
 Carat 30mm BMP AFF Carat 30mm BMP HEI Carat 30mm ADON PRAGT
 Carat 40mm L30 NET Carat 40mm PFFC

84 mm HEAT501

84 mm TPI 501

84 mm HE 4432

84 mm 58006 409 G

84mm HEAT 501

84 mm HEAT 751

84 mm HEAT 501

[illegible]



उत्पाद प्रोफाइल

MORTAR BOMBS



61 mm HE



61 mm Smoke



61 mm Illuminating



81 mm HE



81 mm Smoke



81 mm Illuminating



120 mm HE



120 mm Smoke

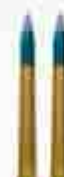


120 mm Illuminating

NAVAL AMMUNITION



Cartridge 76.2 HEFF



Cartridge 76/82 SRGM TP



Cartridge 76/82 NAVAL



Cartridge 76.2 RE



Cartridge 40 mm L80 HE

GRENADES



40 mm VE



40 mm HECP



40 mm RP



40 mm P (P90)



Multi Mode Hand Grenade

AERIAL BOMBS



AERIAL BOMB 300-320 kg



AERIAL BOMB 250 kg



AERIAL BOMB 1000 LBR



AERIAL BOMB 450 kg



AERIAL BOMB 500 kg



ROCKET PINAKA



TANK AMMUNITION



EXPLOSIVES



SMOKE & PYROTECHNICS





आधुनिकीकरण

पिनाका

मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका की उत्पादन क्षमता को प्रति वर्ष 1000 से 2500 रॉकेट तक बढ़ाया गया ।

इस रॉकेट के उत्पादन में एचईपीएफ त्रिची, आयुध निर्माणी चांदा, आयुध निर्माणी देहरोड और आयुध निर्माणी इंदौर लगे हुए हैं ।



पिनाका रॉकेट एसेम्बली लाइन



ख) मैंगो परियोजना

सेना की आवश्यकता के अनुसार, टैंक टी-72 और टी-90 के लिए मुख्य गोला-बारूद 125 मिमी एफएसएपीडीएस गोला-बारूद के निर्माण की क्षमता रूस द्वारा दी गई प्रौद्योगिकी के अनुसार स्थापित की जा रही है।



Polishing Drum for SBP



Centrifuge



Kneading



Table Dryer



DPA Mixer



Dry Curing Cabinet



Sintering Process



MANGO Manufacturing Process



30 एमएम बीएमपी-11 गोला बारूद :

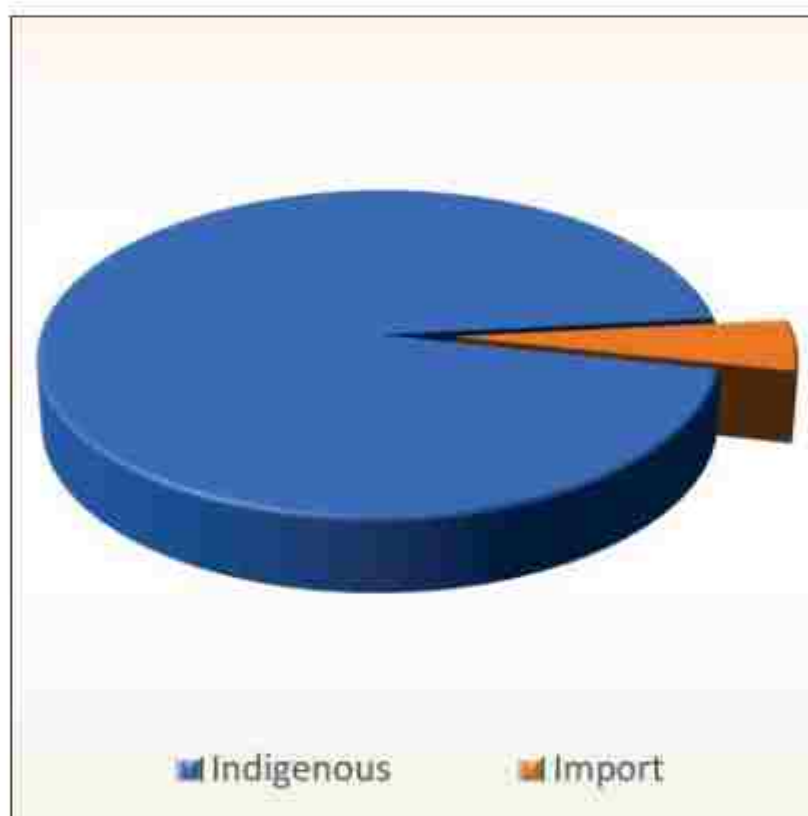
आयुध निर्माणी खमरिया ने स्वदेशी रूप से 30 एमएम बीएमपी-11 गोला बारूद के निर्माण के लिए असेंबली लाइन तैयार की है। आयुध निर्माणी खमरिया द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर संयंत्र का निर्माण भारतीय उद्योग द्वारा किया गया था। यह नई तकनीक विकसित करने में ओएफके द्वारा भारतीय उद्योग की मदद में एक शांतदार उदाहरण है।





मुख्य उपलब्धियां

अनुसंधान और विकास
स्वदेशीकरण 'आत्मनिर्भर भारत'
वर्तमान स्वदेशीकरण सामग्री – 95%



सफलतापूर्वक उत्पादों का विकास

- स्वचालित ग्रेनेड लॉन्चर के लिए 30 मिमी ग्रेनेड
- मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर के लिए ग्रेनेड 40 मिमी और अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर
- ग्रेनेड 40 X 53 मिमी
- कार्ट्रिज 7.62 x 39 मिमी उच्च मजल वेग
- पिनाका विस्तारित रेंज रॉकेट के साथ
- 500 किलो जनरल पर्पज एयरक्राफ्ट बम
- फ्यूज 557



विकास के अंतर्गत उत्पाद

- दोहरे उद्देश्य बेहतर पारंपरिक युद्ध सामग्री (डीपीआईसीएम) वारहेड
- मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन (एमआईजीएम)
- वरुणास्त्र वारहेड
- वायु सेना बमों के लिए हीट -751, एचईडीपी -502 और स्मोक -469 सी गोला बारूद
- 125 मिमी एफएसएपीडीएस गोला बारूद (प्रवेश की गहराई 550 मिमी)
- फ्यूज के लिए प्रणोदक
- ड्रोन वितरित गोला बारूद (होमिंग और मार्गदर्शन के साथ वितरण प्रणाली)



ड्रोन वितरित एम्युनिशन और इसका प्लेटफॉर्म

यह युद्ध के मैदान के पास दुश्मन की लंबी दूरी की मिसाइल और हथियारों से हमारे मानवयुक्त विमान को दूर रखने के लिए गोला-बारूद की एक वैकल्पिक वितरण प्रणाली है।



➤ 155 एमएम स्मार्ट एम्युनिशन :



155 मिमी स्मार्ट गोला बरुद सटीक हमलों की अनुमति देकर और साथ ही साथ संपार्श्विक क्षति को कम करके आर्टिलरी गन की क्षमता बढ़ाने में सक्षम बनाता है।

वायु सेना के लिए 70 मिमी रॉकेट

70 मिमी रॉकेट मुख्य रूप से हवा से जमीन की भूमिका में उपयोग किए जाते हैं। ये रॉकेट एंटी-कर्मियों, हवा से जमीन पर दमन और रोशनी का प्रदर्शन कर सकते हैं।



70 एमएम रॉकेट के प्रमुख कंपोनेंट हैं:



निर्यात



म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने निर्यात में उपलब्धियों (अंडर कैटेगरी - लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज) के लिए डीईएफएक्सपो 2022 के दौरान माननीय रक्षा मंत्री से उपविजेता पुरस्कार जीता



प्रमुख घटनाएं

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड का आरंभ





प्रमुख घटनाएं

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड का स्थापना दिवस की झलकियां





प्रमुख घटनाएं

आज़ादी का अमृत महोत्सव

म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) की निर्माणियों / इकाइयों द्वारा 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 तक "आजादी का अमृत महोत्सव" के समर्पित सप्ताह के रूप में मनाया गया। एमआईएल ने 8 (आठ) उत्पादन इकाइयों में स्थानीय सार्वजनिक प्रदर्शनियों का आयोजन किया था और एम्युनिशन फैक्टरी, खड़की, पुणे में एक नए संग्रहालय का भी उद्घाटन किया।





पहली वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की पहली वार्षिक आम बैठक बुधवार, 21 दिसंबर, 2022 को सुबह 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी -

सामान्य कामकाज

1. 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए निदेशक की रिपोर्ट, लाभ और हानि का लेखापरीक्षित विवरण और कैश फ्लो विवरण को पढ़ने, विचार करने और अपनाने के लिए। 31 मार्च, 2022 को बैलेंस शीट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या बिना पारित करने के लिए।

"निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च, 2022 को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण एक साथ निदेशक की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ भारत को इसके द्वारा पढ़ा, माना और अपनाया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

(ई.जे.पॉल)
कंपनी सचिव

स्थान : पुणे
दिनांक : 29/11/2022

नोट :

1. बैठक में भाग लेने और वोट देने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर उपस्थित होने और वोट देने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है।
2. सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगामी पहली वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं।
3. वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहली वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।
4. सदस्यों को बैठक के दौरान प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। प्रश्नों को finance@munitionsindia.in पर अग्रिम रूप से भी दिया जा सकता है।
5. वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहुंच का लिंक बैठक से दो दिन पहले साझा किया जाएगा



निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
 शेयर होल्डर्स
 म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड

निदेशकों को 17 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए आपकी कंपनी के लेखा परीक्षित खातों के साथ पहली वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति (CCS) ने 29.07.2020 को हुई बैठक में रक्षा मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत एक वा एक से अधिक 100% सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं में परिवर्तन की मंजूरी दी।

दिनांक 18.06.2021 को हुई कैबिनेट की बैठक में ओएफवी की 41 उत्पादन इकाइयों को 07 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) में परिवर्तन की मंजूरी दी गई और तदनुसार रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा दिनांक 21.06.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(5) / 2021 /ओएफ/डीपी (पीएलजी-वी) जारी किया गया।

म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) ऐसे 07 डीपीएसयू में से एक है, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय पुणे में स्थित है।

भारत की सबसे बड़ी निर्माता और मार्केट लीडर एमआईएल सेना, नौसेना, वायु सेना, अर्ध-सैन्य बलों, पुलिस बलों और निर्यात के लिए गोला-बारूद और विस्फोटकों की व्यापक रेंज के उत्पादन, परीक्षण, अनुसंधान और विकास और विपणन में लगी हुई है।

ओएफवी से बाहर किए जाने के बाद म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) के गठन के परिणामस्वरूप मौजूदा व्यवस्था को एक कॉर्पोरेट इकाई में बदल दिया गया है और यह परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण चरण में है। कोई भी संक्रमण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चुनौतियाँ होती हैं और कंपनी को नई स्वामित्व टीम के साथ सर्वोत्तम संभव स्थिति में लाने के लिए संक्रमण को संभालने के लिए विभिन्न व्यावसायिक रणनीतियों के कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है।

परिवर्तन हमेशा कठिन होता है। कुछ प्रारंभिक चुनौतियों प्रक्रियागत परिवर्तनों जैसे कर व्यवस्था में परिवर्तन, वित्तीय लेखांकन, वाणिज्यिक लेखांकन आदि और नौकरशाही प्रशासनिक प्रक्रियाओं को क्रम करने के लिए अनुकूल थी। निगम के अनिश्चित भविष्य के बारे में कथित आशंकाओं के बीच मौजूदा कर्मचारियों को प्रेरित करना भी एक बड़ी चुनौती थी।



शीघ्र निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड ने अपनी पहली बैठक में इकाई स्तर पर विभिन्न प्राधिकरणों को पर्याप्त वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की। जिन मामलों को पहले ओएफवी स्तर पर अंतिम रूप दिया जा रहा था, उन्हें अब इकाई स्तर पर अंतिम रूप दिया जा रहा है।

इकाई स्तर पर संगठन संरचना को नया रूप दिया गया और प्रमुख परिवर्तन कनिष्ठ कार्य प्रबंधक (जूनियर ग्रेड) को विभागीय अधिकारियों के रूप में नामित किया गया और तदनुसार अपेक्षित वित्तीय शक्तियों को भी प्रत्यायोजित किया गया।

एमआईएल पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अनुसरण में त्वरित संचार और अनुमोदन के लिए प्रौद्योगिकी जैसे ई-मेल आदि के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब वही एमआईएल की कार्य संस्कृति का हिस्सा बन गया है।

लंबे समय में पारदर्शिता व्यवसाय के विकास की कुंजी है। सक्रिय रूप से पारदर्शी व्यापार प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, विशेष रूप से सामग्री खरीद के क्षेत्र में, एक नया 'भंडार खरीद मैनुअल' शामिल किया गया है। भारत सरकार और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में पालन की जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए मैनुअल का मसौदा तैयार किया गया है। वित्त मंत्रालय, डीडीपी और सीवीसी के समय-समय पर जारी निर्देशों को नियमावली में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। इससे पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप खरीद कार्यों में तेजी आई है। इससे उत्पादन गतिविधियों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार करने में मदद मिली है।

सरकारी संगठन से डीपीएसयू में संक्रमण के साथ, एमआईएल प्रभावी रूप से विभिन्न सरकारी कार्यों में योगदान दे रहा है - जैसे स्वच्छ भारत अभियान, मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति (MRGS), मिशन कर्मयोगी (EDP, MDP), स्किल इंडिया मिशन (प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना), आत्मनिर्भर भारत आदि।

एमआईएल ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न रक्षा प्रदर्शनियों में भाग लिया है जहाँ एमआईएल के उत्पादों की अत्यधिक सराहना की गई।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कंपनी ने अपने कारोबार के पहले छह महीनों के दौरान यानी 17 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक 18.10 करोड़ रुपये का लाभ (कर के बाद) दर्ज किया है। COVID-19 के कारण विभिन्न व्यवसाय / उत्पादन गतिविधियों पर नकारात्मक व्यापक प्रभाव के बावजूद कंपनी खर्च कम करके और नवीन प्रबंधन प्रथाओं को अपनाकर लाभ कमाने में सक्षम हुई।

1. मुख्य अंश :

1.1 संपत्ति और देनदारियों का स्थानांतरण:

रक्षा उत्पादन विभाग के कार्यालय जापन संख्या 1(5)/2021/OF/DP(PIg-V)/01 दिनांक 01.01.2019 24.09.2021 आयुध निर्माणी बोर्ड को भंग करने और आयुध निर्माणी बोर्ड की संपत्ति और देनदारियों को नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, निम्नलिखित उत्पादन और गैर-उत्पादन इकाइयों की संपत्ति और देनदारियों को म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया था।



उत्पादन इकाई:

- i. गोला बारूद फैक्टरी खड़की
- ii. कॉर्डाइट फैक्ट्री अरुनकाहु
- iii. हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल निर्माणी
- iv. अति विस्फोटक निर्माणी खड़की
- v. आयुध निर्माणी भंडारा
- vi. आयुध निर्माणी बोलंगीर
- vii. आयुध निर्माणी चांदा, चंद्रपुर
- viii. आयुध निर्माणी देहूरोड
- ix. आयुध निर्माणी इटारसी
- x. आयुध निर्माणी खमरिया
- xi. आयुध निर्माणी तालंदा
- xii. आयुध निर्माणी वरणगांव

गैर उत्पादन इकाइयां :

- i. आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, खमरिया
- ii. राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी
- iii. क्षेत्रीय संरक्षा नियंत्रणालय, पुणे

वित्तीय समीक्षा :

2.1 वित्तीय परिणामों का सारांश

17 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है :

करोड़ में

विवरण	मूल्य
कुल आय	2618.38
ईबीटा	110.41
वित्तीय व्यय	Nil
मूल्यहास एवं ऋण परिशोधन	\$5.02
कर पूर्व लाभ/(हानि)	25.40
कर आदि के लिए प्रावधान	7.30
कर के बाद लाभ/(हानि)	18.10
कर के पहले लाभ/(हानि)	Nil
तुलनपत्र में लाया गया अधिशेष	18.10

2.2 विकास

कंपनी के निरंतर विकास के लिए, ग्राहक आधार को व्यापक बनाने और नए उत्पादों को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि, सरकार ने रक्षा वस्तुओं के निर्यात को मंजूरी दे दी है, इसलिए कंपनी अपने विकास के लिए इस क्षेत्र पर भी ध्यान देना चाहेगी।

2.3 निवल मूल्य

31 मार्च, 2022 तक कंपनी की कुल संपत्ति 6549.75 करोड़ रुपये है।



2.4 विदेशी मुद्रा (आय और व्यय) :

आय यूएसडी, यूरो के रूप में है

व्यय यूएसडी, यूरो, एसईके के लिए है

	आय	व्यय
17 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए	INR 26.19 करोड़	INR 245.31 करोड़

3. वार्षिक रिटर्न:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के प्रावधानों के तहत आवश्यकतानुसार, 17 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए कंपनी का वार्षिक रिटर्न वेबसाइट www.munitionsindia.in पर प्रदर्शित किया गया है

4. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के अनुसरण में, यह पुष्टि की जाती है कि -

- 4.1 17 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए वार्षिक खातों की तैयारी करते में, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।
- 4.2 लेखा नीतियों के संबंध में उन्हीं नीतियों का चयन किया गया तथा सुसंगत रूप में लागू किया गया और अनुमान एवं निर्णय लिए गए जो सही तथ्यपरक हैं। जो कंपनी के मामलों का सही एवं निष्पक्ष विवरण देने में सक्षम है, कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में लाभ अथवा हानि से संबंधित निष्पक्ष विवरण दिया गया।
- 4.3 कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की जाती है।
- 4.4 वार्षिक लेखा जोखा का विवरण संचालित संस्थान के आधार पर तैयार किए गए हैं।
- 4.5 सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की गई हैं और उनमें और सुधार किया जा रहा है।

5. कंपनी की गतिविधियां:

5.1 उत्पादन :

लगभग 23000 के कुल कर्मचारियों के साथ देश भर में स्थित अपनी 12 अत्याधुनिक निर्माण इकाइयों में कंपनी विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद और विस्फोटक का उत्पादन करती है। यह सेना, तौसेना, वायु सेना, अर्ध-सैन्य बलों और निर्यात के लिए गोला-बारूद और विस्फोटकों के उत्पादन, परीक्षण, अनुसंधान और विकास और विपणन में भारत का सबसे बड़ा निर्माता और मार्केट लीडर है। कंपनी के पास 150 से अधिक वर्षों के लिए इतिहासिक कंपोजिशन, प्रोपेलेंट और उच्च विस्फोटक के इत-हाउस निर्माण के साथ छोटे, मध्यम और उच्च कैलिबर गोला-बारूद, मोर्टार, रॉकेट, हैंड ग्रेनेड आदि के उत्पादन के लिए सिद्ध एकीकृत आधार है। कंपनी गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करती है। कंपनी की सभी इकाइयां आईएसओ 9001 प्रमाणित हैं।



उत्पादन और गैर-उत्पादन इकाइयों का विवरण:

उत्पादन इकाइयां



गोला बारूद निर्माणी खडकी :

पुणे शहर में स्थित गोला बारूद निर्माणी खडकी 16 दिसंबर 1869 को ब्रिटिश सरकार की एक छोटी सशस्त्र विनिर्माण इकाई के रूप में अस्तित्व में आयी। गन पाउडर का उपयोग कर गोला बारूद कारतूस का नियमित उत्पादन 1872 में शुरू हुआ। कार्डाइट प्रोपेलेंट का प्रयोग करते हुए (नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइट्रोग्लिसरीन पेस्ट से बने) 1886 में कार्ट्रिज 0.303" का निर्माण किया गया। 1914 में एएफके में विनिर्माण सुविधाओं का विस्तार हुआ और विभिन्न प्रकार के प्राथमिक विस्फोटक जैसे मरक्युरी फलमिनेट, लेड एजाइड, लेड स्टार्कनेट और कैप्स, डेटोनेटर, परक्यूशन फ्रूज भरना तथा एशिया और अफ्रीका में युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एएफके में विभिन्न पायरो तकनीक स्टोर आरंभ किए गए थे। यह निर्माणी विभिन्न सशस्त्र बलों और पुलिस बलों द्वारा उपयोग किए जा रहे विभिन्न प्रकार के छोटे हथियारों के गोला-बारूद के निर्माण में अग्रणी है।

कॉर्डाइट फैक्ट्री अरुवनकाडु:

कॉर्डाइट फैक्ट्री अरुवनकाडु नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में तमिलनाडु में स्थित है जिसकी स्थापना वर्ष 1904 में हुई थी। सीएफए के पास प्रोपेलेंट निर्माण के लिए उपयुक्त जलवायु, भौगोलिक स्थिति, पानी की आपूर्ति के लिए अपना जलाशय और सुरक्षा के लिए मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के आवश्यक लाभ थे, जो कि लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सीएफए 105 मि.मी., 120 मि.मी., 130 मि.मी., 155 मि.मी., नौसैनिक गोला-बारूद और छोटे हथियारों के लिए प्रोपेलेंट सहित विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद के लिए गुणवत्ता वाले प्रोपेलेंट के निर्माण में अग्रणी है। 155 मि.मी., गोला बारूद के लिए बायो मांड्यूलर चार्ज के लिए ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट का नवीनतम जोड़ सीएफए की एक महान्त उपलब्धि है।





अति विस्फोटक निर्माणी खड़की:

अति विस्फोटक निर्माणी खड़की को पूर्व-द्वितीय विश्व युद्ध-वर्ष, 1935-40 में उच्च विस्फोटकों (टीएनटी और सीई) और गोला बारूद निर्माणी खड़की के लिए आवश्यक पहलकर्ताओं के निर्माण के लिए एक अलग इकाई के रूप में नियोजित किया गया था। इसकी आधारशिला 11 जनवरी, 1940 को मुळा नदी के पश्चिमी तट पर एक ऐसे स्थान पर रखी गई थी, जहां 1817 में बहादुर मराठों और ब्रिटिश सेना के बीच "खड़की का युद्ध" लड़ा गया था। एचईएफ में प्रमुख उत्पादन 1942-44 के दौरान शुरू हुआ था। अपनी स्थापना के पश्चात यह हमारे देश की रक्षा तैयारियों में एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। एचईएफ उच्च ऊर्जा सामग्री, टीएनटी, तरल प्रोपेलेंट का उत्पादन करती है।



हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्ट्री:

हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्ट्री [पूर्व में हेवी एलॉय पेनिलेटर प्रोजेक्ट (HAPP)], एक प्रमुख उत्पादन इकाई है जो विभिन्न कैलिबर के फिन स्टेबिलाइज्ड आर्मेड पियर्सिंग एंड डिस्कार्डिंग सैबोट (FSAPDS) एंटी टैंक काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल का निर्माण करती है। यह देश में FSAPDS शॉट्स बनाने वाली एकमात्र इकाई है। 1980 के दशक की शुरुआत में DRDO ने FSAPDS गोला-बारूद के लिए इस एकीकृत विनिर्माण सुविधा की स्थापना की। यह गोला-बारूद दुश्मन के लिए एक दुःस्वप्न है और तीव्र गति ऊर्जा से दुश्मनों के युद्धक टैंक को अस्थिर करने की क्षमता रखती है। गति ऊर्जा प्रोजेक्टाइल के अलावा, एचईपीएफ विभिन्न टंगस्टन मिश्र धातु आधारित घटकों के निर्माण में भी लगी हुई है। यह निर्माणी ग्रामीण परिवेश में स्थित है और तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 21 कि.मी. और हवाई अड्डे से 17 कि.मी. दूर है।



आयुध निर्माणी भंडारा:

आयुध निर्माणी भंडारा महाराष्ट्र राज्य के जिला भंडारा में कोलकाता-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर भंडारा टाउनशिप के पश्चिम में 18 किलोमीटर और नागपुर शहर से 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह फैक्ट्री विस्फोटक एवं रसायन गुप ऑफ फैक्ट्रीज में अग्रणी है। इसे सभी प्रोपेलेंट निर्माणियों की जन्मी माना जाता है क्योंकि यह बड़ी संख्या में प्रोपेलेंट का उत्पादक है। इसमें एसिड से लेकर उच्च विस्फोटक और उच्चतम गुणवत्ता मानकों वाले विभिन्न प्रोपेलेंट तंत्र के बहु-आयामी उत्पाद-मैट्रिक्स हैं। इसकी सुसज्जित प्रयोगशालाओं में परीक्षण सुविधाओं को एनएवीएल द्वारा मान्यता प्राप्त है।



आयुध निर्माणी बड़माल, बोलंगीर :

आयुध निर्माणी बड़माल, बोलंगीर की स्थापना उड़ीसा राज्य में मेसर्स डे और ज़िमरन, यूएसए, मेसर्स जोसेफ मीनर, जर्मनी, मेसर्स हाको, स्विटजरलैंड और मेसर्स क्वांटेक्स, बुल्गारिया से अत्याधुनिक तकनीक के साथ की गई थी। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 29 अक्टूबर 1984 को इस निर्माणी की आधारशिला रखी थी। मध्यम और भारी कैलिबर गोला-बारूद के निर्माण के लिए समर्पित एक विशाल गोला-बारूद की निर्माणी स्थापित करने की दृष्टि ने उड़ीसा के केवकी ब्रेल के इस पिछड़े क्षेत्र को सुर्खियों में ला दिया है। परियोजना को मंजूरी 1989 में मिली थी। फैक्ट्री उड़ीसा के बोलंगीर जिले में 12,200 एकड़ में फैली हुई है, जिसमें ऐतिहासिक गंधमर्दन रेंज की पहाड़ियों को शामिल किया गया है और महानदी नदी प्रणाली की दो सहायक नदियां लैंथ और तेल से घिरी हुई है। यह निर्माणी संयोजित बलों, आर्टिलरी और सेना के इंजीनियर रेजीमेंट द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद का उत्पादन करती है।



आयुध निर्माणी चांदा :

आयुध निर्माणी चांदा परियोजना को वर्ष 1964 में स्वीकृत किया गया था और प्रारंभिक उत्पादन 1970 में शुरू हुआ था। निर्माणी को मध्यम और उच्च कैलिबर गोला बारूद निर्माण इकाई के रूप में डिजाइन किया गया था जिसमें उत्पादन विस्फोटक और गैर-विस्फोटक घटक जैसे कि इनीशियेटर, प्राइमर, कैप, फ्यूज, पेपर घटक और पैकेज के लिए आवश्यक सहायक थे। आयुध निर्माणी चांदा दक्षिण में नागपुर से 135 कि.मी. और उत्तर में चंद्रपुर से 28 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।



आयुध निर्माणी देहूरोड :

सेनाओं ने संकेत दिया था कि भविष्य में रात्रि युद्ध की संभावना अधिक होगी और इस तरह, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में बहुत आवश्यक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत में रात्रि युद्ध के लिए विभिन्न पायरोटेकनिक गोला बारूद का उत्पादन स्थापित किया जाना था। रक्षा मंत्रालय की उत्पादन और आपूर्ति समिति की बैठक के दौरान इस नए कारखाने की स्थापना की आवश्यकता पर विचार किया गया था और जनवरी 1977 में सरकार द्वारा परियोजना को मंजूरी दी गई थी। यह निर्माणी विभिन्न प्रकार के पायरोटेकनिक बनाने वाले गोला-बारूद के विनिर्माण में लगी हुई है। इस तरह के गोला-बारूद का उत्पादन करने वाली यह देश की एकमात्र निर्माणी है। चूंकि यहां उपयोग की जाने वाली सामग्रियां बहुत संवेदनशील हैं और इनमें उच्च ऊर्जा सामग्री है, इसलिए उत्पादन प्रक्रियाओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।



आयुध निर्माणी इटारसी:

रासायनिक आयुध निर्माणियों में 1969-70 में उपलब्ध क्षमताओं के माध्यम से उच्च क्षमता वाले गोला-बारूद के लिए प्रोपेलेंट की आवश्यकताओं की समीक्षा करने के बाद, एक नये प्रोपेलेंट निर्माणी की आवश्यकता पर विचार किया गया और आयुध निर्माणी इटारसी की स्थापना की गई। आयुध निर्माणी इटारसी तीनों सेवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के रॉकेट और मिसाइलों के लिए आवश्यक डबल और ट्रिपल ब्रेस प्रोपेलेंट और कास्ट एंड केम बॉन्डेड प्रोपेलेंट का निर्माण करती है। संरक्षा एवं मानव संसाधन विकास निर्माणी की बुनियादी और महत्वपूर्ण बिंता है। अनुसंधान एवं विकास इसके प्रयास के क्षेत्र हैं।



आयुध निर्माणी खमरिया:

आयुध निर्माणी खमरिया की स्थापना वर्ष 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सहयोगी बलों के लिए गोला-बारूद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्वी समूह परियोजनाओं में से एक के रूप में की गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात, विभिन्न सेवाओं और अर्धसैनिक बलों की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्माणी की उत्पाद शृंखला का विविधीकरण किया गया। 1962 में चीनी युद्ध और 1965 और 1971 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान, सेना, वायु सेना और नौसेना की नई मांगों को पूरा करने के लिए निर्माणी का और विस्तार किया गया। वर्तमान में यह देश की सबसे बड़ी गोला-बारूद की निर्माणी है। निर्माणी की वर्तमान उत्पादन गतिविधि तीनों सेवाओं और अर्धसैनिक बलों के लिए हार्डवेयर कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग, एक्सप्लोसिव फिलिंग और एम्युनिशन असंबली का एक संयोजन है।



आयुध निर्माणी नालंदा:

आयुध निर्माणी नालंदा, देश में गोला-बारूद निर्माण में लगी निर्माणियों में से एक नई परियोजना है। यह बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है और नवीनतम प्रौद्योगिकी प्रणोदक के निर्माण में लगी हुई है। लगभग 3000 एकड़ के मामूली विशाल क्षेत्र के साथ 155 मिमी आर्टिलरी गन के लिए द्वि-मॉड्यूलर प्रोपेलेंट के प्रणोदक निर्माण के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक की स्थापना के लिए परियोजना को 29.11.2001 को मंजूरी दी गई थी।





आयुध निर्माणी वरणगांव:

आयुध निर्माणी वरणगांव की स्थापना 1964 में चीनी आक्रमण के तुरंत बाद मुख्य रूप से 0.303" कार्ट्रिज के स्थान पर 7.62 मि.मी. एम्बुनिशन के निर्माण के लिए की गई थी, जो तब तक भारतीय सेना के प्राथमिक एम्बुनिशन का काम करता था। निर्माणी में उत्पादन 1965 में अमेरिकी सहायता के तहत प्राप्त संयंत्र और मशीनों के साथ शुरू हुआ। डीआरडीओ द्वारा भारतीय राष्ट्रीय लघु शस्त्र प्रणाली (INSAS) के विकास के पश्चात, आयुध निर्माणी, वरणगांव ने अपने गोला-बारूद के निर्माण के लिए उत्पादन लाइन स्थापित की। वर्तमान में यह निर्माणी सशस्त्र और पुलिस बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के छोटे हथियारों के गोला-बारूद के उत्पादन में लगी हुई है।

गैर-उत्पादन इकाइयों :



आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, खमरिया

आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, खमरिया को 1 अप्रैल, 1996 को क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, खमरिया (RTI, KH) के रूप में स्थापित किया गया था और इसे बाद में समूह ख और ग कर्मचारियों के संबंध में विकासात्मक गतिविधियों को प्रशिक्षण देने के लिए OFILKH, जबलपुर के नाम से परिवर्तित किया गया। इस संस्थान के पास रसायन और विस्फोटक के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने की विशेषज्ञता है। उपरोक्त के अलावा, इस संस्थान द्वारा नए भर्ती किए गए चार्जमैन (कमिस्ट) के लिए रसायनों, विस्फोटकों, गोला-बारूद के घटकों, विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद और संबंधित सुरक्षा पहलुओं आदि के निर्माण पर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है।



राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी:

राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है, जिसका अधिदेश भारतीय आयुध निर्माणी सेवा (आईओएफएस) और भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा (आईओएफएस) के अधिकारियों को इंडक्शन और इन-सर्विस प्रशिक्षण दोनों प्रदान करना है। आईओएफएस के नए प्रवेशकों और सेवारत अधिकारियों को संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 1978 में आयुध निर्माणी स्टाफ कॉलेज (ओएफएससी) के रूप में स्थापित; इसे वर्ष 2003 में राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी (एनएडीपी) के रूप में नामकरण किया गया। 'विद्या अमृतम्' (ज्ञान शाश्वत) के आदर्श वाक्य के साथ, अकादमी 'सीखने के माध्यम से उत्कृष्टता' के दर्शन के लिए प्रतिबद्ध है। संगठन की तेजी से बदलती जरूरतों को पूरा करने और अपने अधिकारियों को पर्याप्त तकनीकी-प्रबंधकीय कौशल से लैस करने के लिए अकादमी पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई है।



म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड-संरक्षा नियंत्रणालय विस्फोटक उत्पादन में संरक्षा सर्वोपरि है और इसमें कोई ढिलाई स्वीकार्य नहीं है। तदनुसार, संबंधित मामलों की निगरानी के लिए दि.02/03/2001 को म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड - संरक्षा नियंत्रणालय की स्थापना की गई थी

- विस्फोटक सुरक्षा
- विद्युत सुरक्षा
- औद्योगिक सुरक्षा
- पर्यावरण संबंधी सुरक्षा
- विस्फोटक और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन

5.2 मान्यता और प्रमाणन :

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की सभी बारह इकाइयों के पास निम्नलिखित प्रमाणपत्र हैं :

प्रमाणन	संस्करण	इकाइयां
गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस)	ISO 9001:2015	एमआईएल की सभी इकाइयां
पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली	ISO 14001:2015	एमआईएल की सभी इकाइयां
व्यावसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा प्रबंधन प्रणाली	ISO 145001:2018	एमआईएल की सभी इकाइयां
परीक्षण और प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड	ISO/IEC 17025	एमआईएल की सभी इकाइयां
एरोस्पेस क्यूएमएस	AS9100D	गोला बारूद निर्माणी, खडकी, पुणे
ऊर्जा और प्रबंधन प्रणाली	ISO 50001:2018	एमआईएल की सभी इकाइयां

6. मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति :

आईपीआर पर राष्ट्रीय नीति के अनुरूप रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (डीपीएसयू), रक्षा प्रतिष्ठानों और उनके रचनात्मक/नवोन्मेषी अधिकारियों को आईपीआर व्यवस्था के लिए प्रोत्साहित करने और सहायता करने के लिए रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग (MoD, DDP) ने अप्रैल 2018 के महीने में IP संस्कृति को बढ़ावा देने और रक्षा उत्पादन क्षेत्र में बौद्धिक संपदा के निर्माण को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति की शुरुआत की है।



रक्षा क्षेत्र में यथार्थवादी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, कंपनी इन-हाउस आरएंडडी प्रयासों द्वारा अधिक से अधिक पेटेंट उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है और सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग के लिए भारतीय रक्षा उद्योगों द्वारा इसका समय पर व्यावसायीकरण सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ रही है। इसके लिए MIL ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल राजस्व का 1% और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2% के रूप में R&D व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया है।

कंपनी ने सभी इकाइयों में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए आईपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की है। प्रशिक्षण के दौरान विकसित ज्ञान आधार ने कर्मचारियों के बीच संगठन के भीतर नवीन विचारों/आईपी को पकड़ने के लिए जागरूकता पैदा की है। आज तक लगभग, 2679 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

कंपनी ने विक्रेताओं को उनके परिसर में व्यापक प्रशिक्षण सत्र/ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करके और वेंडर्स मीट के दौरान और अब तक लगभग IPR से संबंधित गतिविधियों की सुविधा प्रदान की है। विभिन्न इकाइयों में पंजीकृत 637 वेंडरों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

हमारा मिशन विभिन्न गोला-बारूद और विस्फोटकों के अधिक से अधिक नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना है और हमें पूरा विश्वास है कि कंपनी के जारी प्रयास संगठनात्मक लाभ के लिए एक अभिनव संस्कृति को बढ़ावा देते हुए आईपी संपत्ति बनाने के लिए जारी रहेंगे।

एमआरजीएस के बाद की तारीख तक आईपीओ के साथ फाइलिंग आईपीआर का विवरण

Patent		Ind. design		Copyright		Trademark		Total	
Filed	GTD	Filed	Regd.	Filed	Regd.	Filed	Regd.	Filed	Regd.
142	01	28	03	47	21	42	23	259	48

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आईपी निर्माण की स्थिति

Target Given by MoD for FY 2022-23	156 Nos.
IP filed by MIL Till date (26-12-2022)	104 Nos.

ओएफबीए द्वारा उल्लेखनीय नवाचार

शीर्षक : Cord with non-explosive crystalline chemical and its application.

Patent No. : 360600

ग्रांट की तारीख : 09.03.2021.

Short Title : Cord Drill

कॉर्ड का विवरण :

गैर-विस्फोटक क्रिस्टलीय सामग्री के साथ कॉर्ड जिसमें पेंटा - एरिथ्रिटोल (पीई) जैसे ड्री फ्लोइंग क्रिस्टलीय रसायन को सीधे चम्मच डबल लेयर कॉटन यार्न कॉर्ड में शामिल किया जाता है और पीवीसी कोटिंग के साथ इन्सुलेशन किया जाता है। प्रशिक्षित सैन्य कर्मियों द्वारा गैर-विस्फोटक कॉर्ड की आसान पहचान के लिए लाइव डेटोनेटिंग कॉर्ड के सिमेट्रिकल कॉर्ड डायामीटर के संदर्भ में कॉर्ड लंबाई में एक रिज बनाया जाता है।



अधिक विपरीत रूप से इसका उपयोग प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

उक्त कॉर्ड लाइव कॉर्ड की नकल है और संभावित खतरों आदि में जागरूकता पैदा करने के लिए नव नियुक्त राज्य सेवाओं के व्यक्ति (जैसे सेना, राज्य पुलिस, गृह मंत्रालय के तहत अर्धसैनिक बल) को प्रशिक्षण के उद्देश्य से उपयोग करने में सक्षम है। इससे लाइव डेटोनेटिंग कॉर्ड का हस्तेमाल करने के दौरान दुर्घटना को कम करने और अंततः इंसान को अप्रत्याशित नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी।

कॉर्ड रील

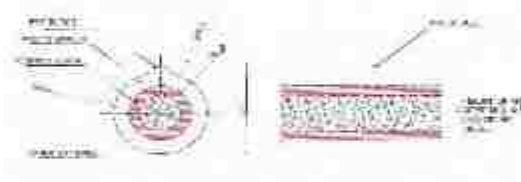


रिज



Technical Details

- Charge Mass of PE : 5.67gm/meter.
- Over all diameter : 5.0 to 5.5 mm
- Ridge : 1.0 ± 0.2 mm



9. मानव संसाधन विकास :

9.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण:

भारत सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया गया।

9.2 प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास Training & Human Resource Development :

कंपनी ने "गोला-बारूद प्रौद्योगिकी में देव-सक्षम एम.टेक" आयोजित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगस्त 2022 में शुरू हुए पहले बैच के लिए कंपनी के 10 (दस) कर्मियों को नामित और प्रायोजित किया गया है।

कंपनी के प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी (एनएडीपी), को "पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (बिजनेस मैनेजमेंट)" आयोजित करने के लिए एआईसीटीई की मंजूरी मिली है, जो छात्रों के लिए रक्षा उद्योगों पर ध्यान देने के साथ 2 साल का पूरी तरह से आवासीय कार्यक्रम है। वह प्रबंधन के क्षेत्र में अपना करियर बनाने / उन्नत करने के इच्छुक अधिकारियों के लिए है।



प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास में कंपनी का योगदान

- i) अपने कर्मचारियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ विभिन्न ट्रेडों में व्यापार प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए कंपनी की विभिन्न निर्माणियों /इकाइयों में इन-हाउस मानव संसाधन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- ii) ऑईनेंस फैक्ट्रीज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, खमरिया (OFILKH) डिजिटल लर्निंग कोर्स शुरू करने के लिए एनआईआईएलआईटी से संबद्धता प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।
- iii) रखरखाव, सुरक्षा, आईपीआर, अग्निशमन, प्रशासन, आईटी के क्षेत्रों में कंपनी के कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- iv) आईटीआई ट्रेड अपरेंटिस (कंपनी के कर्मचारियों के अलावा) को केमिकल (एओसीपी), मैकेनिकल (मशीनिस्ट, टर्नर, फिटर, वेल्डर आदि), इलेक्ट्रिकल (इलेक्ट्रीशियन), सिविल (प्लंबर, मेसन आदि) के ट्रेडों में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

मानव संसाधन को प्रेरित करने और उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए नई पुरस्कार और इनाम प्रणाली शुरू की गई है।

9.1 औद्योगिक संबंध:

औद्योगिक संबंध स्वस्थ, सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बने रहे।

औद्योगिक संबंध/औद्योगिक सद्भाव के लिए निगमित कार्यालय स्तर पर परामर्शी तंत्र का गठन किया गया है। इस मंच के माध्यम से कंपनी के विकास एवं वृद्धि में योगदान हेतु कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

10. रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन

17 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ कोई समझौता ज्ञापन नहीं किया गया।

11. राजभाषा कार्यान्वयन :

इस अवधि के दौरान कंपनी में राजभाषा अधिनियम, उसके नियम और राजभाषा विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में समय-समय पर जारी आदेश लागू किए गए। राजभाषा विभाग, राजभाषा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 17 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के वार्षिक कार्यक्रम को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों और कंपनी में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित रूप से बैठकें आयोजित की गईं।



12. ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अवशोषण, आदि के संरक्षण पर रिपोर्ट

12.1 ऊर्जा संरक्षण

12.1.1 उठाए गए कदम या ऊर्जा संरक्षण पर प्रभाव :

ऊर्जा संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

- विजली बचाने के लिए पारंपरिक छत के पंखों को ऊर्जा कुशल वीएलडीसी पंखों से बदलना।
- विजली बचाने के लिए पारंपरिक लाइटों को ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटों से बदलना।
- एलईडी लैंप के साथ स्ट्रीट सोडियम वाष्प लैंप की जगह और स्ट्रीट लाइट के लिए खगोलीय टाइमर नियंत्रण स्विच की स्थापना ताकि सूर्योदय पर रोशनी स्वतः बंद हो सके।
- कार्यालयों, कॉरिडोर, वाशरूम आदि में ऑक्जिपेंसी सेंसर लगाना।
- ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में ग्रिड से जुड़े सफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना।
- विजली कारक में सुधार के लिए सभी सबस्टेशनों और निर्माणियों और इस्टेट के अंदर उत्पादन शॉप पर एपीएफसी पैनलों की स्थापना।
- तेल प्रकार के ट्रांसफार्मर को ऊर्जा कुशल शुष्क प्रकार के ट्रांसफार्मर से बदलना।
- चिलर संयंत्र में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स को ऊर्जा दक्ष स्कू कंप्रेसर्स से बदलना।
- क्लिंग टॉवर फैन ब्लेड्स को एफवारपी ब्लेड्स से।
- पुराने कम कुशल H2 उत्पादन संयंत्र को नए उच्च कुशल H2 उत्पादन संयंत्र से बदलना।
- उच्च एचपी मोटर्स के लिए वीएफडी/साफ्ट स्टार्टर्स के साथ स्टार-डेल्टा स्टार्टर्स का प्रतिस्थापन।
- विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए खरीद तथा भविष्य की खरीद के तहत सभी संयंत्रों और मशीनरी के लिए तकनीकी विशेषताओं में ऊर्जा कुशल IE3 मोटर्स को शामिल किया गया है।
- पुराने बॉयलरों के स्थान पर ऊर्जा कुशल बॉयलरों की स्थापना।
- फर्नेस तेल की खपत को बचाने के लिए बॉयलर हाउसों में सौर जल तापन प्रणाली की स्थापना।
- बॉयलर में प्री-हीटिंग बॉयलर फीड वाटर के लिए फ्लू गैस का उपयोग करने के लिए इकोनोमाइजर की स्थापना।

12.1.2 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम-

कंपनी ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के विकास और उपयोग के लिए कई कदम उठाए हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग करने और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत को विकसित करने के लिए विभिन्न इकाइयों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की खरीद और स्थापना की गई है।

12.1.3 ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश।

विभिन्न इकाइयों में सफ-टॉप और ग्राउंड सोलर प्लांट लगाए गए हैं।

12.2 प्रौद्योगिकी अवशोषण



12.2.1 उत्पादन के दौरान स्वदेशी प्रौद्योगिकी का समावेश

पिनाका रॉकेट के दो संस्करण अर्थात् DPICM और उन्नत रेंज MK-II, जिसके लिए DRDO से TOT लिया गया था, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। साथ ही, गाइडेड पिनाका रॉकेट का विकास उन्नत चरण में है। 125 मिमी एफएसएपीडीएस अभ्यास गोला बारूद का उत्पादन जिसके लिए डीआरडीओ से टीओटी लिया गया था, सफलतापूर्वक शुरू कर दिया गया है। बीएमसीएस का उत्पादन डीआरडीओ (एचईएमआरएल) के सहयोग से स्वदेशी रूप से स्थापित किया गया है।

मैसर्स यूगोइम्पोर्ट यूगोस्लाविया द्वारा आपूर्ति किए गए नाइट्रोसेल्यूलोज प्लांट-II (एनसी-II) और मैसर्स बोवास, ऑस्ट्रिया द्वारा आपूर्ति किए गए नाइट्रोसेल्यूलोज प्लांट-III (एनसी-III) का स्वचालन ओएफ भंडारा में इन-हाउस प्रयासों के माध्यम से सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

12.2.2 उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ प्राप्त हुए

प्रौद्योगिकी अवशोषण के माध्यम से उत्पाद की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उत्पाद की लागत भी काफी कम हो गई है।

आयुध निर्माणी, चांदा में पिनाका परियोजना से प्राप्त लाभ हैं :-

- विस्फोटक के घनत्व में सुधार।
- सुधार के लिए रिटर्न में कमी (आरएफआर)
- उत्पादन के चर्टों में कमी
- उत्पादकता में वृद्धि।

आयुध निर्माणी, नालंदा ने गतिशील (डायनेमिक) परीक्षणों के दौरान उप-शून्य तापमान (-30 डिग्री सेल्सियस) में बीएमसीएस एम92 की विस्तारित परिचालन सीमा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। यह अत्यधिक ठंडे पर्यावरणीय परिस्थितियों में स्वदेशी बीएमसीएस की तैनाती की सुविधा प्रदान करेगा और बीएमसीएस (एक्स-ओएफएन) को अन्य विदेशी प्रतिस्पर्धियों के अंतरराष्ट्रीय मानक के बराबर साबित करेगा।

आयुध निर्माणी, भंडारा में, नाइट्रोसेल्यूलोज संयंत्र के स्वचालन के बाद निम्नलिखित लाभ अर्जित किए गए हैं :

- ऑपरेशन के दौरान मैनुअल हस्तक्षेप में कमी।
- नाइट्रेशन के बाद बिजली गुल होने की स्थिति में धोल के जमा होने के कारण सर्कुलेशन लाइन वाल्व में कोई चोकिंग नहीं।
- एनसी और एमिड की बर्बादी नहीं।
- खतरनाक कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों के जोखिम में कमी।

12.2.3 उत्पादन के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी का अवशोषण :

- एचईपीएफ में 3VBM17 राउंड (AMK 339- मैगो गोला बारूद) का उत्पादन



i. आयुध निर्माणी भंडारा में 125 मिमी FSAPDS (मैंगो प्रोजेक्ट) के लिए सिंगल और डबल बेस प्रोपेलेंट प्लांट की स्थापना
आयुध निर्माणी भंडारा में 125 मिमी FSAPDS (मैंगो प्रोजेक्ट) के लिए सिंगल और डबल बेस प्रोपेलेंट प्लांट की स्थापना और चालू किया जा रहा है।

ii. आयुध निर्माणी भंडारा में 125 मिमी FSAPDS (मैंगो प्रोजेक्ट) के लिए पाइरोक्सिलीन शीट प्लांट की स्थापना

आ.नि. भंडारा में 125 मिमी FSAPDS (मैंगो प्रोजेक्ट) के लिए पाइरोक्सिलीन शीट प्लांट की स्थापना और चालू किया जा रहा है।

iii. नए सिंगल बेस प्रोपेलेंट प्लांट की स्थापना

वर्ष 2022 में आयुध निर्माणी भंडारा में नए सिंगल बेस प्रोपेलेंट प्लांट की आपूर्ति के लिए मैसर्स बोवास, ऑस्ट्रिया के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। संयंत्र के 2024 तक चालू होने की उम्मीद है।

iv. आयुध निर्माणी, नालंदा में ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट और एनसी-एनजी मिक्सिंग प्लांट की स्थापना वर्ष 2021 में आयुध निर्माणी नालंदा में ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट और NC-NG मिक्सिंग प्लांट की आपूर्ति के लिए मैसर्स एलविट, इजराइल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। संयंत्रों के 2024 तक चालू होने की उम्मीद है।

12.2.3 अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय

वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही (अर्थात् 01/10/2021 से 31/03/2022 तक) के दौरान कंपनी द्वारा R&D पर किया गया कुल व्यय: INR 1150 लाख।

कंपनी ने लागत में कमी और व्यय के अनुकूलन के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है :

i. ठेका मजदूर और सेवाएं

ठेका श्रमिकों को काम पर रखने के लिए किए गए खर्च को कम करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। कंपनी की सभी इकाइयों ने ठेका मजदूरों की आवश्यकता का विस्तार से अध्ययन किया है और उसे 10% से अधिक कम किया है।

ii. मौजूदा अपरिहार्य अस्वीकृति (यूएआर) में कमी

सभी प्रमुख स्टोर्स के यूएआर में कमी के लिए कंपनी की प्रत्येक उत्पादन इकाइयों द्वारा ठोस कार्रवाई की गई है और इसके परिणामस्वरूप प्रमुख स्टोर्स के यूएआर को 10% से नीचे लाया गया है। सभी उत्पादन इकाइयों ने अस्वीकृति को कम करने के लिए प्रक्रिया में सुधार किया है और मशीन रखरखाव गतिविधियों की आवृत्ति को अनुकूलित किया है, जिससे अंततः यूएआर में कमी आई।

iii. पानी की खपत में कमी:

कंपनी ने इस्टेट और निर्माणियों में पानी की खपत को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे वर्षा जल संचयन, डी-सिल्टिंग और जल निकासों की वहाली, बोर के पानी की स्थापना और पुनः साइकल पानी का पुनः उपयोग आदि।



iv. ऊर्जा संरक्षण और सौर ऊर्जा का उपयोग:

कंपनी की सभी इकाइयों ने लोड संतुलन सहित ऊर्जा कुशल उपकरणों और फिटिंग का उपयोग किया है और बिजली खर्च को कम करने के लिए गैर-पारंपरिक ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा का सहारा लिया है। प्रत्येक यूनिट के कार्यालयों, उत्पादन इकाइयों और इस्टेट में ऊर्जा कुशल प्रकाश फिटिंग, एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप बिजली की बचत हुई है।

अधिकांश इकाइयों में बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में, यह 28 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है जो कंपनी की कुल बिजली आवश्यकता का लगभग 40% है।

V. खर्च कम करने के लिए जहां भी संभव हो प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जाए

मीटिंग, वेंडर मीट, कस्टमर मीट आदि आयोजित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सभी खरीद मामलों को अधिकारियों / कर्मचारियों के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके संसाधित किया जा रहा है। इसके अलावा, इकाइयों और कॉर्पोरेट कार्यालय के बीच संचार के लिए ईमेल सेवाओं का उपयोग किया गया है जो त्वरित संचार प्रदान करता है और कागज और छपाई की लागत को भी कम करता है।

13. सतर्कता मामले

सतर्कता मामलों की इखरेख के लिए कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के रैंक के एक अधिकारी को नामित किया गया है। रिपोर्टाई अवधि के दौरान सतर्कता मामलों से संबंधित आवधिक रिपोर्ट नियमित रूप से मंत्रालय को भेजी जाती थी। 17 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान एक सतर्कता शिकायत प्राप्त हुई थी।

14. निदेशक मंडल और बोर्ड की बैठकें :

कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति और उनका पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। इसलिए, योग्यता, सकारात्मक दृष्टिकोण, निदेशक की स्वतंत्रता तथा धारा 178 की उप-धारा (3) के तहत प्रदान किए गए अन्य मामलों सहित कंपनी के पास निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक पर कोई नीति नहीं है।

आज की तारीख में, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड में श्री रवि कांत अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री देवाशीष बनर्जी निदेशक/मानव संसाधन, श्री सुशांत कुमार राउत निदेशक/संचालन, श्री प्रकाश अग्रवाल निदेशक / वित्त और श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव, संयुक्त सचिव (एलएस) सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में हैं।

17 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान बोर्ड की चार बैठकें दि. 20.08.2021, दि. 08.09.2021, दि.01.10.2021 और दि.18.01.2022 को आयोजित की गईं।

15. लेखा परीक्षक :

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने मैसर्स पी.जी. भागवत एलएलपी, सूट 102, ऑर्चर्ड, डॉ. पाई मार्ग वाणेरे, पुणे -411045 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत 17 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में और 12 अन्य फर्म को ब्रांच लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

लेखा परीक्षकों ने 17 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए कंपनी के खातों का ऑडिट किया है। आवश्यक अनुबंध और रिपोर्ट के साथ ऑडिट किए गए खाते इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।



16. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :

आरटीआई आवेदनों प्राप्त करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए कंपनी में आरटीआई मशीनरी मौजूद है। म्युनिशन इंडिया लिमिटेड में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन की दिशा में कंपनी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई है।

1. मुख्य लोक सूचना अधिकारी
श्री शहीर फारुकी
2. अपीलीय प्राधिकारी
श्री अविनाश तरहावदकर

17. सतर्क तंत्र :

बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अमल में लाने के लिए कंपनी व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी तैयार कर रही है। नीति का उद्देश्य धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम के लिए एक प्रणाली प्रदान करना है, किसी भी धोखाधड़ी का पता लगने या संदेह होने की सूचना देना और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों के निष्पक्ष व्यवहार करना है।

18. ऑडिट कमेटी :

ऑडिट कमेटी का गठन किया जा रहा है।

19. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट :

प्रपत्र सं. एमआर-3, सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इसके साथ अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है।

20. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ:

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में दी गई राय के अस्वीकरण पर निदेशक मंडल द्वारा स्पष्टीकरण :

वैधानिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अस्वीकरण राय प्रदान की है। निम्नलिखित तालिका सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में प्रदान की गई राय के अस्वीकरण के आधार पर निदेशक मंडल द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है। लेखापरीक्षकों द्वारा विस्तृत टिप्पणी के लिए वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट देखें।



Sr. No.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	स्पष्टीकरण
1	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से उद्धरण अस्वीकरण राय का आधार : हम अनुलग्नक ए में वर्णित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जहां हम पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं और पहचाने गए गलत बयानों के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है, साथ ही अनिर्धारित गलत बयानों के संभावित प्रभाव, यदि कोई हो, जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए सामग्री और वित्तीय विवरणों के लिए व्यापक दोनों हो सकते हैं। परिणामस्वरूप, इन मामलों में हम यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि क्या कोई समायोजन आवश्यक है और इसके संबंध में किए जाने की आवश्यकता है।	प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की वित्तीय स्थिति, 17 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए इसके प्रदर्शन और उक्त अवधि के लिए नकदी प्रवाह के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। लेखापरीक्षकों द्वारा जारी राय के अस्वीकरण के आधार वाली प्रत्येक मद के लिए प्रबंधन की प्रतिक्रिया नीचे सूचीबद्ध है।
	नियमों द्वारा आवश्यक खातों की पुस्तकों के रखरखाव का अपालन	कंपनी के खातों की पुस्तकों में मुख्य फॉक्सप्रो आधारित लेखा प्रणाली शामिल है जो सिस्टम में पोस्ट की गई लेखांकन प्रविष्टियों को दोहरी प्रविष्टि के आधार पर रिकॉर्ड करती है। कई अन्य पूरक प्रणालियाँ हैं जो मुख्य प्रणाली की पूरक हैं। प्रत्येक लेखांकन प्रविष्टि विधिवत अनुमोदित प्रासंगिक वाउचर, बिल, सहायक दस्तावेजों आदि द्वारा समर्थित है। ये कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सामूहिक रूप से रखे जाने वाले खातों की पुस्तकों का निर्माण करते हैं। प्रबंधन के विचार में, कंपनी ने नियमानुसार आवश्यक खातों की उचित पुस्तकों को बनाया है। कंपनी को लेखा सॉफ्टवेयर रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) से विरासत में मिला है, जो पूर्ववर्ती ओएफवी के खातों की पुस्तकों का रखरखाव करता था। कंपनी को हस्तांतरित इकाइयों के आकार, मात्रा और भौगोलिक विस्तार को देखते हुए तथा ओएफवी के निगमिकरण के हिस्से के रूप में रिपोर्टिंग तिथि तक व्यवसाय प्राप्त करने से लेकर रिपोर्टिंग तिथि तक की छोटी अवधि के लिए कंपनी ने खातों की पुस्तकों की रखरखाव की मौजूदा प्रणाली को जारी रखने का फैसला किया है। डीएडी द्वारा तैयार किए गए खातों की पुस्तकों को पूर्व में सी एंड एजी द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन किया गया था। रिपोर्ट तैयार करने की कुछ प्रणालीगत सीमाएँ हैं, जैसे कि अन्य प्रणालियों में उपलब्ध कुछ मानक रिपोर्टें कंपनी की वर्तमान प्रणाली से उपलब्ध नहीं हैं। प्रबंधन ने पहले ही इस संबंध में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है और 1 अप्रैल 2022 से टैली वाली दूसरी प्रणाली को लागू करने और माइग्रेट करने का निर्णय लिया है। प्रबंधन नई प्रणाली में माइग्रेशन के माध्यम से लेखापरीक्षकों द्वारा पहचाने गए विभिन्न सिस्टम संबंधी मुद्दों को हल करने की उम्मीद करता है।



		auditors through migration to the new system.
1 अक्टूबर, 2021 को व्यवसाय पुनर्गठन पर प्राप्त शेष राशि का ऑडिट नहीं किया गया है।	पूर्व ओएफवी को विभिन्न रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में निगमीकरण के कारण गोला-बारूद और विस्फोटकों के निर्माण से संबंधित पूर्व ओएफवी की बारूद उत्पादन इकाइयों और चार गैर-उत्पादन इकाइयों की संपत्ति और देनदारियां (इसके बाद "व्यवसाय" के रूप में देखें) को कंपनी के 1 अक्टूबर, 2021 को स्थानांतरित कर दिया गया था। कंपनी द्वारा प्रत्येक इकाई के लिए रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) द्वारा तैयार किए गए खातों से अधिग्रहण किए गए व्यवसाय की संपत्ति और देनदारियों को प्राप्त किया गया था। चूंकि कंपनी पहली बार स्थानांतरित किए गए व्यापार के संबंध में अपनाई गई है (वितीय विवरणों के नोट 39 देखें), कंपनी की लेखा नीतियों के साथ संरेखित करने के लिए इन खातों में संबंधित इंड-एएस समायोजन किए गए थे, जिसका विवरण प्रदान किया गया है। वैधानिक लेखा परीक्षक (शाखा लेखा परीक्षकों सहित)। इसके अतिरिक्त, डीएडी द्वारा तैयार किए गए खातों में दर्ज नहीं की गई वस्तुओं के लिए खाते में ली गई परिसंपत्तियों और देनदारियों में कुछ अन्य समायोजन दर्ज किए गए थे। जबकि किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा लेखापरीक्षित संपत्तियों और देनदारियों के प्रारंभिक मूल्य को प्राप्त करने के लिए कोई निर्देश या कार्यालय ज्ञापन या वैधानिक आवश्यकता नहीं थी, प्रारंभिक शेष राशि में किए गए समायोजन के विवरण सहित सभी प्रारंभिक शेष राशि का विवरण स्थानांतरित किया गया है लेखापरीक्षकों को उनके सत्यापन के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।	
अंतर-इकाई लेनदेन और शेष राशि का समाधान	वर्तमान लेखा प्रणाली को दोनों संबंधित इकाइयों द्वारा एक साथ अंतर-इकाई लेनदेन को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करने के लिए कॉन्फिगर नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, कंपनी की एक इकाई से दूसरी इकाई में माल की बिक्री के मामले में, माल जो पारगमन में हैं, तब तक रिकॉर्ड नहीं किया जाता है जब तक कि माल प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप बिक्री और खरीद और संबंधित प्राप्त और देय इकाइयों के बीच में बेमेल हो जाता है। प्रबंधन इस तरह के अंतरों से अवगत है और तदनुसार अंतर-इकाई शेषों के समाधान के लिए उचित लेखा प्रविष्टियां पोस्ट की हैं। प्रबंधन प्रक्रिया को और मजबूत करेगा और इंटर-यूनिट लेनदेन के संबंध में नियंत्रण लागू करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सिस्टम में यूनिट स्तर पर इस तरह के लेनदेन का उचित विवरण बनाए रखा जाए और समय से मिलान किया जाए और अनुमोदित किया जाए।	



	देय खरीद और व्यापार के लेखांकन से संबंधित प्रक्रिया बिक्री और व्यापार प्राप्तियों के लेखांकन से संबंधित प्रक्रिया	लेखापरीक्षकों द्वारा हाइलाइट किए गए मुद्दे सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट की उपलब्धता से संबंधित हैं, जो बकाया व्यापार देय और व्यापार प्राप्तियों की विस्तृत चालान-वार और पार्टी-वार सूची को उजागर करते हैं, सामान्य खाता बही के साथ-साथ रिपोर्टिंग तिथि पर इन शेषों की पुष्टि और समाधान के लिए सहमत हैं। इसके अलावा, हाइलाइट किए गए मुद्दों में खरीदारी रिकॉर्ड करने का समय और खरीदारी रिकॉर्ड करने की सटीकता भी शामिल है। मौजूदा बहीखाता प्रणाली में ऐसी विस्तृत लेन-देन वार रिपोर्ट तैयार करने की सीमाएँ हैं। प्रबंधन का मानना है कि नई प्रणाली में स्थानांतरण से इस मामले को हल करने में मदद मिलनी चाहिए। हालांकि, कंपनी ने अलग से लेन-देन के हिसाब से प्राप्य खातों की सूची और देय खातों को सामान्य खाता बही से व्यवस्थित किया है और सत्यापन के लिए लेखा परीक्षकों को प्रदान किया गया है। कंपनी वर्तमान में आपूर्तिकर्ताओं के साथ सहमत समझौतों की शर्तों के अनुसार सामग्री की स्वीकृति के आधार पर खरीदारी को रिकॉर्ड करती है और इसलिए मानती है कि खरीद की रिकॉर्डिंग का वर्तमान समय उपयुक्त है। खरीद की रिकॉर्डिंग की सटीकता के संबंध में, कंपनी ने पूर्ववर्ती ओएफबी से विरासत में मिली बहीखाता प्रणाली में कॉन्फिगर किए गए नियंत्रणों का पालन किया। प्रबंधन का मानना है कि नई प्रणाली में स्थानांतरण से इस मुद्दे का समाधान होता चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन प्रक्रिया को और मजबूत करेगा और तीसरे पक्ष की पुष्टि और सुलह, सामान्य खाता बही के सुलह के संबंध में व्यापार देय और व्यापार प्राप्तियों के संबंध में नियंत्रण लागू करेगा।
	इंवेंटरी	लेखा परीक्षकों द्वारा उजागर किए गए मुद्दों में अस्तित्व, मूल्यांकन और गैर-चलती और धीमी गति से चलने वाले प्रावधानों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं।



	31 मार्च 2022 तक प्रत्येक इकाई के स्टॉक सत्यापन समूह द्वारा इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया था और विसंगतियों, जहां पहचान की गई थी, को आवश्यक अनुमोदन के बाद वित्तीय विवरणों में समायोजित किया गया था। भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट संबंधित शाखा लेखापरीक्षकों के साथ साझा की गई है। प्रबंधन मीजूदा भौतिक सत्यापन प्रक्रिया की और समीक्षा करेगा और उसे मजबूत करेगा और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त नियंत्रण लागू करेगा। लेखा परीक्षकों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि गैर-उत्पादन ओवरहेड्स जैसे विक्री और प्रशासनिक ओवरहेड्स को भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन उद्देश्यों के लिए माना जाता है। इसके अलावा, अंतर-यूनिट इन्वेंट्री के संबंध में अप्राम लाभ या हानि की पहचान नहीं की जाती है और यूनिट स्तर पर अलग-अलग इन्वेंट्री पर इसका हिस्सा लगाया जाता है। प्रबंधन ने इन्वेंट्री मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान इन समायोजनों के प्रभाव का मूल्यांकन किया था और निष्कर्ष निकाला था कि इन्वेंट्री के मूल्यांकन पर ऐसे समायोजनों का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है और इसलिए इन्वेंट्री वाले मूल्यों को समायोजित नहीं किया गया था। लेखा परीक्षकों ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर इन्वेंट्री का मूल्यांकन उचित नहीं है। प्रबंधन ने इन्वेंट्री के प्रत्येक आइटम का विस्तृत आइटम-वार मूल्यांकन किया है और यह निर्धारित किया है कि उन आइटमों का प्रभाव जहां शुद्ध वसूली योग्य मूल्य लागत से कम था, वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेखा परीक्षकों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कंपनी ने इन्वेंट्री के नॉन-मूर्विंग और स्लो-मूर्विंग आइटम के लिए प्रदान नहीं किया है। हालांकि, कंपनी ने 1 अक्टूबर, 2021 की स्थानांतरण तिथि के अनुसार इन्वेंट्री की ऐसी वस्तुओं की पहचान की है और उन्हें प्रदान किया गया था। ऐसे समायोजनों का विवरण लेखापरीक्षकों को उनके सत्यापन के लिए प्रदान किया गया था। प्रबंधन ने आगे 31 मार्च 2022 तक की स्थिति का आकलन किया और निर्धारित किया कि किसी अतिरिक्त प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है।
जीएसटी से संबंधित लेखा	लेखा परीक्षकों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को वित्तीय विवरणों में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (ईसीएल) में दिखाई देने वाली शेष राशि के आधार पर जीएसटी रिटर्न के अनुसार खरीद की बातों की किताबों के अनुसार मिलान किए बिना मान्यता दी गई है।



		लेखा परीक्षकों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को वित्तीय विवरणों में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (ईसीएल) में दिखाई देने वाली शेष राशि के आधार पर जीएसटी रिटर्न के अनुसार खरीद को खातों की किताबों के अनुसार मिलान किए बिना मान्यता दी गई है। कंपनी द्वारा अपनाई गई वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, इनपुट जीएसटी के लिए क्रेडिट को पार्टी को भुगतान करते समय पहचाना गया था न कि चालान की रिकॉर्डिंग के समय। प्रबंधन ने निर्धारित क्रिया कि जीएसटी रिटर्न के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट और खाते की पुस्तकों के बीच का अंतर केवल चालान की रिकॉर्डिंग के समय क्रेडिट की गैर-रिकॉर्डिंग के कारण है और इसलिए पुस्तकों में शेष राशि को तदनुसार समायोजित किया गया है। मौजूदा लेखा प्रणाली की सीमा के कारण, खातों की पुस्तकों और ईसीएल के बीच जीएसटी समाधान विस्तार से नहीं किया जा सका। हालांकि, प्रबंधन को उम्मीद है कि कंपनी के नई प्रणाली में जाने के बाद इस मुद्दे का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा, प्रबंधन जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए विचार की गई खरीदारी की सूची और खातों की किताबों में मान्यता प्राप्त संबंधित क्रेडिट की समीक्षा करेगा और विस्तार से मिलान करेगा।
	शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा जारी की गई संबंधित रिपोर्टों में उल्लिखित टिप्पणियों से युक्त अनुबंध ए के खंड 11 में शामिल अन्य मामले	शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा उजागर किए गए अन्य मामलों में मुख्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन का विवरण उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया है और अचल संपत्ति रजिस्टर में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में उचित रिकॉर्ड नहीं बनाए गए हैं। प्रबंधन ने एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से भूमि, भवन और संयंत्र और मशीनरी की वस्तुओं का एक विस्तृत उचित मूल्यांकन अभ्यास किया था। इसलिए प्रबंधन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं के अस्तित्व के साथ सहज है। प्रबंधन उचित अवधि में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रत्येक मद के भौतिक सत्यापन को कवर करने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार करेगा। प्रबंधन ने मूल्यहास, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य के संबंध में लेखापरीक्षकों द्वारा उजागर की गई टिप्पणियों का आकलन किया है और यह निर्धारित किया है कि कंपनी के स्तर पर इससे होने वाले किसी भी समायोजन का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।



आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय का अस्वीकरण	यह कंपनी के निगमन का पहला वर्ष है। कंपनी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को औपचारिक बनाने और बढ़ाने की प्रक्रिया में है। रिपोर्टिंग तिथि के बाद इस संबंध में इसने पहले ही कुछ उपाय कर लिए हैं। इसमें प्रत्येक व्यावसायिक प्रक्रिया के लिए एक औपचारिक जोखिम और नियंत्रण मैट्रिक्स बनाना शामिल है क्योंकि वे वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित हैं। कंपनी प्रत्येक इकाई स्तर पर लेखांकन प्रक्रियाओं को ठीक करने और प्रत्येक इकाई स्तर पर संबंधित मुद्दों को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक इकाई स्तर पर योग्य लेखाकारों को नियुक्त करने की प्रक्रिया में भी है।
---	---

21. संचिबीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ:

- 21.1 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) के साथ पठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार, कंपनी के लिए कम से कम 2 स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता है। हालांकि, कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। इस प्रकार, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में नहीं है।

जवाब : म्युनिशन इंडिया लिमिटेड एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और भारत सरकार के 100% स्वामित्व में सरकारी कंपनी है। इसलिए, म्युनिशन इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल को रक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। म्युनिशन इंडिया लिमिटेड की अपने निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए रक्षा मंत्रालय को इसकी सूचना दी जाएगी।

- 21.2 स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन नहीं किया है।

जवाब : म्युनिशन इंडिया लिमिटेड एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और भारत सरकार के स्वामित्व में 100% सरकारी कंपनी है। इसलिए, रक्षा मंत्रालय द्वारा म्युनिशन इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की नियुक्ति की जाती है। म्युनिशन इंडिया लिमिटेड की अपने निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए रक्षा मंत्रालय को इसकी सूचना दी जाएगी।

इसके अलावा, अब हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करने जा रहे हैं।



- 21.3 स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष के लिए गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के खंड VII का अनुपालन नहीं किया है।

जवाब : म्युनिशन इंडिया लिमिटेड एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और भारत सरकार के 100% स्वामित्व में सरकारी कंपनी है। इसलिए, म्युनिशन इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल को रक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। म्युनिशन इंडिया लिमिटेड की अपने निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए इसकी सूचना रक्षा मंत्रालय को दी जाएगी।

इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, कंपनी गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के खंड VII का अनुपालन करेगी।

- 21.4 17 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक शुरू होने वाले पहले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल का कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठन नहीं किया गया था।

जवाब : म्युनिशन इंडिया लिमिटेड एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और भारत सरकार के 100% स्वामित्व में सरकारी कंपनी है। इसलिए म्युनिशन इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल को रक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। म्युनिशन इंडिया लिमिटेड की अपने निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है। स्वतंत्र निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए इसकी सूचना रक्षा मंत्रालय को दी जाएगी।

22 जोखिम प्रबंधन नीति :

निदेशक मंडल व्यवसाय के आंतरिक और बाहरी जोखिमों की समय-समय पर समीक्षा करेगा ताकि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। इसकी आंतरिक कमजोरियों और विभिन्न बाहरी खतरों की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रिपोर्ट रखी जाएगी।

23 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व :

चूंकि 17 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि कंपनी के संचालन की पहली अवधि थी, सीएसआर कंपनी पर लागू नहीं था।

24 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण।

महिला स्टाफ सदस्यों की शिकायत के निवारण के लिए म्युनिशन इंडिया लिमिटेड की एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है।

17 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान प्राप्त और निपटाए गए यौन उत्पीड़न की शिकायतों का सारांश निम्नलिखित है -

प्राप्त शिकायतों की संख्या	-	शून्य
निपटाई गई शिकायतों की संख्या	-	शून्य



25 निगम से संबंधित कॉरपोरेट गवर्नेंस :

गवर्नेंस अपने कामकाज में पारदर्शिता, अखंडता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कॉरपोरेट प्रशासन की सर्वोत्तम नीतियों का निरंतर अनुसरण करती है। इन प्रयासों को उजागर करने वाली कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है (अनुबंध I)।

26 सावधि जमा:

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(31), 73 और 74 के तहत जनता से जमा आमंत्रित नहीं किया है।

27 कर्मचारियों का विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के तहत कर्मचारियों की श्रेणी में आने वाला कोई कर्मचारी नहीं था। नियम, 2014 (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) के नियम 5(2) और 5(3) के साथ पठित।

28 अनुसंधान और विकास :

कंपनी की सभी इकाइयों के पास आंतरिक अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों द्वारा उत्पाद सुधार और स्वदेशीकरण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अनुसंधान एवं विकास इकाइयां हैं। तदनुसार, इन केंद्रों द्वारा कई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं और पूर्णता के विभिन्न चरणों में हैं। 113.00 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ परियोजनाओं की कुल संख्या 89 है।

29 आभार:

बोर्ड कंपनी के बिजनेस पार्टनरों को म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड में उनके सहयोग और कंपनी में उनके विश्वास के लिए आभारी है और पूरी आशा करता है कि भविष्य में भी ऐसा ही निरंतर पारस्परिक सहयोग जारी रहेगा। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जो समर्थन और मार्गदर्शन मिलता रहा है, उसके प्रति भी निदेशक मंडल आभार प्रकट करता है, विशेष रूप से कंपनी के संचालन में रक्षा मंत्रालय से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए भी आभार व्यक्त करता है। निदेशक सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों, बैंकों, संरक्षकों और कंपनी के ग्राहकों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। बोर्ड म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के उत्साहपूर्ण और समर्पित कार्य की तहे दिल से प्रशंसा करता है तथा रिपोर्ट की अवधि के दौरान कंपनी के सुचारु कामकाज के लिए उनका उत्कृष्ट टीम प्रयास एवं सहयोग बहुमूल्य था।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी की ओर से

(रवि कान्त)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

DIN No.09283919

स्थान : पुणे

दिनांक : 27/12/2022



कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (अनुलग्नक- I)

17 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

म्युनिशन इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम, भारत सरकार द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करता है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट नीचे दी गई है-

1. कॉर्पोरेट शासन संहिता पर कंपनी की धारणा :

म्युनिशन इंडिया लिमिटेड अपने सभी स्टैकहोल्डर्स के हितों की रक्षा, प्रचार और सुरक्षा के लिए उपयुक्त पारदर्शी प्रणालियों और अभ्यास द्वारा समर्थित अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए प्रतिबद्ध है।

म्युनिशन इंडिया लिमिटेड देश और विदेश में विस्फोटक और गोला-बारूद के निर्माण के लिए एक प्रतिस्पर्धी, ग्राहक-हितैषी और विकासोन्मुख संगठन के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अपने सभी ग्राहकों को पारदर्शी तरीके से ग्राहकों के अनुकूल सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

निदेशक मंडल :

बोर्ड की संरचना :

एमआईएल के निदेशक मंडल में पाँच सदस्य शामिल हैं, जिनमें से चार कार्यात्मक निदेशक हैं और एक भारत सरकार द्वारा नामित है। निदेशक मंडल में नियुक्ति अनुभव, ज्ञान एवं कार्यकुशलता के आधार पर की जाती है।

31 मार्च 2022 को बोर्ड की संरचना इस प्रकार थी -

कार्यकारी निदेशक

श्री रवि कान्त	- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री देवाशीष बैनर्जी	- निदेशक / एक्ज़ाईक्यूटिव
श्री एस.के. राउत	- निदेशक / ऑपरेशन
श्री वी.सी. वर्मा	- निदेशक / वित्त

गैर - कार्यकारी निदेशक :

श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव

सरकार द्वारा नामित निदेशक

बोर्ड तथा समितियों संबंधी अन्य प्रावधान

17 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक का विवरण -

- 17 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान बोर्ड की चार बैठकें 20.08.2021, 08.09.2021, 01.10.2021 और 18.01.2022 को आयोजित की गईं।



ii. बोर्ड के पास कंपनी के संबंध में सभी आवश्यक सूचनाएं तथा जानकारीयां उपलब्ध हैं जिनसे निदेशक मंडल को

विभिन्न समितियों को कुशल और प्रभावशाली निर्णय लेने में आसानी होती है।

iii. 17 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान बोर्ड मीटिंग में निदेशकों की उपस्थिति, पिछली वार्षिक बैठक में उपस्थिति, अन्य निदेशीय उत्तरदायित्वों की संख्या (अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों/समितियों

में निदेशकों की सदस्यता) आदि का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	बोर्ड मीटिंग		पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	31/03/2022 को अन्य निदेशकों की संख्या	31/03/2022 को समिति के अन्य सदस्यता की संख्या	
			अवधि के दौरान आयोजित	उपस्थित रहे			As Chairman	As Member
1	श्री रवि कान्त	अध्यक्ष एवं अवैध निदेशक	4	4	लागू नहीं	0	0	0
2	श्री देवाशीष वेनर्जी	निदेशक / मानव संसाधन	4	4	लागू नहीं	0	0	0
3	श्री सुशान्त कुमार राउत	निदेशक / ऑपरेशन	4	4	लागू नहीं	1	0	0
4	श्री विवेक चंद्र वर्मा	निदेशक / वित्त Director Finance	2	2	लागू नहीं	0	0	0
5	श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव	सरकारी नामांकित निदेशक	1	0	लागू नहीं	2	0	0

i. बोर्ड का कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है।

ii. नए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

श्री विवेक चंद्र वर्मा, निदेशक/वित्त की नियुक्ति दिनांक 01.10.2021 से की गई थी और श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव दिनांक 30.11.2021 से सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। वह रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव (एलएस) के रूप में कार्यरत हैं।

1.1 आचार संहिता

कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों की आचार संहिता के बारे में कंपनी के मिशन और उद्देश्यों के अनुकूल आचार संहिता पर एक नीति तैयार कर रही है जिसका उद्देश्य कंपनी की कार्य संचालन प्रणालि में नैतिक पारदर्शिता की अभिवृद्धि करना है।



2. निदेशक मंडल की समितियाँ

2.1 बोर्ड द्वारा शीघ्र ही निम्नलिखित समितियों का गठन किया जाएगा:-

- लेखा परीक्षा समिति
- नामांकन और पारिश्रमिक समिति
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

2. वार्षिक आम बैठक :

चूंकि, यह संचालन की पहली अवधि है, अब तक कोई वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं की गई है ।

3. प्रकटीकरण :

- i. संबंधित पार्टियों अर्थात् प्रमोटर्स, निदेशकों या प्रबंधन के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया गया है । जिनका सीधा प्रभाव कंपनी के हितों पर पड़ा है।
- ii. कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट में शामिल करने के लिए सुझाए गए मदों को अपनाया है।
- iii. कंपनी के निदेशकों के बीच कोई आंतरिक संबंध नहीं है ।
- iv. सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशा-निर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई दंड या निंदा नहीं लगाई गई है ।

सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यक अतिरिक्त प्रकटीकरण -

- i. ब्रही खातों में डेबिट की गई व्यय की मदें जो व्यवसाय के प्रयोजन के लिए नहीं होती हैं - शून्य
- ii. व्यक्तिगत किस्म के खर्चें तथा वे खर्चें जो निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हैं - शून्य
- iii. 17 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय 4% है ।
- iv. गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाने / न अपनाने की जानकारी यहाँ नीचे दी गई है-

गैर-अनिवार्य आवश्यकताएँ

i. निदेशक मंडल

कंपनी का नेतृत्व एक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है । कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं ।

ii. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

शीघ्र ही नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया जाएगा ।

iii. शेयरहोल्डरों के अधिकार

अभी तक शेयरधारकों को पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित छमाही वित्तीय परफॉरमेंस भेजने की कोई व्यवस्था नहीं है ।



- iv. ऑडिट संबंधी योग्यता – लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न है।
- v. बोर्ड के सदस्य का प्रशिक्षण – यह आवश्यकता पर आधारित है

vi. विहसिल ग्लोअर नीति

कंपनी द्वारा विहसिल ग्लोअर नीति तैयार की जा रही है, जिसमें धोखाधड़ी का पता लगाने, रोकथाम तथा रिपोर्टिंग के लिए विहसिल ग्लोअर तंत्र स्थापित किया जाएगा। यह नीति किसी भी संदेहात्मक धोखाधड़ी जिसमें कोई कर्मचारी, स्टकहोल्डर, सलाहकार, विक्रेताओं, उधार लेने या देने वाला ठेकेदार, कंपनी के साथ व्यवसाय करने वाली बाहरी एजेंसियों, ऐसी एजेंसियों के कर्मचारियों, और/या कोई अन्य पार्टी जिसका कंपनी के साथ व्यावसायिक संबंध हो, संलग्न पाए जाने पर लागू होती है।

4. संपर्क के साधन :

कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठक और वेबसाइट के माध्यम से संपर्क में रहती है। कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं का उल्लेख प्रत्येक अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट में किया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षित खाते, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, जो सदस्यों को परिचालित की जाती है, और अन्य इसके हकदार हैं।



सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट (अनुलग्नक II)

फार्म सं. एम.आर. 3

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट

17/08/2021 से 31/03/2022 तक शुरू होने वाले पहले वित्तीय वर्ष के लिए

सेवा में

सदस्यगण

म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड

द्वारा गोला बारूद फैक्टरी

खडकी, पुणे - 411 003

महाराष्ट्र

हमने म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड (आगे से कंपनी कहा जाएगा) (U29190PN2021GOI203505) 17 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक शुरू होने वाले पहले वित्तीय वर्ष के लिए तक शुरू होने वाले पहले द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरीके से आयोजित किया गया जिसमें हमें कॉर्पोरेट आचरणों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

कंपनी की बहियों, कागजातों, मिनट बुक्स, फाइल किए गए प्रपत्रों और रिटर्न के सत्यापन के आधार पर और कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के सत्यापन के साथ-साथ सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं हमारी राय में, कंपनी ने, 17 अगस्त, 2021 से शुरू होकर 31 मार्च, 2022 (ऑडिट अवधि) के पहले वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिट अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं हैं और अनुपालन-तंत्र उस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है :

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 17 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक शुरू होने वाले पहले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न फाइल किए गए और अन्य रिकॉर्ड की जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;
- (ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("SCRA") और उसके तहत बनाए गए नियम; (लागू नहीं)
- (iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;



(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक; (लागू नहीं)

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि कंपनी के शेयर ऑडिट अवधि के दौरान स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं होते हैं।

क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992;

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2009;

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999;

ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीकरण) विनियम, 2008;

च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एक मुद्दे और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में;

छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009; और

झ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीद) विनियम, 1998;

(vi) हमने निम्नलिखित कानूनों के अनुपालन की भी जांच की है जो विशेष रूप से कंपनी पर लागू होते हैं:

1. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981
3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जारी ओस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016
4. पेट्रोलियम अधिनियम, 1934/5। भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923
6. सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991
7. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम 2004
8. कुछ अनुमोदन विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत आता है



9. आर्म्स एक्ट 1959 और आर्म्स सल्स 2016

10. राज्य आबकारी अधिनियम (स्पिरिट लाइसेंस) मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 2018, मध्य प्रदेश मोटर, स्पिरिट उपकरण अधिनियम, 2018 के अंतर्गत आते हैं।

(i) द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानका।

(ii) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज (एस) के साथ और कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों और सेबी के साथ किए गए लिस्टिंग समझौते (लिस्टिंग ऑजिलिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिकॉयरमेंट्स 2015, (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं) के तहत अवधि के दौरान समीक्षा करें कि कंपनी ने उपरोक्त वर्णित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन निम्नलिखित अवलोकनों के अधीन किया है:

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) के साथ पठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार, कंपनी के लिए कम से कम 2 स्वतंत्र निदेशकों का होना आवश्यक है, हालांकि कंपनी ऐसा नहीं करती है। बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। इस प्रकार, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में नहीं है।

2. स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक ऑडिट समिति, नामांकन और पारिभ्रमिक समिति और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन नहीं किया है।

3. स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी ने गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के खंड VII का अनुपालन नहीं किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

17 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक शुरू होने वाले पहले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल का कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठन नहीं किया गया था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड मीटिंग शेड्यूल करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया था, एजेंडे पर कम से कम सात दिन पहले एजेंडे और विस्तृत नोट्स भेजे गए थे, कुछ जरूरी मामलों को छोड़कर, और एजेंडे की मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बहुमत के फैसले को अमल में लाया गया, जबकि असंतुष्ट सदस्यों के विचारों को लिया गया और कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में दर्ज किया गया।



हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त सिस्टम और प्रक्रियाएं थीं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के ऊपर उल्लिखित कानूनों के नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रभाव डालने वाली कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी।

नोट: इस रिपोर्ट को हमारे सस दिनांक के पत्र के साथ पड़ा जाना है जो अनुबंध 'क' के रूप में संलग्न है और रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

ए.के. रस्तोगी एंड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

ICSI यूनिफ कोड नंबर S2020UP724400

स्थान: गाजियाबाद

दिनांक: 27/10/2022

(ए.के. रस्तोगी)

प्रोपराइटर

एफसीएस संख्या 1748

एफसीएस संख्या 1748 सीपी संख्या:22973

यूडीआईएन: F001748D001367629सीपी

संख्या:22973

यूडीआईएन: F001748D001367629



सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट का अनुलग्नक

सेवा में
 सदस्यगण
 म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड
 द्वारा गोला बारूद फैक्टरी
 खडकी, पुणे - 411 003
 महाराष्ट्र

इस पत्र के साथ सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट पढ़ी जाती है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की सत्यता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।
4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

ए.के. रस्तोगी एंड एसोसिएट्स के लिए
 कंपनी सचिव
 ICSI यूनिफ कोड नंबर S2020UP724400

स्थान: गाजियाबाद
 दिनांक: 27/10/2022

(ए.के. रस्तोगी)
 प्रोपराइटर
 एफसीएस संख्या 1748
 एफसीएस संख्या 1748 सीपी संख्या:22973
 यूडीआईएन: F001748D001367629सीपी
 संख्या:22973
 यूडीआईएन: F001748D001367629



प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

1. कंपनी:

म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) पुणे के ऐतिहासिक शहर में स्थित हाल ही में गठित 07 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है। भारत की सबसे बड़ी निर्माता और मार्केट लीडर एमआईएल सेना, नौसेना, वायु सेना, अर्ध-सैन्य बलों और पुलिस बलों के लिए गोला-बारूद और विस्फोटकों की व्यापक रेंज के उत्पादन, परीक्षण अनुसंधान और विकास और विपणन में लगी हुई है।

एमआईएल का दृष्टिकोण सशस्त्र बलों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण युद्धक्षेत्र गोला-बारूद से लैस करके प्रतिस्पर्धी बजट प्रदान करना है। एमआईएल का मिशन गोला-बारूद के क्षेत्र में आत्म-निर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया पहल का एक प्रमुख संरक्षक बनना है। हमारी रक्षा और मातृभूमि सुरक्षा एजेंसियों के सबसे विश्वसनीय और पसंदीदा भागीदार के रूप में घरेलू बाजार में नेतृत्व स्थापित करना और बनाए रखना और समूह को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के गोला-बारूद निर्माण में विकसित करना है। ऐसे के लिए बेहतर मूल्य प्रदान करके और स्टैकहोल्डरों की अपेक्षाओं को पूरा करके ब्रांड एमआईएल बनाना और उसे मजबूत करना। रचनात्मकता और तवाचार के लिए प्रतिबद्ध, वैश्विक दक्षताओं के साथ एक सीखने वाला संगठन बनना है।

2. एमआईएल की शक्ति:

2.1 कुछ प्रमुख आधुनिकीकरण और क्षमता वृद्धि परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :

क] **पिनाका:** मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका की उत्पादन क्षमता को म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड निर्माणियों में 572 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रति वर्ष 1000 से 2500 रॉकेट तक बढ़ाया गया था। इस रॉकेट के उत्पादन में एचईपीएफ त्रिची, आयुध निर्माणी चांदा, आयुध निर्माणी देहूरोड और आयुध निर्माणी इटारसी लगे हुए हैं।

ख] **मैंगो परियोजना :**

AMK-339 FSAPDS (MANGO) सेना की आवश्यकता के अनुसार, 125 मि.मी. FSAPDS गोला-बारूद के निर्माण की क्षमता, टैंक T-72 और T-90 के लिए मुख्य गोला-बारूद, रूस द्वारा दी गई तकनीक के अनुसार स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना 1300 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ स्थापित की जा रही है।

गोला-बारूद की मारक क्षमता में सुधार करना हमेशा से एक आवश्यकता रही है। तदनुसार, आयुध निर्माणी भंडारा में एक अत्यंत घातक विस्फोटक एचएमएस के उत्पादन के लिए विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की गई हैं।



ग] 30 एमएम बीएमपी-11 गोला बारूद :

आयुध निर्माणी खमरिया ने स्वदेशी रूप से 30 एमएम बीएमपी-11 गोला बारूद के निर्माण के लिए असेंबली लाइन तैयार की है। आयुध निर्माणी खमरिया द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर संयंत्र का निर्माण भारतीय उद्योग द्वारा किया गया था। यह आयुध निर्माणी खमरिया द्वारा भारतीय उद्योग में अपनी पकड़ बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है।

2.2 आत्मानिर्भर भारत के रूप में स्वदेशीकरण:

(क) ड्रोन वितरित गोला बारूद (होमिंग और मार्गदर्शन के साथ वितरण प्रणाली)

यह हमारे मानवयुक्त विमानों को दुश्मन की लंबी दूरी की मिसाइल और युद्ध के मैदान के पास हथियारों से दूर रखने के लिए गोला-बारूद की एक वैकल्पिक वितरण प्रणाली है।

ख] 155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद :

155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद सटीक हमलों की अनुमति देकर और साथ ही संपार्श्विक क्षति को कम करके आर्टिलरी गन की क्षमता बढ़ाने में सक्षम बनाता है।

ग] वायु सेना के लिए 70 एमएम रॉकेट:

70 एमएम रॉकेट मुख्य रूप से हवा में जमीन की भूमिका में उपयोग किए जाते हैं। ये रॉकेट एंटी-कार्मिक, हवा से जमीन पर दमन और रोशनी का प्रदर्शन कर सकते हैं।

70 मिमी रॉकेट के प्रमुख घटक हैं :

- वारहेड
- प्रणोदन प्रणाली
- फ्यूज : प्वाइंट डेटोर्निंग इम्पैक्ट फ्यूज

2.3 कुशल कार्यबल Skilled Work Force

2.4 150 से अधिक वर्षों के लिए गोला-बारूद का निर्माण और विक्री का अनुभव ।

2.5 विशाल विनिर्माण क्षमता ।

2.6 सर्ज क्षमता की उपलब्धता ।

2.7 घरेलू गोला बारूद बाजार में नेतृत्व की स्थिति ।

2.8 आपूर्तिकर्ता आधार स्थापित किया ।

2.9 स्थापित उत्पाद रेंज

एमआईएल की इकाइयों के पास 150 से अधिक वर्षों के लिए इनिशियल कंपोजिशन, प्रोपेलेंट और हार्ड एक्सप्लोसिव के इन्-हाउस निर्माण के साथ छोटे, मध्यम और उच्च कैलिबर गोला-बारूद, मोर्टार, रॉकेट, हैंड ग्रेनेड आदि के उत्पादन के लिए एक सिद्ध एकीकृत आधार है।

एमआईएल अपनी 12 निर्माण इकाइयों के साथ प्रदान करती है:

- बहु-प्रौद्योगिकी क्षमताओं के साथ एक व्यापक और बहुमुखी उत्पादन आधार।



- अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाएं।
- कुशल और पेशेवर रूप से योग्य जनशक्ति और प्रबंधकीय कर्मियों का बड़ा पूल।
- गुणवत्ता मानकों का सख्त पालन (सभी इकाइयां आईएसओ-9000 प्रमाणित हैं)।
- मूल के साथ-साथ अनुकूली अनुसंधान एवं विकास आवश्यकता-आधारित शोधन और संशोधन करने के लिए।
- औद्योगिक प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए एक मजबूत आधार।

एमआईएल के पास युद्ध और आपात स्थितियों के दौरान सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों की तत्काल और आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने की सिद्ध क्षमता है।

3. कमजोरियों :

- 3.1 उच्च ओवरहेड्स
- 3.2 विरासती प्रणाली
- 3.3 बोझिल खरीद प्रक्रिया
- 3.4 निगमीकरण से पूर्व अनुसंधान एवं विकास के लिए डीआरडीओ पर निर्भरता के कारण इकाइयों में खराब अनुसंधान एवं विकास आधार।
- 3.5 चूंकि एमआईएल को गोला-बारूद और विस्फोटकों के निर्माण के मजबूत ढांचे के साथ पूर्व आयुध निर्माणी बोर्ड से अलग बनाया गया था इसलिए एमआईएल को अतीत से कुछ पहले से मौजूद कमजोरी भी विरासत में मिली है।
आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (खरीद) एक ऐसा क्षेत्र है जहां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मौजूदा बाजार के रुझान को अपनाने के लिए एमआईएल को इन्वेंट्री नियंत्रण के लिए उद्योग मानक उपायों जैसे जस्ट-इन-टाइम (JIT), EOQ, इन्वेंट्री होल्डिंग लागत को कम करके उत्कृष्टता प्राप्त करती है।

वर्तमान में कच्चे माल की खरीद के लिए अग्रणी समय टेंडर फ्लोटिंग से अंतिम कच्चे माल की स्वीकृति तक लंबी खरीद प्रक्रिया के कारण बहुत समय लगता है। इन समय-सीमाओं को छोटा और कुशल और अधिक परिष्कृत किया जा सकता है।

एमआईएल को उसके दो प्रमुख ग्राहकों, यानी सशस्त्र बलों और गृह मंत्रालय से दिए गए वर्क लोड ऑर्डर लंबी अवधि के आधार पर तय नहीं किए जाते हैं, जिससे काम के बोझ और उत्पादन के लक्ष्यों की अनिश्चितता पैदा होती है।

सरकार के तहत रक्षा क्षेत्र में 150 वर्ष से अधिक पुराना संगठन होने के कारण भारत में, सरकारी सेटअप से कार्य करने की शैली को कॉर्पोरेट शैली में परिवर्तन करना अपने कर्मचारियों के लिए कठिन है।

4 अवसर :

4.1 प्रस्तावित आधुनिकीकरण योजनाएं



म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड ने अनुकूल सरकारी नीतियों और बड़े व्यावसायिक अवसरों द्वारा संचालित निर्यात पर विशेष जोर दिया है। अपना व्यवसाय संचालन शुरू करने के बाद एमआईएल ने निर्यात के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है और पहले छह महीनों में 600 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात ऑर्डर प्राप्त किए हैं।

म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड ने कस्टमर बेस का विस्तार करके अपने टर्न ओवर को बढ़ाने की योजना बनाई है जो निर्यात के क्षेत्र में आक्रामक रूप से काम करके संभव है।

व्यवसाय के अवसरों को बढ़ाने के लिए एमआईएल के पास उपलब्ध सुविधाओं का आधुनिकीकरण करना प्रमुख कारकों में से एक है। अपना व्यवसाय संचालन शुरू करने के बाद एमआईएल ने आधुनिकीकरण के क्षेत्र में आक्रामक रूप से काम करना शुरू कर दिया है और इसके लिए अनुबंध संपन्न किए हैं :-

- 1) आयुध निर्माणी नालंदा में वीएमसीएस विनिर्माण संयंत्र
- 2) आयुध निर्माणी भंडारा में सिंगल ब्रेस प्रोपेलेंट प्लांट

जबकि FSAPDS टैंक गोला बारूद के लिए परियोजना पहले से ही पूरा होने के अग्रिम चरणों में है, निम्नलिखित आधुनिकीकरण संयंत्र पाइपलाइन में हैं। जो वांछित विकास को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

क्र.सं.	प्लांट एंड मशीनरी	निर्माणी
	Research Department Explosive or Royal Demolition Explosive (RDX) Plant	आयुध निर्माणी, भंडारा
	Refurbishment of Nitro-glycerine (NG) plant	
	Integrated Sulphuric Acid Concentration- Nitric Acid Concentration (SAC-NAC) Plant for production of Strong Nitric Acid 98.5% min	
	RDX Compound Plant	
	Nitrocellulose (NC) Plant	
	Substance C-II Manufacturing Plant	
	New leg for Ballistite (BT) and Rocket (RK) Propellant Plant	आयुध निर्माणी, नालंदा
	Nitroguanidine (NIGU) Plant	
	Nitrocellulose (NC) Plant Augmentation	आयुध निर्माणी, इटारसी
	Nitrocellulose (NC) Plant	
	Nitroguanidine (NIGU) Plant	
	Ball Powder Plant	



Trinitrotoluene (TNT) Plant	अति विस्फोटक निर्माणी, बड़की
De-Nitration (DEN) Plant	
Nitrocellulose (NC) Plant	कार्डाइट निर्माणी, अरुवनकाडु
Cartridge 9 mm ball	आयुध निर्माणी, वरणगांव

4.2 निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए एमआईएल में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है -

- एमआईएल में एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल का गठन।
- पुछताछ करने पर प्रतिक्रिया समय काफी कम किया गया।
- ईएक्सआईएम पोर्टल और डीजीएफटी के साथ पंजीकृत।
- पूर्ववर्ती ओएफबी के सभी चैनल पार्टनर ऑन-बोर्ड हैं।
- नए चैनल पार्टनर जोड़े गए - 8 नए।
- "उत्पाद: देश" मैट्रिक्स को अंतिम रूप देना।
- मौजूदा मैट्रिक्स के अलावा, नए भौगोलिक और उत्पादों की पहचान की गई है।
- एमआईएल ने नवंबर-दिसंबर, 2021 में काहिरा, मिस्र में आयोजित मिस्र की रक्षा प्रदर्शनी (EDEX-2021) और जून, 2022 में पेरिस में आयोजित यूरोसेटरी-2022 में भाग लिया।

4.3 एमआईएल निम्नलिखित कार्यों के साथ एक आक्रामक निर्यात संवर्धन रणनीति बनाने की योजना बना रही है।

- चिन्हित लक्षित देशों में आक्रामक विपणन द्वारा भूगोल का विस्तार।
- निर्यात योग्य उत्पाद बेस का विस्तार।
- ऑफसेट अवसरों की लगातार निगरानी करना।
- गोला-बारूद घटकों, विस्फोटकों और गोला-बारूद की उप-विधानसभाओं की अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने की संभावनाएं तलाशना।
- संभावित ग्राहकों के लिए एमआईएल उत्पादों और उत्पादन क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए डेफएक्सपो-2022 जैसी प्रदर्शनियों में भागीदारी।

4.4 उपलब्धियां :

- एमआईएल ने अक्टूबर, 2021 में अपनी स्थापना के बाद से INR 600 करोड़ के निर्यात ऑर्डर प्राप्त किए हैं।



- एमआईएल का लक्ष्य 2022-23 में 5 नए देशों से निर्यात ऑर्डर प्राप्त करना है।
- एमआईएल का लक्ष्य 2022-23 में नए उत्पादों का निर्यात ऑर्डर प्राप्त करना है।

निगमीकरण के बाद, संयुक्त उद्यम बनाने और सह-उत्पादन समझौतों में प्रवेश करने की स्वतंत्रता और लचीलापन।

निगमीकरण के बाद, संचालन में अधिक स्वायत्तता।
 वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य / पर्यावरण।

4.5 वैश्विक अवसर :

ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के बाद एमआईएल की पहुंच केवल गृह मंत्रालय के तहत सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब विशाल वैश्विक बाजार यानी विदेशों के सुरक्षा बलों तक पहुंचने का एक बड़ा अवसर है।

4.6 त्वरित तकनीकी नवाचार और अग्रिम:

तकनीकी में तेजी से प्रगति और विनिर्माण संयंत्रों के आधुनिकीकरण से उद्योग की उत्पादकता बढ़ रही है, जिससे आपूर्तिकर्ताओं को उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। यह म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को प्रभावशाली रूप से अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करने में सक्षम कर सकता है।

5 जोखिम / धमकी RISKS / THREATS:

- 5.1 निजी खिलाड़ियों के लिए भारतीय रक्षा क्षेत्र को खोलना।
- 5.2 घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धियों का उदय।
- 5.3 विभिन्न घरेलू खिलाड़ियों की वस्तुओं के लिए आरएफपी जारी करना (जो पहले हमारे द्वारा नामांकन के आधार पर आपूर्ति की गई थी)।
- 5.4 प्रूफ रेंज के लिए डीआरडीओ / डीजीक्यूए पर पूर्ण निर्भरता।
- 5.5 **कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य Safety & Health of Employees:**

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड अपने कामगारों और कर्मचारियों की प्रमुख खतरों से सुरक्षा करने में विशेष ध्यान देता है क्योंकि संगठन गोला-बारूद भरने और रसायनों और विस्फोटकों के निर्माण में काम करता है जो अत्यधिक अस्थिर होते हैं और कभी-कभी अप्रत्याशित व्यवहार कर सकते हैं।

5.6 रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र:

भारत सरकार के रक्षा निर्माण के क्षेत्र में 74% एफडीआई के निर्णय लेने पर, बड़ी संख्या में निजी कंपनियां अब रक्षा उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं, जो प्रतिबंधात्मक प्रशासनिक प्रणालियों और नीतियों जिनका अनुपालन डीपीएसयू द्वारा किया जाता है, के अभाव में गतिशील निर्णय लेने में स्वतंत्रता के साथ आसानी से कार्य कर रही हैं।



6 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता:

कंपनी के पास अपने आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ-साथ सरकारी लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है।

7 कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी:

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, 2021-22 संचालन की पहली अवधि होने के कारण कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनी पर लागू नहीं होता है।



वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

सेवा में

सदस्यगण

म्युनिशंस

इंडिया लिमिटेड

पुणे, महाराष्ट्र

हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन की जांच की है म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड (CIN: U29190PN2021GOI203505) को इसके बाद कंपनी के रूप में बुलाया गया वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपकी कंपनी के संबंध में डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश, 2010 के तहत किया जाना आवश्यक है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी, जो कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर न तो ऑडिट है और न ही राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है, सिवाय वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नीचे निर्दिष्ट मामले के लिए :

1. कंपनी ने बोर्ड की संरचना के संबंध में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.1 का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
2. कंपनी ने सभी बोर्ड सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता के संबंध में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 3.4.1 और 3.4.2 का अनुपालन नहीं किया है।
3. कंपनी ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 4.1 में दिए गए अनुसार ऑडिट कमेटी का गठन नहीं किया है क्योंकि कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
4. कंपनी ने अपनी पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है जैसा कि पैराग्राफ में दिया गया है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों का 5.1 क्योंकि कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

हम आगे प्रमाणित करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

For A. K. Rastogi & Associates

Company secretaries

ICSI Unique code No S2020UP724400

दिनांक 26/10/2022

स्थान : गाजियाबाद

(ए.के. रस्तोगी)

PROPRIETOR

FCS no 1748

CP No.: 22973

UDIN: F001748D001357905



व्यापार आचार संहिता और नैतिकता के लिए प्रमाण पत्र

No.MIL/HR/BC&E

Dated: 16/01/2023

व्यापार आचार संहिता और नैतिकता के लिए प्रमाण पत्र

एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए व्यावसायिक आचार संहिता और नैतिकता के अनुपालन की पुष्टि की है।

(रवि कान्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



वित्तीय विवरण

P G BHAGWAT LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
LLPIN: AAT-9949

HEAD OFFICE
 Suites 101-102, 'Orchard'
 Dr. Pai Marg, Baner,
 Pune – 45 Tel (O): 020 –
 27290771/1772/1773
 Email: pgb@pgbhagwatca.com
 Web: www.pgbhagwatca.com

स्वतंत्र निदेशक की विवरण

To the Members of MUNITIONS INDIA LIMITED

लेखापरीक्षा पर राय के वित्तीय विवरणों के अस्वीकरण की

हम म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड ("कंपनी"), जिसमें पुणे, महाराष्ट्र और पंद्रह शाखाओं में स्थित प्रधान कार्यालय शामिल हैं के वित्तीय विवरणों का लेखा-जोखा करने के कार्य में लगे हुए थे, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक की तुलना पत्र (बैलेंस शीट) लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इकिटी में परिवर्तन और अवधि के लिए (अर्थात् 17 अगस्त 2021 से 31 मार्च, 2022 तक) की नकदी प्रवाह का विवरण शामिल है और जब समाप्त हुआ, महत्वपूर्ण लेखांकन के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के नोट, लेखा नीतियां और अन्य व्यापक जानकारी (इसके बाद "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) जिसमें कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट की गई उस तारीख की अवधि के लिए पंद्रह शाखाओं के रिटर्न शामिल हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है,

Significant branches:

Sr no	Branch Name	Branch Location
1	Ammunition Factory Khadki,	Pune, Maharashtra
2	Highly Explosive Factory, Pune	Pune, Maharashtra
3	Ordnance Factory Dehuroad	Pune, Maharashtra
4	Ordnance Factory Khamaria	Khamaria, Jabalpur, Madhya Pradesh
5	Cordite Factory Arivankadu	Ooty, Tamilnadu
6	High Energy Projectile Factory Tiruchirappalli	Tiruchirappalli, Tamilnadu
7	Ordnance Factory Bhandara	Bhandara, Maharashtra
8	Ordnance Factory Chanda	Chandrapur, Maharashtra
9	Ordnance Factory Bolangir	Bolangir, Odisha
10	Ordnance Factory Barvi	Barvi, Madhya Pradesh
11	Ordnance Factory Nalanda	Nalanda, Bihar
12	Ordnance Factory Varangam	Varangam, Maharashtra

Other immaterial branches:

Sr no	Branch Name	Branch Location
13	Ordnance Factory Institute of Learning, Khamaria	Khamaria, Jabalpur, Madhya Pradesh
14	Regional Controller of Safety, Pune	Pune, Maharashtra
15	National Institute of Defence Production, Ambajhari	Nagpur, Maharashtra



राय के अस्वीकरण के लिए आधार

हम अनुलग्नक क में वर्णित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जहां हम पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं और पहचाने गए गलत बयानों के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है, साथ ही अनिर्धारित गलत बयानों के संभावित प्रभाव, यदि कोई हो, जो सामग्री और दोनों हो सकते हैं 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए उपर्युक्त मामलों के परिणामस्वरूप, हम यह तय नहीं कर पाए हैं कि क्या कोई समायोजन की आवश्यकता है और इन्हें करना जरूरी है।

- विधि द्वारा अपेक्षित लेखा पुस्तकों के रखरखाव सहित गैर-अनुपालन,
- व्यापार पुनर्गठन के परिणामस्वरूप अर्जित संपत्ति और देनदारियों का संतुलन जो किसी भी लेखापरीक्षा के अधीन नहीं है,
- अंतर-हकाई लेनदेन और शेष राशि का समाधान
- खरीद और देय व्यापार
- बिक्री और व्यापार प्राप्य
- इन्वेंटरी,
- जीएसटी से संबंधित लेखांकन और
- अन्य मामले जो अनुबंध क के खंड II में शामिल हैं, जिसमें शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा जारी संबंधित रिपोर्ट में उल्लेखित टिप्पणियां शामिल हैं।

हमें अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा करने हेतु कार्यरत हैं। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ उन नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हम इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हम पर्याप्त और उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके जो हमारे विचार के अस्वीकरण के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

विशेष ध्यान देने योग्य मामले

1. 1 अक्टूबर, 2021 को व्यवसाय पुनर्गठन पर प्राप्त शेष राशि

हम 1 अक्टूबर, 2021 को संपत्ति और देनदारियों के संतुलन के निम्नलिखित पहलुओं के बारे में वित्तीय विवरणों के नोट 39 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो व्यवसाय पुनर्गठन के उद्देश्य से 'नियत तिथि' है, जिसे व्यवसाय पुनर्गठन के आधार पर प्राप्त किया गया है:

ऑडिट के दौरान, प्रबंधन ने आईएंडबी एस समायोजन के साथ-साथ 1 अक्टूबर, 2021 से पहले की अवधि से संबंधित कुछ सुधार प्रविष्टियों के कारण 1 अक्टूबर, 2021 को व्यवसाय पुनर्गठन के भाग के रूप में प्राप्त शेष राशि में समायोजन किया है। रुपये 423.87 करोड़ इक्विटी के शुद्ध डेबिट प्रभाव को दर्शाने वाले वित्तीय विवरणों के लिए नोट सं.37 देखें। लेखांकन के प्रयोजन के लिए शामिल शेष राशि उपर्युक्त समायोजन प्रविष्टियों के प्रभाव पर विचार करने के बाद है।

2. आईएंडबी एस 19 - कर्मचारी लाभ संबंधित दायित्व



हम कर्मचारी लाभ व्यव की मान्यता के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट 40 पर ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा जारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, आईएनडी-एस 19 के अनुसार कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ और भत्ते आदि के लिए प्रावधान को 31 मार्च, 2022 तक की वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय के कार्यालय जापन (ओएम) संख्या 1(5)/2021/ओएफ/डीपी (पीएलजी-V)/02 दिनांक 24 सितंबर, 2021 के अनुसार केंद्र सरकार के दायित्व हैं, कंपनी के नहीं।

3. कर व्यय

हम वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त कर खर्चों के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट 31 पर ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रबंधन ने आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार धारा 40, धारा 43बी आदि सहित अधिनियम के तहत निर्दिष्ट विभिन्न अस्वीकृतियों पर विचार किए बिना आयकर व्यय (वर्तमान कर) के लिए प्रावधान किया है क्योंकि आवश्यक विवरण उपलब्ध नहीं थे। आगे प्रबंधन की राय में, इस तरह की अस्वीकृति का प्रभाव, यदि कोई हो, वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा। कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115JB के तहत वर्तमान कर के लिए प्रावधान किया है, जिसके लिए MAT क्रेडिट एंटाइटलमेंट को आस्थगित कर संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है। अवशोषित मूल्यहास के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्ति को भी मान्यता दी गई है।

हम 1 अक्टूबर, 2021 को अधिग्रहीत अनुपयोगी और अप्रचलित स्टॉक के लेखांकन उपचार के संबंध में शाखा के वित्तीय विवरणों के नोट 8 पर ध्यान आकर्षित करते हैं। कच्चा माल और कार्य प्रगति पर है, जिसकी राशि रु. 30.36 करोड़ को इसके अनुमानित स्कैप मूल्य पर 10% यानी रु. 3.37 करोड़। हमें यह सूचित किया गया था कि शाखा ने उपरोक्त मामले को बोर्ड ऑफ इक्वायरी (बीओई) को प्रबंधन मूल्यांकन की पुष्टि के लिए नामित किया है कि स्टॉक अनुपयोगी / अप्रचलित है और इसकी निपटान योजना है। इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

ऊपर बताए अनुसार नोट 8 इन वित्तीय विवरणों के नोट 9 से मेल खाता है।

1 अक्टूबर, 2021 को अनुपयोगी और अप्रयुक्त स्टॉक (आयुध निर्माणी देहुरोड की शाखा लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार) हम 1 अक्टूबर, 2021 को प्राप्त अनुपयोगी और अप्रयुक्त स्टॉक के लेखांकन प्रक्रिया के संबंध में शाखा वित्तीय विवरणों के नोट 8 पर ध्यान आकर्षित करते हैं। कच्चा माल और कार्य प्रगति पर है, जिसकी राशि रु. 30.36 करोड़ को इसके अनुमानित स्कैप मूल्य पर 10% यानी रु. 3.37 करोड़ है। हमें यह सूचित किया गया था कि शाखा ने उपरोक्त मामले को बोर्ड ऑफ इक्वायरी (बीओई) के लिए नामित किया है (जिसमें प्रबंधन मूल्यांकन की पुष्टि के लिए स्टॉक अनुपयोगी / अप्रचलित है और इसकी निपटान योजना है।) इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।



ऊपर बताए अनुसार नोट 8 इन वित्तीय विवरणों के नोट 9 "क" से मेल खाते हैं ।

अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है । अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

उपरोक्त राय के अस्वीकरण के लिए आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों के कारण, हम ऊपर संदर्भित अन्य सूचनाओं पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं ।

प्रबंधन की जिम्मेदारियां जिन पर वित्तीय विवरणों का प्रभार है

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय सहित) का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण रखते हैं । कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड एस) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन सशोधित है । इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितता को रोकने एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित एवं विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और सामग्री गलत विवरण से मुक्त हैं , चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ।

वित्तीय विवरणों को तैयार करते में, प्रबंधन कंपनी की चल रही संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, चल रही संस्था से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, और लेखांकन के चल रहे प्रतिष्ठान के आधार का उपयोग करते के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने का इरादा रखता है या संचालन बंद करने, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है ।

ये निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं ।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

ICAI द्वारा जारी ऑडिट पर मानकों के अनुसार संस्था के वित्तीय विवरणों का ऑडिट करना और ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना हमारी जिम्मेदारी है । हालांकि, हमारी रिपोर्ट के ओपिनियन सेक्शन के अस्वीकरण के लिए आधार में वर्णित मामलों के कारण, हम इन वित्तीय विवरणों पर ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हेतु सक्षम नहीं थे ।

हम ICAI द्वारा जारी आचार नीति की नैतिक आवश्यकता के अनुसार एवं इकाई के लिए लागू कानूनों और विनियमों के लिए स्वतंत्र हैं ।



अन्य मामलों

हमने उन पंद्रह शाखाओं की वित्तीय जानकारी का ऑडिट नहीं किया, जिनकी वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2022 तक कुल 11,531.93 करोड़ रुपये की संपत्ति और 8,042.28 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति दर्शाती है, कुल राजस्व रुपये 3,058.06 करोड़, कुल व्यापक आय (जिसमें ((हानि) शामिल है) और अन्य व्यापक आय) (10.22) करोड़ रुपये और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध नदी प्रवाह 385.68 करोड़ रुपये था, जैसा कि वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन वित्तीय सूचनाओं का लेखा-परीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों (शाखा लेखापरीक्षकों) द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है, और वित्तीय विवरणों पर हमारी राय जहाँ तक यह इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और डिस्कलोजर से संबंधित है और हमारी रिपोर्ट में अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के संदर्भ में जहाँ तक यह उपरोक्त शाखाओं से संबंधित है, केवल अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश"/ "CARO") द्वारा आवश्यक के अनुसार, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल करने के लिए, तदनुसार हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए, और कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल पंद्रह शाखाओं के लिए संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा जारी CARO रिपोर्ट के आधार पर; लागू सीमा तक आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण हम अनुबंध ख में देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकता के अनुसार यह रिपोर्ट देते हैं कि -

क) जैसा कि उपरोक्त राय के अस्वीकरण के लिए आधार में वर्णित है, जो हमारे द्वारा मांगा गया लेकिन सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने में हम असमर्थ रहे जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।

ख) ऊपर दिए गए राय के अस्वीकरण के लिए आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों के कारण, हम यह

बताने में असमर्थ हैं कि कंपनी द्वारा कानूनी रूप से आवश्यक खाते की उचित पुस्तकें रखी गई हैं या नहीं, जैसा कि हमारे द्वारा इन पुस्तकों के संदर्भ में किए गए जांच से प्रतीत होता है।

ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के तहत लेखापरीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा समुचित तरीके से कार्रवाई की गई है।

घ) उपरोक्त राय के अस्वीकरण के लिए आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों के कारण, हम यह बताने में असमर्थ हैं कि क्या बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट और परिवर्तन का विवरण इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए इकट्टी में खाते की प्रासंगिक पुस्तकों के साथ अनुबंध किया है।

जैसा कि उपरोक्त राय पैराग्राफ के अस्वीकरण के लिए आधार में वर्णित है, हमने मांगी लेकिन सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने में असमर्थ रहे जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।

उपरोक्त राय खंड के अस्वीकरण के लिए आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों के कारण, हम यह बताने में असमर्थ हैं कि कंपनी द्वारा कानूनी रूप से आवश्यक खाते की उचित पुस्तकें रखी गई हैं या नहीं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है।

शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के तहत लेखापरीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित तरीके से कार्रवाई की गई है।

उपरोक्त राय खंड के अस्वीकरण के लिए आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों के कारण, हम यह बताने में असमर्थ हैं कि क्या बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट और परिवर्तन का विवरण इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए इकट्टी में खाते की प्रासंगिक पुस्तकों के साथ समझौता किया गया है।

उपरोक्त राय खंड के अस्वीकरण के आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों के कारण, हम यह बताने में असमर्थ हैं कि उपरोक्त ईड एस वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं या नहीं।



क) ऊपर दिए गए ओपिनियन पैराग्राफ के अस्वीकरण के लिए आधार में वर्णित मामला, हमारी राय में, कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

ख) इस खंड के प्रावधान अर्थात् अधिनियम की धारा 164 (2) अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई), दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है।

ग) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित आरक्षण ओपिनियन के अस्वीकरण के लिए आधार पैराग्राफ और ऊपर पैरा 2 (ख) में बताए गए अनुसार हैं।

घ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक ग" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

ङ) इस खंड के प्रावधान अर्थात् अधिनियम की धारा 197 अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई), दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है।

च) कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार के आधार पर:

(i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - वित्तीय विवरणों के लिए नोट 37 देखें। हालांकि, शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, हम प्रासंगिक प्रकटीकरण की पूर्णता के संबंध में पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

(ii) लंबी अवधि के अनुबंधों के बारे में पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य की उपलब्धता की कमी के कारण, यदि कोई हो, तो हम यह बताते में असमर्थ हैं कि कंपनी ने इस तरह के नुकसान के लिए प्रावधान किया है या नहीं।

(iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

(iv) (क) प्रबंधन ने हमें प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वित्तीय विवरणों के खातों में नोटों में प्रकट किए गए के अलावा, यदि कोई हो, तो कोई धन अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधियों से या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधियों से) कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी अन्य व्यक्ति (ओं) या इकाई (ओं) में, समझ के साथ, चाहे रिकॉर्ड किया गया हो लिखित रूप में या अन्यथा, यह कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने जाने वाले अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा या कोई गारंटी, अंतिम लाभार्थियों की ओर से सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करेगा।

(ख) प्रबंधन ने हमें प्रतिनिधित्व किया है, कि वित्तीय विवरणों के खातों में नोटों में बताए गए के अलावा, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अलावा, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है। (एस) या संस्था (एं), विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियां") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं की पहचान के लिए ऋण या निवेश करेगी। फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करें।



(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी जाने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया जिससे हमें विश्वास हो कि प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और जैसा कि उप-खंड (iv)(ए) और (iv)(बी) के तहत उल्लेख किया गया है, में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल है।

(i) कंपनी ने इस अवधि के दौरान लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है। अधिनियम की धारा 123 की उप धारा (1) और (4) के प्रावधान अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई), दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है।

(ii) कंपनी के खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखा सॉफ्टवेयर के उपयोग की आवश्यकता जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल (लॉग संपादित करें) की रिकॉर्डिंग की सुविधा है, को 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया है, इसलिए नियम 11 के तहत रिपोर्टिंग (छ) कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

स्थान - पुणे

तारीख- 31 दिसंबर, 2022

पी.जी. भागवत एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

संख्या: 101118W/W100682

अभिजीत शेठ्ये
पार्टनर

सदस्यता संख्या: 151638

यूडीआईएन: 23151638BGQGEJ3393

पी.जी. भागवत एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट एलएलपीआईएन : एएटी - 9949



अनुलग्नक ए

(जैसा कि ओपिनियन पैरा के अस्वीकरण के आधार पर संदर्भित है
मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट में)
धारा 1 - सामान्य अवलोकन

लेखापरीक्षा के दौरान शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सभी शाखाओं से प्राप्त संचार के आधार पर, अन्यथा कहा गया है, हमने निम्नलिखित टिप्पणियों को नोट किया है;

क. खातों की पुस्तकों का रखरखाव

कंपनी ने मुख्यालय और शाखाओं (व्यक्तिगत रूप से 'यूनिट' के रूप में संदर्भित) में खातों की अपनी पुस्तकों को फॉक्स प्रो आधारित लेखा प्रणाली / सॉफ्टवेयर पर बनाए रखा है, जिसमें इन्वेंटरी पैकेज, कैश कंपाइलेशन रिपोर्ट (CC02), प्रोडक्शन, प्लानिंग और कंट्रोल (PPC) शामिल हैं। पैकेज, पेंचिंग मीडिया, कमर्शियल अकाउंट्स (COMMACH) आदि और विभिन्न एक्सेल स्प्रेडशीट जो एक दूसरे के साथ एकीकृत नहीं हैं और इस तरह यूनिट स्तर पर वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए इन प्रणालियों से कोई व्यापक रिपोर्ट या ट्रायल बैलेंस उपलब्ध नहीं हैं। इकाई स्तर पर, संबंधित सॉफ्टवेयर से आउटपुट का उपयोग एक्सेल स्प्रेडशीट को अपडेट करने के लिए किया जाता है जिसे COMMACH में लेखा प्रविष्टियां पास करने के लिए आधार माना जाता है। COMMACH में एक्सेल स्प्रेडशीट को अपडेट करने और लेखांकन प्रविष्टियों को पास करने की आवृत्ति को न तो परिभाषित किया गया है और न ही समान रूप से इसका पालन किया गया है। कई इकाइयों के मामले में, अधिकांश प्रविष्टियां वर्ष के अंत में पारित की जाती हैं। साथ ही, खातों की पुस्तकों के रखरखाव और वित्तीय विवरणों की तैयारी की पूरी प्रक्रिया के आसपास मेकर चेकर सिद्धांतों, अनधिकृत परिवर्तनों से बचने के लिए अभिगम नियंत्रण सहित आंतरिक नियंत्रणों की पहचान और स्थापन नहीं किया जा सका। इकाई स्तर पर वित्तीय विवरण COMMACH के आधार पर तैयार किए जाते हैं। कंपनी स्तर के वित्तीय विवरणों की तैयारी और समीक्षा की सुविधा के लिए प्रधान कार्यालय में कोई समेकित डेटाबेस नहीं है। इस तरह के सामान्य डेटाबेस के अभाव में, व्यक्तिगत इकाई स्तर के वित्तीय विवरणों को समेकित करके कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

ऊपर उल्लिखित विभिन्न लेखा सॉफ्टवेयर पारंपरिक रिपोर्ट जैसे सामान्य लेजर एवं सब-लेजर (देनदारों, लेनदारों और कर्मचारियों के लिए) प्रदान नहीं करते हैं, स्थापन के उद्देश्य से प्रारंभिक और समापन शेष सहित लेखापरीक्षा के तहत अवधि के लिए लेन-देन का दिनांकवार विवरण देते हैं। लेखा प्रणाली/सॉफ्टवेयर के बीच एकीकरण की कमी के कारण, सभी लेन-देन की सटीकता और पूर्णता को स्थापित नहीं किया जा सकता है।

लेन-देन की प्राथमिक रिकॉर्डिंग लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का पालन करते हुए इकाई स्तर के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए इकाइयों द्वारा उपयोग किए जा रहे लेखांकन सॉफ्टवेयर में नहीं होती है, आगे लेन-देन के पार्टीवार विवरण देते हैं। इसलिए, कैश बुक/बैंक बुक/क्रय रजिस्टर/विक्री रजिस्टर/जर्नल प्रविष्टियां आदि दिनांकवार और लेन-देनवार प्रारूप में उपयोग किए जा रहे लेखांकन सॉफ्टवेयर से उत्पन्न नहीं हो सकीं।

क. लेखांकन का प्रोद्घवन आधार

प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित वर्तमान लेखा प्रणाली और संबंधित प्रक्रियाओं को प्रोद्घवन आधार पर लेखा पुस्तकों को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। प्रबंधन ने जहां तक संभव हो प्रोद्घवन आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए कुछ समायोजन प्रविष्टियां पारित की हैं। हालांकि, 31 मार्च, 2022 तक लेखांकन के उपार्जित आधार की पूर्णता को लेखांकन प्रणाली की अंतर्निहित सीमा के कारण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।



उदाहरण के लिए, जैसा कि आयुध निर्माणी खमरिया के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा देखा गया है, माल से संबंधित लेन-देन के अलावा अन्य लेन-देन का लेखा-जोखा, लोडिंग/अनलोडिंग/शिफ्टिंग परिवहन और माल ढुलाई, सिविल कार्य या रखरखाव के बिलों के लिए सामग्री प्रबंधन के विक्रेताओं/ठेकेदारों से संबंधित सेवाओं का लेखा-जोखा ऐसे विक्रेताओं के साथ किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने पर ऐसे लेनदेन को रिकॉर्ड करने के बजाय भुगतान की प्रक्रिया के समय काम या संविदात्मक श्रम और किराए पर वाहन बनाया जाता है।

(क) 1 अक्टूबर, 2021 को व्यवसाय पुनर्गठन पर प्राप्त शेष राशि

म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') का गठन आयुध निर्माणी बोर्ड के पुनर्गठन और निगमीकरण के भाग के रूप में रक्षा मंत्रालय द्वारा दिनांक 29 सितंबर 2021 के समझौता ज्ञापन के माध्यम से (बाद में इसे 'व्यावसायिक पुनर्गठन' के रूप में संदर्भित किया गया है) सात विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शामिल किया गया है।

1 अक्टूबर, 2021 को व्यवसाय पुनर्गठन के कारण कंपनी द्वारा अधिग्रहीत संपत्ति और देनदारियों की शेष राशि, भारत के किसी भी स्वतंत्र लेखा परीक्षक या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) से लेखापरीक्षा के अधीन नहीं है। ये शेष राशि 30 सितंबर, 2021 तक रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) द्वारा बनाए गए संबंधित इकाइयों की अलेखापरीक्षित लेखा पुस्तकों से ली गई थी, जिसके लिए इन परिसंपत्तियों और देनदारियों का विस्तृत विवरण लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उपलब्ध नहीं कराया जा सका। इसलिए, प्रारंभिक शेष राशि एवं अंतःशेष राशि में कोई राहत/अंतर नहीं है।

(ख) अंतर-इकाई लेनदेन और शेष राशि का समाधान

अंतर-इकाई लेनदेन और नियमित आधार पर शेष राशि के समाधान के लिए प्रबंधन के पास आंतरिक नियंत्रण नहीं है। शाखाओं के बीच अंतर-इकाई बैलेंस में अंतर को गुड्स इन ट्रांजिट (जीआईटी) के कारण माना गया था और तदनुसार अंतर-इकाई बैलेंस का मिलान करने के लिए खातों की किताबों में लेखांकन प्रभाव दिए गए थे। मिलान करने वाली मर्दों का विस्तृत लेन-देन वार ब्रेकअप (उसकी बाद की प्राप्ति सहित) सत्यापन के लिए लेखापरीक्षकों को उपलब्ध नहीं कराया जा सका। इसके अलावा, अंतर-इकाई शेष पुष्टि प्राप्त करने और अंतरों के समाधान के लिए समय पर लेखांकन की कोई प्रक्रिया नहीं है।

अतः हम वित्तीय विवरणों में इसके संबंध में दिए गए लेखांकन प्रभावों की पूर्णता और सटीकता पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं।

(ग) देय खरीद और व्यापार के लेखांकन से संबंधित प्रक्रिया

अन्य शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा जारी रिपोर्टों के अध्ययन के आधार पर, यह पाया गया कि कारखाने में माल प्राप्त होने और निरीक्षण पूरा होने पर खरीदारी बुक की जाती है। हालांकि, यह देखा गया कि लेखा प्रणाली में जिस लागत पर खरीदारी दर्ज की जाती है, जरूरी नहीं कि वह खरीद चालान में उल्लिखित माल की वास्तविक लागत से मेल खाती हो। आगे यह देखा गया कि खरीद आदेश के अनुसार दर माल की खरीद की बुकिंग के समय मेल नहीं खाती है और कई बार खरीदारी सामग्री की ऐतिहासिक भारित औसत लागत पर बुक की जाती है न कि खरीद चालान के अनुसार वास्तविक कीमत पर।



भुगतान करते समय, खरीद चालान के अनुसार वास्तविक खरीद मूल्य पर भुगतान किया जाता है। भुगतान करते समय, मूल्य अंतर को ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता होती है। हालांकि, शाखाओं में से एक के मामले में, यह कार्यक्रम नहीं चलाया गया जिसके परिणामस्वरूप खरीद और लेनदारों का गलत विवरण हुआ। वित्तीय विवरणों पर ऐसे मामलों के प्रभाव, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसी तरह, इसका इन्वेंट्री वैल्यूएशन पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसे देखते हुए क्रय एवं देय का उचित अभिलेखन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इसी तरह, लेखा प्रणाली सामान्य बहीखाता शेष के साथ विधिवत मिलान करने वाले आपूर्तिकर्ता को अग्रिम सहित व्यापार देय शेष राशि की पार्टी-वार और चालान-वार सूची प्रदान नहीं करती है। इसके अलावा, प्रबंधन ने आपूर्तिकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं की है। अतः 31 मार्च, 2022 तक समाधान नहीं किया है।

अतः हम खरीद की पूर्णता और सटीकता, आपूर्तिकर्ता शेष राशि के लिए देय व्यापार और अग्रिमों की मौजूदगी के संबंध में पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं।

बिक्री और व्यापार प्राप्ति के लेखांकन से संबंधित प्रक्रिया

शाखाओं द्वारा किए गए सामानों की बिक्री पीपीसी नामक एक लेखा प्रणाली में दर्ज की जाती है जिससे एक्सेल रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे COMMAC में बिक्री की बुकिंग के आधार के रूप में माना जाता है। COMMAC में बिक्री की बुकिंग के समय, ऐसी बिक्री पर देय GST का हिसाब नहीं लगाया जाता है। इसके अलावा शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखापरीक्षा के दौरान शाखा लेखापरीक्षकों से प्राप्त संचार के आधार पर, यह नोट किया गया कि COMMAC में बिक्री की रिकॉर्डिंग के लिए लेखांकन प्रविष्टि लेखापरीक्षा के तहत अवधि के दौरान एक संयुक्त के रूप में दो से तीन बार पारित की जाती है। जबकि व्यापार प्राप्ति और ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों के संतुलन को वर्ष के अंत में एकल प्रविष्टि के हिस्से के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है। इसलिए इस अवधि के दौरान की गई बिक्री की ग्राहक-वार और चालान-वार सूची COMMAC से तैयार नहीं की जा सकी। ग्राहकों से प्राप्त आगे के भुगतानों को चालान स्तर पर समायोजित नहीं किया जाता है। परिणामस्वरूप, ग्राहकों से प्राप्त चालान-वार बकाया शेष की विस्तृत सूची और ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों को किसी भी लेखा प्रणाली से प्राप्त और सत्यापित नहीं किया जा सका।

व्यापार प्राप्ति और ग्राहक से प्राप्त अग्रिमों की शेष राशि संबंधित पार्टियों और/या समाधान, जैसा भी मामला हो, की पुष्टि के अधीन हैं। इस तरह की पुष्टि और सुलह होने तक, परिणामी समायोजन के प्रभाव, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सकता है। पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य के अभाव में, हम 31 मार्च, 2022 तक इन शेष राशियों की पूर्णता, सटीकता और अस्तित्व पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

इन्वेंटरी

1) इन्वेंटरी की उपलब्धता

शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार के आधार पर, यह पाया गया कि प्रबंधन ने 31 मार्च, 2022 तक इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन किया है। हालांकि प्रबंधन द्वारा उचित, विस्तृत रिपोर्ट और कार्यप्रणाली तैयार नहीं की गई है एवं शाखा लेखा परीक्षकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या सत्यापन में पाई गई सभी महत्वपूर्ण विसंगतियों को लेखा पुस्तकों में उचित रूप से दर्ज किया गया है, के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है।

इसके अलावा, शाखा लेखापरीक्षकों को दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और खातों की पुस्तकों की उनकी जांच के अनुसार, 1 अक्टूबर, 2021 (अर्थात व्यवसाय पुनर्गठन की नियत तिथि) को और उचित अंतराल पर अवधि के दौरान भी प्रबंधन द्वारा कार्यालय नियमावली के अनुसार इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।



अतः हम 31 मार्च, 2022 तक इन्वेंटरी की उपलब्धता पर पर्याप्त और उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके।

NRV सहित मूल्यांकन

शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करने के आधार पर, यह नोट किया गया कि गलत खरीद लेखांकन के प्रभाव, जैसा कि ऊपर पैरा ड. के तहत वर्णित है, के कारण इन्वेंटरी का गलत मूल्यांकन हो रहा है। आगे गैर-उत्पादन ओवरहेड्स जैसे बिक्री और प्रशासनिक ओवरहेड्स को भी इन्वेंटरी वैल्यूएशन उद्देश्य के लिए माना जाता है।

आगे, अंतर-इकाई इन्वेंटरी के संबंध में, अप्रामाण्य लाभ या हानि के उन्मूलन की पहचान नहीं की गई थी और इकाई स्तर पर अलग-अलग मालसूची में इसका लेखा-जोखा नहीं रखा गया था। किए गए प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर, ऐसे समायोजनों का प्रभाव, यदि किया जाता है, महत्वहीन होगा। हालांकि, प्रबंधन द्वारा किया गया मूल्यांकन पर्याप्त नहीं है, अतः प्रबंधन के निष्कर्ष को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे।

इसके अलावा, उपरोक्त कारणों से वास्तविक लागत से कम या अधिक मूल्य पर इन्वेंटरी का मापन, इसके परिणामस्वरूप शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (NRV) का गलत मूल्यांकन होगा। इसलिए, कम लागत या NRV पर इन्वेंटरी के मूल्यांकन के संबंध में Ind AS 2 "इन्वेंटरी" के अनुपालन को सत्यापित नहीं किया जा सका।

iii) नॉन मूविंग और स्लो मूविंग प्रावधान/Non-moving and slow-moving provision

शाखा लेखापरीक्षकों को दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और उन्हें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की जांच से यह देखा गया कि प्रबंधन द्वारा नॉन मूविंग और स्लो मूविंग इन्वेंटरी के लेखांकन प्रभाव का मूल्यांकन न कर इसे सामान्य के अनुसार मूल्यांकित किया गया। अप्रयुक्त/निष्कासित इन्वेंटरी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अचल स्टॉक के प्रावधान के बारे में कोई नीति नहीं है। प्रबंधन मूल्यांकन के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव, यदि कोई हो, की मात्रा निर्धारित करने में असमर्थ हैं।

यह भी देखा गया कि इन्वेंटरी की वास्तविक आवक संचलन और तदनुसूची खरीद की बुकिंग अर्थात् इन्वेंटरी का जावक संचलन और बिक्री की तदनुसूची मान्यता मौजूदा लेखा प्रणाली से मेल नहीं खाती है, अतः अवधि समाप्त के समय यह देय और प्राप्त्य शेष राशि को कम करके आंका जा सकता है। हालांकि, इस जोखिम को कम करने के लिए प्रबंधन नियंत्रण के अभाव में और पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य की अनुपलब्धता के कारण, हम वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं।



A. जीएसटी संबंधित लेखा

आयुध निर्माणी बोलंगीर और आयुध निर्माणी नालंदा को छोड़कर सभी शाखाओं के लिए शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के पढ़ने के आधार पर, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को रिकॉर्ड करने के बजाय आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के समय संबंधित खरीद की बुकिंग को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। हालांकि, जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, 31 मार्च, 2022 तक GST ITC को संबंधित इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखाई देने वाली शेष राशि के आधार पर दर्ज किया गया है। प्रबंधन ने जीएसटी रिटर्न के अनुसार खरीद को लेखा पुस्तकों के अनुसार मिलान नहीं किया है और इसलिए हम सिस्टम में बुक की गई अंतर्निहित खरीद की घटना पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं।

आगे, आयुध निर्माणी खमरिया (ओएफके) के शाखा लेखा परीक्षकों किए गए रिपोर्ट के अनुसार, भुगतान के समय आईटीसी दर्ज किया गया है। और 31 मार्च, 2022 तक अवैतनिक देनदारियों के संबंध में ITC को 18% की दर से अनुमानित आधार पर मान्यता दी गई थी। इसके अलावा, आईटीसी (आईटीसी के हस्तांतरण सहित) की तुलना में पुस्तकों के अनुसार आईटीसी का कोई समाधान नहीं किया गया है, कंपनी और पूर्ववर्ती इकाई की जीएसटी रिटर्न, जो आईटीसी की वसूली और पुस्तकों में इसके लेखांकन पर पर्याप्त प्रभाव डालती है। अप्रयुक्त / अनुपयोगी इन्वेंटरी के कारण ITC के किसी भी उलटफेर को मान्यता नहीं दी गई है। ओएफके के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, आईटीसी (दावों के दोहराव सहित) के अतिरिक्त दावे मौजूद हैं, जो माल और सेवा कर संबंधी कानूनों के प्रावधानों के गैर-अनुपालन को आकर्षित कर सकते हैं।

आगे, 31 मार्च, 2022 तक खातों की किताबों के अनुसार GST देयता को न तो दाखिल किए गए GST रिटर्न के साथ जोड़ा गया था और न ही इसका विवरण शाखा लेखा परीक्षक सत्यापन द्वारा सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया गया था। अतः इसकी पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

पी जी भागवत एलएलपी

Chartered AccountantsLLPIN: AAT-9949



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध "ब"

संबंधित शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्ट के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर सम तिथि पर हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत पैरा 1 में संदर्भित हम रिपोर्ट करते हैं:

i) (क) (i) शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, दो शाखाओं के संबंध में, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड कंपनी द्वारा बनाए नहीं रखा गया है। शाखा लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई इकाईवार टिप्पणियों का उल्लेख निम्नवत किया गया है:

इकाई का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणी
प्रधान कार्यालय (एचओ)	प्रधान कार्यालय ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उचित रिकॉर्ड नहीं रखा है।
गोला बारूद निर्माणी खडकी (एएफके)	शाखा ने मात्रात्मक विवरण, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए पीपीई का रिकॉर्ड डीक से नहीं रखा है। कई मामलों में, संपत्ति का स्थान, भूमि रिकॉर्ड से पहचान संख्या, मात्रात्मक विवरण आदि का संपत्ति रजिस्टर में उल्लेख नहीं किया गया है। कंपनी अधिनियम के तहत आवश्यक प्रारूप में पीपीई रजिस्टर नहीं रखा गया है। पूर्व एएफके द्वारा बनाए गए ब्लॉक बुक की सॉफ्ट कॉपी पीपीई के रिकॉर्ड के रूप में हमारे सामने पेश की गई थी, हालांकि यह नई कंपनी द्वारा वर्ष के लिए मूल्यहास आदि के अधिग्रहण की लागत जैसे विवरण नहीं देती है। हालांकि इकाई विभिन्न फर्नीचर के भौतिक कब्जे में है और कंप्यूटर, पीपीई रजिस्टर में किसी भी फर्नीचर और कंप्यूटर का उल्लेख नहीं किया गया है।
क्षेत्रीय संरक्षा नियंत्रणालय, पुणे	क्षेत्रीय संरक्षा नियंत्रणालय, पुणे शाखा ने पूरी तरह से विवरण, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति, मात्रात्मक विवरण सहित पीपीई के रिकॉर्ड को डीक से नहीं बनाया और बनाए रखा है। संपत्ति का स्थान, भूमि रिकॉर्ड से पहचान संख्या, मात्रात्मक विवरण आदि का उल्लेख संपत्ति रजिस्टर में नहीं किया गया है। कंपनी अधिनियम के तहत आवश्यक प्रारूप में पीपीई रजिस्टर नहीं रखा जाता है। पूर्व एएफके द्वारा बनाए गए ब्लॉक बुक की सॉफ्ट कॉपी पीपीई के रिकॉर्ड के रूप में हमारे सामने पेश की गई थी, हालांकि यह नई कंपनी द्वारा वर्ष के लिए मूल्यहास आदि के अधिग्रहण की लागत जैसे विवरण नहीं देती है। हालांकि इकाई विभिन्न फर्नीचर के भौतिक कब्जे में है और कंप्यूटर, पीपीई रजिस्टर में किसी भी फर्नीचर और कंप्यूटर का उल्लेख नहीं किया गया है।
अति विस्फोटक निर्माणी, पुणे	शाखा ने भवन, मशीनरी और वाहनों के मामलों को छोड़कर मात्रा के अनुसार विवरण को अद्यतन करने और शाखा द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।



इकाई का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां
आयुध निर्माणी देहरोड	शाखा ने भवन, मशीनरी और वाहनों के मामलों को छोड़कर मात्रा के अनुसार विवरण को अद्यतन करने और शाखा द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
आयुध निर्माणी खमरिया	शाखा ने संपत्ति की स्थिति से संबंधित रिकॉर्ड को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, खमरिया	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और शाखा के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, शाखा की संपत्ति को आयुध निर्माणी खमरिया की संपत्ति के साथ बनाए रखा गया है। इसलिए, हम इस खंड पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
कार्डाईट निर्माणी अरुनकाडु	शाखा ने मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं। शाखा के पास अचल संपत्तियों की रिकॉर्डिंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और इसलिए, ऐसी संपत्ति की बिक्री पर लाभ या हानि का निर्धारण करते समय वर्ष के दौरान बची गई संपत्तियों की लागत का पता नहीं लगाया जा सका।
हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी तिरुचिरापल्ली	शाखा ने मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
आयुध निर्माणी भंडारा	शाखा ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं।
राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबाझरी	यूनिट ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति और उपयोग के अधिकार की संपत्ति के प्रासंगिक विवरण सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं। हालांकि, सभी अचल संपत्तियों के लिए ब्लॉक रजिस्टर एक्सेल प्रारूप में बनाए रखा जाता है।



इकाई का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां
आयुध निर्माणी चांदा	शाखा ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के स्थान को छोड़कर, जिसे अचल संपत्ति रजिस्टर में अद्यतन नहीं किया गया है, मात्रात्मक विवरण सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है। इसके अलावा, शाखा ने लेखा पुस्तकों के साथ-साथ अचल संपत्ति रजिस्टर में फर्नीचर एवं फिक्सचर को दर्ज नहीं किया है, भले ही वे भौतिक रूप से साइट पर उपलब्ध हों। पूर्व बोर्ड से भूमि के शीर्षक विलेख को MIL के नाम पर स्थानांतरित नहीं किया है। शाखा ने पूर्ववर्ती बोर्ड द्वारा सौंपी गई अचल संपत्तियों का उचित मूल्यांकन नहीं किया है।
आयुध निर्माणी बोलंगीर	आयुध निर्माणी बोलंगीर ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं।
आयुध निर्माणी इटारसी	शाखा ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के स्थान को छोड़कर मात्रात्मक विवरण सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है, जिसे अचल संपत्ति रजिस्टर में अद्यतन नहीं किया गया है, आगे कंपनी ने अचल संपत्ति रजिस्टर में फर्नीचर और फिक्सचर को दर्ज नहीं किया है, भले ही वे समान हों भौतिक रूप से साइट पर उपलब्ध हैं और पूर्ववर्ती लेखांकन नीति के अनुसार लाभ और हानि के लिए प्रभावित हैं।
आयुध निर्माणी नालंदा	शाखा ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के स्थान को छोड़कर मात्रात्मक विवरण सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है, जिसे अचल संपत्ति रजिस्टर में अद्यतन नहीं किया गया है, आगे शाखा ने लेखा पुस्तकों में फर्नीचर और फिक्सचर को दर्ज नहीं किया है जबकि अचल संपत्ति रजिस्टर साइट पर भौतिक रूप से उपलब्ध थी।
आयुध निर्माणी वरणगांव	शाखा ने मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है

(ख) कंपनी छह इकाइयों को छोड़कर जहां शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार उचित रिकॉर्ड नहीं बनाए गए थे, को छोड़कर कंपनी अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रख रही है। शाखा लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई इकाईवार टिप्पणियों का उल्लेख नीचे किया गया :

इकाई का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणी
प्रधान कार्यालय (एचओ)	मुख्यालय ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
गोला बारूद निर्माणी खड़की (एएफके)	शाखा ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं।



इकाई का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां
क्षेत्रीय संरक्षा नियंत्रणालय, पुणे	यूनिट के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है, इसलिए यह खंड लागू नहीं होता है।
अति विस्फोटक निर्माणी, पुणे	शाखा ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
आयुध निर्माणी देहूरोड	शाखा ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
आयुध निर्माणी खमरिया	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और शाखा के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, शाखा के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है, जबकि पूर्ववर्ती संस्था ने पेटेंट अधिकार, लाइसेंस और सफल पुनर्मूल्यांकन और * विकास परियोजना प्राप्त की थी। अतः हम मात्रात्मक विवरण एवं अमूर्त स्थिति उत्पन्न सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड के रखरखाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, खमरिया	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और शाखा के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, शाखा के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है, जबकि पूर्ववर्ती संस्था ने पेटेंट अधिकार, लाइसेंस और सफल पुनर्मूल्यांकन और * विकास परियोजना प्राप्त की थी। अतः हम मात्रात्मक विवरण सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड के रखरखाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं और अमूर्त संपत्ति की स्थिति उत्पन्न होती है।
क्राईडेंट निर्माणी अरुवतकाडु	शाखा ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी तिरुचिरापल्ली	आस्थगित राजस्व व्यय के लिए रु. 45.60 करोड़ की अमूर्त संपत्ति वाली शाखा
आयुध निर्माणी भंडारा	शाखा ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं।
राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबासरी	यूनिट के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है इसलिए आदेश के खंड (i) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
आयुध निर्माणी चांदा	शाखा ने अमूर्त संपत्ति रजिस्टर में अनुसंधान और विकास व्यय का खुलासा नहीं किया है जिसे आईएनडी एएस वित्तीय विवरण में अमूर्त संपत्ति के रूप में दिखाया गया है।
आयुध निर्माणी बोलंगीर	शाखा ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
आयुध निर्माणी इटारसी	शाखा ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।



(ख)

इकाई का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां
आयुध निर्माणी नालंदा	शाखा ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
आयुध निर्माणी वरुणगांव	शाखा ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, तीन शाखाओं को छोड़कर, शेष शाखाओं के मामले में, शाखाओं की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अवधि के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। तदनुसार, विसंगतियां, यदि कोई हों, का पता नहीं लगाया जा सका। अतः शाखा लेखा परीक्षक इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या विसंगतियां, यदि कोई हैं, को लेखा पुस्तकों में ठीक से निपटाया गया है। शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए और हमारे द्वारा देखे गए विवरण नीचे दिए गए हैं:

इकाई का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां
प्रधान कार्यालय (एचओ)	परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रधान कार्यालय स्तर पर नहीं किया गया है।
गोला बारुद निर्माणी खड़की (एएफके)	यह बताया गया कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाता है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति को देखते हुए उचित है। वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया। जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गईं। हमारे समक्ष एक पेज की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि संपत्ति के भौतिक सत्यापन में कोई विसंगति नहीं है। हालांकि यह इस तथ्य का उल्लेख नहीं करता है कि कंप्यूटर और फर्नीचर जो शाखा के अधीन है, वह भौतिक रूप से मौजूद हैं परंतु वे संपत्ति रिकॉर्ड में नहीं पाए गए हैं। अतः हमारी राय में शाखा द्वारा किया गया कार्य विश्वसनीय नहीं प्रतीत होता है।
क्षेत्रीय संरक्षा नियंत्रणालय, पुणे	यह बताया गया कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाता है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति को देखते हुए उचित है। वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया। जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, इस तरह के सत्यापन में कोई विशेष विसंगतियां नहीं देखी गईं।
अति विस्फोटक निर्माणी, पुणे	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा सत्यापन के एक नियमित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया था, जो हमारी राय में, नमूना जांच के आधार पर अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन का प्रावधान करता है। आगे, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट में विसंगतियों का विवरण नहीं दिया गया है। अतः हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि इस तरह के सत्यापन पर ध्यान देने योग्य विसंगतियों का कोई प्रभाव है या नहीं।



इकाई का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां
आयुध निर्माणी देहरोड़	सत्यापन के एक नियमित कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया, जो हमारी राय में तमूना जांच के आधार पर अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन का प्रावधान करता है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट में विसंगतियों का विवरण नहीं दिया गया है। अतः हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि इस तरह के सत्यापन पर ध्यान देने योग्य विसंगतियों का कोई प्रभाव है या नहीं।
आयुध निर्माणी खमरिया	ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और एक कंपनी की शाखा के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, शाखा के पास अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन की नीति, दिशा और कार्यक्रम होता है जिसके द्वारा सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की सत्यापित किया जा सकता है। हालांकि, रिपोर्ट की जांच करने पर हमने पाया कि विभिन्न विसंगतियां मौजूद हैं, जिन्हें इस रिपोर्ट के बिंदु संख्या-5 में अनुबंध-क के खंड-द्वितीय में विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। अतः हम खंड की निम्नलिखित आवश्यकता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं:- (i) क्या इस तरह के सत्यापन पर कोई वास्तविक विसंगतियां देखी गईं? एवं (ii) क्या लेखा पुस्तकों में इनका उचित तरीके से निपटारा किया गया है?
आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, खमरिया	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और एक कंपनी की शाखा के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर शाखा के पास अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन का कोई कार्यक्रम नहीं है जिसके द्वारा सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का सत्यापन किया जा सकता है। इसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के गैर-सत्यापन के अभाव में, हम खंड की निम्नलिखित आवश्यकता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं:- (i) क्या इस तरह के सत्यापन पर कोई वास्तविक विसंगतियां देखी गईं? एवं (ii) क्या लेखा पुस्तकों में इनका उचित तरीके से निपटारा किया गया है?



इकाई का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां
कार्डाईट निर्माणी अरुवतकाडु	सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को प्रबंधन द्वारा समय के एक नियमित अंतराल पर (आमतौर पर वर्ष में एक बार) भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं देखी गई।
हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी तिरुचिरापल्ली	प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है और कोई विसंगति नहीं पाई जाती है।
आयुध निर्माणी भंडारा	सत्यापन का कोई नियमित कार्यक्रम नहीं है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में अनुचित है।
राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबाझरी	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इकाई ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन नहीं किया है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का अंतिम भौतिक सत्यापन जून-2020 में हुआ था।
आयुध निर्माणी चांदा	शाखा ने पूर्व बोर्ड से संपत्ति का हस्तांतरण करते समय दि. 31.03.2022 तक का भौतिक सत्यापन किया है। अतः हम उपलब्ध रिकॉर्ड की तुलना में भौतिक सत्यापन में भौतिक विसंगतियों पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।
आयुध निर्माणी बोलंगीर	आ.नि.बोलंगीर के पास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सत्यापन से संबंधित 3 साल की अवधि में चरणबद्ध तरीके से कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं है, जो हमारी राय में उचित नहीं है। आ.नि.बोलंगीर के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति को देखते हुए सत्यापन कार्यक्रम के अनुसार, कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण वर्ष के दौरान सत्यापन के लिए देय थे एवं जिन्हें वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किया गया।
आयुध निर्माणी इटारसी	शाखा ने पूर्व बोर्ड से और साथ ही 31.03.2022 को संपत्ति का हस्तांतरण करते समय संपत्ति का भौतिक सत्यापन नहीं किया है। अतः हम उपलब्ध रिकॉर्ड की तुलना में भौतिक सत्यापन में भौतिक विसंगतियों पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।
कार्डाईट निर्माणी अरुवतकाडु	सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को प्रबंधन द्वारा समय के एक नियमित अंतराल पर (आमतौर पर वर्ष में एक बार) भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं देखी गई।



इकाई का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां
आयुध निर्माणी नालंदा	शाखा ने पूर्व बोर्ड से और साथ ही 31.03.2022 को संपत्ति का हस्तांतरण करते समय संपत्ति का भौतिक सत्यापन नहीं किया है। अतः हम उपलब्ध रिकॉर्ड की तुलना में भौतिक सत्यापन में भौतिक विसंगतियों पर टिप्पणी नहीं कर सकते।
आयुध निर्माणी वरणगांव	कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को कवर करने के लिए नियमित रूप से भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम नहीं करती है।

अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं क्योंकि सभी संपत्तियों को रक्षा मंत्रालय के निर्णय के परिणामस्वरूप 29 सितंबर 2021 के समझौता ज्ञापन के तहत तत्कालीन आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा 7 नई रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (DPSUs) को स्थानांतरित करने के लिए हस्तांतरित किया गया। यह कंपनी ऐसे ही एक डीपीएसयू की है। हालांकि, जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी ने "नए डीपीएसयू के नाम पर पूर्व आयुध निर्माणियों की भूमि को सौंपना" नामक हस्ताक्षरित दस्तावेज प्राप्त किया है। आगे हमें सूचित किया गया कि कंपनी के नाम से टाइटल डीड के हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। कंपनी ने लागत मॉडल को अपनाया है और इसलिए इस अवधि के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया।

हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1998 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है। अतः आदेश के खंड 3(i)(e) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(क) हमारी राय में और शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, छह शाखाओं को छोड़कर, इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित और निर्णायक नहीं है। अतः विसंगतियों, यदि कोई हो, पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा बताए गए विवरण नीचे दिए गए हैं:

Name of Unit	Comments by respective branch auditor
प्रधान कार्यालय (एनओ) गोला ब्राह्म निर्माणी	मुख्यालय के पास कोई इन्वेंटरी नहीं है। अतः आदेश के खंड 3(ii)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
खड़की(एएफके)	स्टोर की सूची को अलग आंतरिक निरीक्षण विभाग द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है और इन्वेंटरी की अन्य वस्तुओं को उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, जो कि उचित है। हमारे समक्ष प्रस्तुत एक पृष्ठ की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि "भौतिक इन्वेंटरी सत्यापित और रिकॉर्ड के अनुसार इन्वेंटरी में कोई विसंगति / अंतर नहीं है।" हालांकि बाद में हमारे ऑडिट के दौरान इन्वेंटरी का सत्यापन करते समय भौतिक विसंगतियों पर ध्यान दिया गया है। सूची के भौतिक w/off के साथ-साथ मूल्यांकन के संबंध में सहत्वपूर्ण मामले से संबंधित हमारे अनुलग्नक-क टिप्पणी को देखें। इसलिए हमारी राय में प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री को भौतिक रूप से ठीक से सत्यापित नहीं किया गया है, और प्रबंधन द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन विश्वसनीय नहीं है। भौतिक सत्यापन पर विस्तृत विसंगति/भिन्नता रिपोर्ट सत्यापन के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई।



Name of Unit	Comments by respective branch auditor
क्षेत्रीय संरक्षा नियंत्रणालय, पुणे Regional Controller of safety	स्टोर की सूची को अलग आंतरिक निरीक्षण विभाग द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है और इन्वेंटरी की अत्य वस्तुओं को उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, जो कि उचित है।
अति विस्फोटक निर्माणी, पुणे Highly Explosive Factory, Pune	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा नमूना जांच के आधार पर नियमित अंतराल पर इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन किया गया है। तथापि, निरीक्षण के विवरण का उल्लेख करते हुए ऐसे सत्यापन की विस्तृत रिपोर्ट सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं की गई थी। अतः हम लेखा पुस्तकों में दी जाने वाली महत्वपूर्ण विसंगतियों, यदि कोई हों, के प्रभाव पर टिप्पणी नहीं कर सकते। इस तरह के सत्यापन के कवरेज और प्रक्रिया के संबंध में, यह उचित है या नहीं, इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती।
आयुध निर्माणी देहुरोड Ordnance Factory Dehuroad	प्रबंधन द्वारा नमूना जांच के आधार पर नियमित अंतराल पर वर्ष के दौरान इन्वेंटरी का वास्तविक सत्यापन किया गया है। तथापि, निरीक्षण के विवरण का उल्लेख करते हुए ऐसे सत्यापन की विस्तृत रिपोर्ट सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं की गई थी। अतः हम लेखा पुस्तकों में दी जाने वाली महत्वपूर्ण विसंगतियों, यदि कोई हों, के प्रभाव पर टिप्पणी नहीं कर सकते। इस तरह के सत्यापन के कवरेज और प्रक्रिया के संबंध में, यह उचित है या नहीं, इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती।
Ordnance Factory Khamaria	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा पुस्तकों की हमारी जांच के अनुसार प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है जैसा कि कार्यालय जापन में निर्धारित किया गया है। हालांकि, शाखा ने वित्तीय वर्ष के अंत के बाद इन्वेंटरी का सत्यापन किया है, जिसके लिए टीम के सदस्यों द्वारा कोई उचित, विस्तृत रिपोर्ट और विस्तृत कार्य तैयार नहीं किया गया है और हमें हमारी प्रतिपरीक्षा के लिए प्रदान किया गया है ताकि एक आश्वासन दिया जा सके एवं यह निष्कर्ष निकाला कि सत्यापन में पाई गई सभी महत्वपूर्ण विसंगतियों को लेखा पुस्तकों में उचित रूप से समायोजित कर लिया गया है। एक पृष्ठ की सत्यापित सूची में रुपये 87,68,50,571/- के मूल्य के 17 मद शामिल हैं। (एसआईएच मूल्य का 18.23%) कुल 12771 मदों में से रु. 480,92,20,010/- स्टोर इन हैंड के तहत तैयार संघटकों (SIH) को छोड़कर कवर किया गया है। यह इंगित करता है कि कुल इन्वेंटरी में केवल 8.98% ही सत्यापित किया गया है जबकि अन्य इन्वेंटरी अर्थात WIP और FG जिसमें तैयार घटक शामिल हैं, जो कुल इन्वेंटरी का 50.73% है, को इन्वेंटरी सत्यापन कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। उपरोक्त अवलोकन के मद्देनजर, हमारी राय में इन्वेंटरी के सत्यापन की तुलना में इसके मिलान, ऑडिट ट्रायल्स के लिए विस्तृत वर्किंग शीट का रखरखाव और खाते की किताबों में उचित समायोजन प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहा है और इसमें सुधार की आवश्यकता है।



Name of Unit	Comments by respective branch auditor
आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान, खसरिया	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा पुस्तकों की हमारी जांच के अनुसार कोई इन्वेंटरी नहीं रखी गई है। अतः CARO, 2020 का यह बिंदु लागू नहीं होता है।
कार्डाइट निर्माणी अरुनकाडु	यह नोट किया गया कि प्रबंधन ने 31 मार्च, 2022 तक इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन किया है। हालांकि, प्रबंधन द्वारा उचित, विस्तृत रिपोर्ट और कार्यप्रणाली तैयार नहीं की गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए शाखा लेखा परीक्षकों को उनके प्रति परीक्षण के लिए प्रदात किया गया है एवं क्या सभी सामग्री विसंगतियां देखकर उन्हें सत्यापन कर लेखा पुस्तकों में उचित रूप से समायोजित किया गया है। आगे, शाखा लेखा परीक्षकों को दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और खातों की पुस्तकों की उनकी जांच के अनुसार, 1 अक्टूबर, 2021 को इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था और प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर कार्यालय नियमावली में निर्धारित अवधि के दौरान भी नहीं किया गया। अतः हम 31 मार्च, 2022 तक इन्वेंटरी के अस्तित्व पर पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। स्टॉक के भौतिक सत्यापन का प्रमाण पत्र, अर्थात् WIP और तैयार माल, शाखा द्वारा कई बार संशोधित किया गया। अतः स्टैंड एलोन वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए सटीकता एवं शुद्धता पर हमारी अपनी आशंका है।
हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी तिरुचिरापल्ली	प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन किया गया है और ऑडिटर की राय में, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है; इन्वेंटरी के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल योग में 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई और उन्हें लेखा पुस्तकों में निम्नलिखित को छोड़कर उचित रूप से लिपटाया गया है। WIP में इन्वेंटरी की मद है जिसे गुणवत्ता की समस्याओं (रु. 0.23Cr) के कारण अस्वीकार कर दिया गया है। हमारी राय है कि लाभ/खातों की सही और निष्पक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए खातों में पर्याप्त प्रावधान/बेटे खाते में डाले जाने चाहिए।



Name of Unit	Comments by respective branch auditor
आयुध निर्माणी भंडारा	प्रबंधन ने गूड्स-इन-ट्रांजिट और तीसरे पक्ष के पास पड़े स्टॉक को छोड़कर, अवधि के दौरान उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया है। अवधि के अंत में तीसरे पक्ष के पास पड़े स्टॉक के लिए, प्रबंधन द्वारा लिखित पुष्टिकरण कुछ सहयोगी संस्थाओं को छोड़कर प्राप्त नहीं किया गया है। हमारी राय में प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया अनुचित है।
राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबासरी	यूनिट के पास कोई सूची नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
आयुध निर्माणी जांदा	जैसा कि हमें समझाया गया है एवं हमारे सामने प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर, समझाया गया है हमारी राय में, हालांकि प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन उचित अंतराल पर आयोजित किया गया है। हालांकि प्रबंधन द्वारा उचित, विस्तृत रिपोर्ट और कार्यप्रणाली तैयार नहीं की गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए शाखा लेखापरीक्षकों को उनकी प्रतिपरीक्षा के लिए प्रदान की गई है कि सभी सामग्री विसंगतियां पाई गई हैं या नहीं। सत्यापन में खाता पुस्तकों में उचित रूप से समायोजित किया गया है।
आयुध निर्माणी बोलंगीर	प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर वर्ष के दौरान इन्वेंट्री का वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया कंपनी के आकार और इसके संचालन की प्रकृति के संबंध में उचित नहीं है। खाते की किताबों के साथ तुलना करने पर इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन पर प्रत्येक वर्ग की इन्वेंट्री के कुल योग में 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई।
आयुध निर्माणी भंडारा	प्रबंधन ने गूड्स-इन-ट्रांजिट और तीसरे पक्ष के पास पड़े स्टॉक को छोड़कर, अवधि के दौरान उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया है। अवधि के अंत में तीसरे पक्ष के पास पड़े स्टॉक के लिए, प्रबंधन द्वारा लिखित पुष्टिकरण कुछ सहयोगी संस्थाओं को छोड़कर प्राप्त नहीं किया गया है। हमारी राय में प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया अनुचित है।
आयुध निर्माणी इटारसी	जैसा कि हमें समझाया गया है और हमारे सामने पेश किए गए रिकॉर्ड के आधार पर, हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है, हालांकि उचित, विस्तृत रिपोर्ट और कार्य प्रबंधन द्वारा तैयार नहीं किया गया है और शाखा लेखापरीक्षकों को उनकी प्रतिपरीक्षा के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जाता है कि सत्यापन में पाई गई सभी महत्वपूर्ण विसंगतियों को खातों की पुस्तकों में उचित रूप से समायोजित किया गया है या नहीं।



Name of Unit	Comments by respective branch auditor
आयुध निर्माणी नालदा	जैसा कि हमें समझाया गया है और हमारे सामने पेश किए गए रिकॉर्ड के आधार पर, हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन किया गया है, हालांकि उचित, विस्तृत रिपोर्ट और कार्य प्रबंधन द्वारा तैयार नहीं किया गया है और शाखा लेखापरीक्षकों को उनकी प्रतिपरीक्षा के लिए वह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जाता है कि सत्यापन में पाई गई सभी महत्वपूर्ण विसंगतियों को खातों की पुस्तकों में उचित रूप से समायोजित किया गया है या नहीं।
आयुध निर्माणी बरलगांव	प्रबंधन ने वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन नहीं किया है। हमारी राय में प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कबरेज और श्रद्धा अनुचित है।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वर्तमान संपत्ति की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की ब्रकिंग केपिटल लिमिट स्वीकृत नहीं की गई है। अतः आदेश के खंड 3(II)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

- ii. कंपनी के निगमन का पहला वर्ष होने के कारण, इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी द्वारा कोई आयकर रिटर्न नहीं भरा गया है और इसलिए आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कोई आकलन पुरा नहीं हुआ है या प्रगति पर है। अतः खंड 3(viii) के तहत रिपोर्टिंग आदेश लागू नहीं होता है।
- iii. कंपनी ने धारा 185 और 186 के तहत कवर किए गए pParties को कोई ऋण या कोई निवेश नहीं किया है, या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। इसलिए, उक्त आदेश के खंड 3(iv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- iv. कंपनी ने अधिनियम की धारा 73, 74, 75 और 76 के तहत जनता से जमा मानी जाने वाली किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है और नियमों को अधिसूचित सीमा तक तय किया है।
- v. कंपनी के निगमन का पहला वर्ष/अवधि होने के नाते कंपनी के किसी भी उत्पाद के लिए अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव चालू वर्ष के लिए लागू नहीं है। इसलिए उक्त आदेश के खंड 3(vi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- vi. कंपनी ने धारा 185 और 186 के तहत कवर किए गए pParties को कोई ऋण या कोई निवेश नहीं किया है, या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। इसलिए, उक्त आदेश के खंड 3(iv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- vii. कंपनी ने अधिनियम की धारा 73, 74, 75 और 76 के अर्थ में जनता से कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है और इसके तहत अधिसूचित सीमा तक नियम बनाए गए हैं।
- viii. कंपनी ने धारा 185 और 186 के तहत कवर किए गए pParties को कोई ऋण या कोई निवेश नहीं किया है, या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। इसलिए, उक्त आदेश के खंड 3(iv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- ix. कंपनी ने अधिनियम की धारा 73, 74, 75 और 76 के तहत जनता से जमा मानी जाने वाली किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है और नियमों को अधिसूचित सीमा तक तय किया है।
- x. कंपनी के निगमन का पहला वर्ष/अवधि होने के कारण कंपनी के किसी भी उत्पाद के लिए अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव चालू वर्ष के लिए लागू नहीं है। इसलिए उक्त आदेश के खंड 3(vi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- xi. (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और संबंधित लेखा परीक्षकों की राय में शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, मामले में वैधानिक देय राशि को छोड़कर
- xii. बारहवीं। कंपनी ने धारा 185 और 186 के तहत कवर किए गए pParties को कोई ऋण या कोई निवेश नहीं किया है, या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। इसलिए, उक्त आदेश के खंड 3(iv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- xiii. xiii। कंपनी ने अधिनियम की धारा 73, 74, 75 और 76 के तहत जनता से जमा मानी जाने वाली किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है और नियमों को अधिसूचित सीमा तक तय किया है।
- xiv. कंपनी के निगमन का पहला वर्ष/अवधि होने के कारण कंपनी के किसी भी उत्पाद के लिए अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव चालू वर्ष के लिए लागू नहीं है। इसलिए उक्त आदेश के खंड 3(vi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- xv. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और संबंधित लेखा परीक्षकों की राय में शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, मामले में वैधानिक देय राशि को छोड़कर



नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित शाखाओं की संख्या के अनुसार, कंपनी माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, विक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सहित अचिवादि वैधानिक वकाया जमा करने में नियमित हैं। मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक देय राशि, जैसा लागू हो, उपयुक्त अधिकारियों के पास 31 मार्च, 2022 तक वकाया होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए वकाया वैधानिक वकाया राशि का कोई वकाया नहीं

इकाई का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ
आयुध निर्माणी खमरिया	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा पुस्तकों की हमारी जांच के अनुसार, एक कंपनी की शाखा में भवत और अन्य निर्माण भूमि कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 4 के तहत भ्रम उपकर जमा करने में देरी की है और माह अक्टूबर-21 से संबंधित टीडीएस को जमा करने में भी देरी की है जिसे दिसंबर-21 माह में जमा किया गया है। हालांकि पुरा डाटा उपलब्ध न होने के कारण हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अंबाला	बिबसाइट ब्रुटि रखरखाव के कारण ESIC और भविष्य निधि के भुगतान में कुछ देरी को छोड़कर यूनिट आम तौर पर उपयुक्त अधिकारियों के साथ लागू वैधानिक देय राशि जमा करने में नियमित रही है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, 31 मार्च, 2022 तक उप-खंड (क) में निर्दिष्ट वैधानिक देय राशि का विवरण जो खाते में जमा नहीं किया गया है शाखा लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्ट किए गए विवाद के मामले इस प्रकार हैं:

शाखा का नाम	अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (करोड़ रु.)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
आयुध निर्माणी भंडारा	Central Excise Act 1944	Excise Duty	8.98 Crore	01.06.2015 to 30.06.2017	The Custom Excise and Service Tax Appellate Tribunal

xvi) कंपनी के निगमन का पहला वर्ष होने के नाते, इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी द्वारा कोई आयकर रिटर्न नहीं भरा गया है और इसलिए आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कोई आकलन पूर्ण या प्रगति पर नहीं है। इसलिए खंड 3(viii) के तहत रिपोर्टिंग आदेश लागू नहीं होता है।

ix.(ए) चूंकि कंपनी के पास वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(ए) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(बी) चूंकि कंपनी द्वारा कोई उधार नहीं लिया गया है इसलिए इरादतन चूककर्ता से संबंधित खंड 3(ix)(बी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(सी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, कंपनी ने कोई सावधि ऋण नहीं लिया है।



हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने अल्पावधि के आधार पर कोई निधि नहीं जुटाया है।

(e) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने किसी इकाई या व्यक्ति से अपने सहयोगी के दायित्वों को पूरा करने के लिए या उसके लिए कोई निधि नहीं लिया है। कंपनी की कोई सहायक या संयुक्त उद्यम नहीं है।

(f) कंपनी ने इस अवधि के दौरान अपने सहयोगी की प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण नहीं लिया है। कंपनी का कोई सहायक या संयुक्त उद्यम नहीं है।

x (a) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(ए) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(b) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमात्र्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(बी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xi (a) भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा प्रथाओं के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, कंपनी की बहियों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, हम शाखा लेखा परीक्षकों के साथ इस अवधि के दौरान न तो कंपनी द्वारा या कंपनी द्वारा घोषणाधड़ी की कोई घटना देखी गई या रिपोर्ट की गई, न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना दी गई है।

(b) भारत में आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग प्रथाओं के अनुसार किए गए कंपनी के खातों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, एडीटी -4 के रूप में उप के तहत निर्दिष्ट फॉर्म में रिपोर्ट करें। -कंपनी अधिनियम की धारा 143 की धारा (12) दायर नहीं की गई है। तदनुसार आदेश के खंड 3(xi)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(c) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के अनुसार व्हिसल ब्लोअर से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं। जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें बताया गया है और संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्ट के आधार पर उक्त अवधि के दौरान कंपनी व्हिसल ब्लोअर की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

xii. चूंकि कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इस पर निधि नियम, 2014 उस पर लागू नहीं होते हैं। अतः आदेश के खंड 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xiii. मुख्य ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन पैराग्राफ के अस्वीकरण के लिए आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों के कारण, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कंपनी ने अधिनियम की धारा 188 के प्रावधानों के अनुपालन में संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन किया है या नहीं। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, संबंधित पार्टी के लेन-देन के विवरण को कंपनी के वित्तीय विवरणों में इंड एस 24 के अनुसार खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट संबंधित पार्टी के खुलासे, कंपनियों के साथ पड़े (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, संशोधित रूप में। इसके अलावा, कंपनी ने अधिनियम की धारा 177 के तहत आवश्यक लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया है, हालांकि हमें यह सूचित किया गया था कि कंपनी इसके संबंध में अनुपालन करने की प्रक्रिया में है। वित्तीय विवरणों के लिए नोट 41 देखें।



xiv) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली से संबंधित धारा 138 के कंपनी प्रावधानों के निगमन का पहला वर्ष/अवधि होने के नाते लेखापरीक्षा के तहत वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। जैसा कि निम्नलिखित शाखाओं के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा बताया गया है, संबंधित शाखा में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है। हालांकि यह कंपनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप नहीं है।

इकाई का नाम	संबंधित शाखा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां
अति विस्फोटक निर्माणी, पुणे	शाखा के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है।
आयुध निर्माणी देहू रोड, पुणे	शाखा के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है।
आयुध निर्माणी खमरिया	हमें प्रदान की गई आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट उचित, प्रभावी नहीं हैं और आंतरिक लेखापरीक्षा में शामिल किए जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों और पहलुओं की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। हमारी राय है कि किसी कंपनी की शाखा में उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है।
कार्डाइट निर्माणी अरुवनकाडु	हमारी राय में और हमारे परीक्षण के आधार पर, शाखा के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है।
आयुध निर्माणी इटारसी	शाखा के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है।
आयुध निर्माणी नालंदा	शाखा के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है।
आयुध निर्माणी	कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है क्योंकि यह इसके संचालन का पहला वर्ष है।

(ख) आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित धारा 138 के प्रावधान लेखापरीक्षा के तहत वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। आगे, उपरोक्त खंड 3 (xiv) (ए) के तहत दी गई टिप्पणी के मद्देनजर, हम आदेश के खंड 3 (xiv) (बी) पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, कंपनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi. (ए) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ए) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं। इसलिए आदेश के खंड 3(xvi)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।



- (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है, इसलिए खंड 3 (xvi) के तहत रिपोर्टिंग (c) आदेश लागू नहीं होता है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर और जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है, समूह के पास समूह के हिस्से के रूप में कोई कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।
- (xvii) चालू वित्त वर्ष/अवधि के दौरान कंपनी को कोई नकद घाटा नहीं हुआ है।
- (xviii) वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा कोई इस्तीफा नहीं दिया गया है। अतः आदेश के खंड 3(xviii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तारीखों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल का हमारा ज्ञान और प्रबंधन योजना और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी परीक्षा के आधार पर और आगे यह भी विचार करते हुए कि कंपनी रक्षा क्षेत्र में एक सरकारी कंपनी है, केंद्र सरकार द्वारा सक्रिय इकटिती भागीदारी और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्ट के विचार के आधार पर, कुछ भी नहीं है हमारे ध्यान में आया, जो हमें विश्वास दिलाता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है और जब वे एक की अवधि के भीतर आती हैं बैलेंस शीट की तारीख से वर्ष। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा, कंपनी के द्वारा जब वे देय होते हैं।
- (xx) (क) कंपनी के निगमन का पहला वर्ष होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए लागू नहीं हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(ए) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।
- (ख) कंपनी के निगमन का पहला वर्ष होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए लागू नहीं हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(बी) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

पीजी भागवत एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या: 101118W/W100682



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध न

सम दिनांक पर हमारी रिपोर्ट के शीर्षक "अन्य कानूनी और वित्तीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत अनुच्छेद 2(i) में संदर्भित:

वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत

हमने 31 मार्च, 2022 तक म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") (जिसमें प्रधान कार्यालय और पंद्रह शाखाएं शामिल हैं) के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-जोखा किया है, साथ ही उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा भी किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी कंपनी का प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों के संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा का संचालन किया है। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और ऑडिट करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, उस जोखिम का आकलन करना शामिल है जिसमें भौतिक कमजोरी मौजूद है, और आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन एवं मूल्यांकन जोखिम। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतबयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

राय के खंडन के नीचे वर्णित मामले के कारण, हम कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखापरीक्षा राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे।



वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेन-देन आवश्यक रूप से दर्ज करना है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएँ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइट की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री का गलत विवरण हो सकता है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं का अनुपालन बिगड़ सकता है।

हमारी कोई जवाबदारी नहीं है

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन की राय में, कंपनी ने आंतरिक लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के आधार पर या मानदंड पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपना आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित नहीं किया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय नियंत्रण ('गाइडेंस नोट')। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, निगमन का पहला वर्ष होने के नाते, कंपनी गाइडेंस नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के आधार पर या विचार करते हुए मानदंडों पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लागू करने की प्रक्रिया में है।

इस कारण से, हम अपनी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं कि क्या वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और क्या ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में लागू ऑडिट परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताए गए अस्वीकरण पर विचार किया है, और अस्वीकरण ने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित किया है और हमने जारी किया है कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय का अस्वीकरण। कृपया हमारी मुख्य ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन पैराग्राफ के अस्वीकरण का आधार देखें।



अन्य मामलों

अधिनियम की धारा 143(3)(I) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह पंद्रह शाखाओं से संबंधित है, ऐसी शाखाओं के लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है। इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अभिजीत शेखे

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 151638

यूडीआईएन: 23151638BGQGEJ3393

स्थान - पुणे

तारीख- 31 दिसंबर, 2022

पी.जी. भागवत एलएलपी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या: 101118W/W100682

LLPIN: AAT-9949



अनुबंध घ - अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/अतिरिक्त निर्देशों पर रिपोर्ट Annexure D- Report on Directions / Additional Directions issued by Comptroller and Auditor General of India under sub-section (5) of section 143 of the Act

अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, और लेखा पुस्तकों की ऐसी जांच के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा, दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण हमारे लिए और संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा जारी की गई लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार के आधार पर और हमारे विचार के अस्वीकरण के आधार पर निर्दिष्ट मामलों के अधीन, हम उक्त निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण नीचे देते हैं।

अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (5) के तहत निर्देश और अतिरिक्त निर्देश

निर्देश/अतिरिक्त निर्देश	टिप्पणियां
क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखा लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो तो स्पष्ट करें।	कृपया हमारी मुख्य ऑडिट रिपोर्ट के अनुबंध ए के खंड 1 के तहत पैरा क देखें। इसके अलावा, राय पैराग्राफ के अस्वीकरण के लिए आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों के कारण, हम वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के प्रभावों पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं।
क्या ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को किए गए ऋण/ऋण/व्याज आदि को माफ करने/बड़े खाते में डालने के मामले में मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को स्पष्ट करें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों पर भी लागू होता है।)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने इस अवधि के दौरान कोई ऋण प्राप्त नहीं किया है और न ही कोई मौजूदा ऋण है। इसलिए यह खंड लागू नहीं होता है।



निर्देश/अतिरिक्त निर्देश	टिप्पणियां
क्या कंपनी ने आईएनडी एस और अन्य संबंधित सरकार के प्रावधानों के अनुसार नवगठित डीपीएसयू को तत्कालीन आयुध निर्माणियों की संपत्ति और देनदारियों को भारत सरकार के आदेश या निर्देशों से स्थानांतरित किया है? यदि कोई विचलन है, तो विचलन की प्रकृति और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को स्पष्ट करें।	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, तत्कालीन आयुध कारखानों की संपत्ति और देनदारियों को आईएनडी एस के प्रावधानों के अनुसार और अन्य संबंधित भारत सरकार के आदेश या निर्देशों के अनुसार नवगठित डीपीएसयू में स्थानांतरित कर दिया गया है। हालांकि व्यापार पुनर्गठन के एक हिस्से के रूप में अर्जित संपत्तियों और देनदारियों की पूर्णता के संबंध में पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य की कमी के कारण और इस तथ्य पर भी विचार किया गया कि ये शेष राशि भारत के किसी भी स्वतंत्र लेखा परीक्षक या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के अधीन नहीं थे।, यदि कोई हो तो हम विचलन सहित पूर्णता पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं। कृपया उपर्युक्त उल्लिखित क्रम संख्या 1 के अधीन मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट के विशेष मामले के महत्वपूर्ण पैराग्राफ 1 को देखें।
क्या कंपनी ने प्रधान नियंत्रक लेखा (FY) द्वारा व्यावसायिक प्रारूप में तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के अनुसार तत्कालीन आयुध कारखानों के समापन शेष के साथ नए गठित DPSU की संपत्ति और देनदारियों के शुरुआती शेष का मिलान किया है? देखी गई विसंगतियां (यदि कोई हों) और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को स्पष्ट करें।	1 अक्टूबर, 2021 को व्यवसाय पुनर्गठन के कारण कंपनी द्वारा अधिग्रहीत संपत्ति और देनदारियों के शेष, भारत के किसी भी स्वतंत्र लेखा परीक्षक या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) से लेखापरीक्षा के अधीन नहीं थे। ये शेष राशि 30 सितंबर, 2021 तक रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) द्वारा बनाए गए संबंधित इकाइयों की गैर-लेखापरीक्षित लेखा पुस्तकों से ली गई थी, जिसके लिए इन संपत्तियों और देनदारियों का विस्तृत ब्रेकअप और तत्कालीन आयुध निर्माणियों के समापन शेष के साथ उनका समाधान किया गया था। प्रधान लेखा नियंत्रक (FY) द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरणों को लेखापरीक्षा के उद्देश्य से लेखापरीक्षकों को उपलब्ध नहीं कराया जा सका। इसके अलावा, राय अनुच्छेद का अस्वीकरण के आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों के कारण, हम इस पैरा पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं। उपर्युक्त उल्लिखित क्रम संख्या 1 के अधीन मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट के विशेष मामले के महत्वपूर्ण पैराग्राफ 1 को देखें।



निर्देश/अतिरिक्त निर्देश	टिप्पणियां
क्या कंपनी ने कंपनी के गठन की तिथि पर अन्य डीपीएसयू के साथ इंटर-फैक्टरी शेष राशि का मिलान किया है और क्या अन्य डीपीएसयू से बकाया/देय शेष के लिए पुष्टि प्राप्त की गई है? प्रत्येक डीपीएसयू के लिए असमाशोधित शेष राशि, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए।	जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें सूचित किया गया है, कंपनी के गठन की तारीख को अन्य डीपीएसयू के साथ अंतर-निर्माणी शेष राशि का मिलान शाखा लेखा परीक्षकों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अलावा, राय पैराग्राफ के अस्वीकरण के लिए आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों के कारण, हम इस पैराग्राफ पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं।
क्या डीपीएसयू द्वारा इंड एस के प्रावधानों के अनुसार और रक्षा क्षेत्र के लिए लागू विवेकपूर्ण लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लेखांकन नीतियां तैयार की गई हैं? असंगति, यदि कोई हो, बताई जा सकती है।	हां, डीपीएसयू द्वारा आईएंडडी एस के प्रावधानों के अनुसार और रक्षा क्षेत्र के लिए लागू विवेकपूर्ण लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लेखांकन नीतियां तैयार की गई हैं।
क्या डीपीएसयू के गठन की तारीख पर कर्मचारी लाभ देनदारियों और उनके मूल्यांकन के लिए प्रावधान आईएंडडी एस के प्रावधानों के अनुसार किए गए हैं? विचलन, यदि कोई हो, स्पष्ट करें।	हमें प्रदात की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, तत्कालीन आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) की उत्पादन सुविधाओं के निगमीकरण पर, पूर्व ओएफबी के कर्मचारियों को रक्षा मंत्रालय के कार्यालय जापन (ओएम) संख्या 1(5)/2021/ओएफ/डीपी(पीएलजी-V)/02 दिनांक 24 सितंबर, 2021 के द्वारा दो साल की प्रारंभिक अवधि के लिए डीम्ड प्रतिनिधित्व पर कंपनी में स्थानांतरित कर दिया गया है। उक्त कार्यालय जापन के अनुसार, कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी बने रहेंगे और इसलिए वेतन भत्ते, छुट्टी, चिकित्सा सुविधा और पेंशन की देनदारी केंद्र सरकार की बाध्यता बनी रहेगी। वित्तीय विवरणों में आईएनडी-एस 19 के अनुसार ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों और भत्तों के प्रावधान को मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि ये केंद्र सरकार का दायित्व है, कंपनी का नहीं। उपर्युक्त मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट के विशेष मामले के महत्वपूर्ण पैराग्राफ 2 को देखें।

For PG BHAGWAT LLP

Chartered

Accountants

Firm Registration Number: 101118W/W100682

Abhijit Shetye

Partner

Membership Number: 151638

UDIN: 23151638BGQGEJ3393

Place - Pune

Date - December 31, 2022



Comments of The Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the accounts of Munitions India Limited for the period ended 31st March, 2022



Confidential/ Speed Post

No. 214 /T-458/MIL/Accounts/2022-23 Dated: 01/03/23

कार्यालय
का. निदेशक सेवा परीक्षा
आयुक्त निदेशक -
कोलकाता

OFFICE OF THE
DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
ORDNANCE FACTORIES
KOLKATA

To,
The Chairman & Managing Director,
M/s. Munitions India Limited,
Corporate Office: 2nd Floor Nyati Unitree,
Nagar Road, Vervada, Pune - 411006.
finance@munitionsindia.in

Subj: Comment under Section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the accounts of Munitions India Limited, Pune for the year ended 31st March 2022.

Sir,

I am to forward herewith the comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 143 (6) (b) of the Companies Act 2013 on the Financial Statements of M/s Munitions India Limited, Pune for the year ended 31st March 2022.

Receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Encl: As stated.

Yours faithfully,


(Sarat Chattervedi)
Director General of Audit
(Ordnance Factories)
KOLKATA

'आयुक्त निदेशक' ए०/६, राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा परीक्षा (पूर्वी चरण, ८^{वां} इकाई), कोलकाता - ७००००१
'AYUKH BHAWAN' 10A, SHAHEED KHUDIRAM BOSE ROAD (EAST WING, 8TH FLOOR), KOLKATA - 700 001
PHONE : 2348-2857, 2343-6341 • FAX : 2348-3291
E-Mail : ayush@coo.gov.in



31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (7) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है (अधिनियम के 143 (10) के तहत)। ऐसा उनकी 31 दिसंबर 2022 की ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है

मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का एक पूरक ऑडिट किया है। यह पूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षक के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक और कंपनी के कर्मियों की पृष्ठभूमि और कुछ लेखा अभिलेखों की एक चुनिंदा परीक्षा तक सीमित है।

मेरे पूरक ऑडिट के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहता हूँ जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

क. लाभप्रदता तुलन पत्र पर टिप्पणियाँ

अन्य वर्तमान देनदारियाँ (नोट 23)

₹. 2123.90 करोड़

1 उक्त 01 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के दौरान पुरानी परिभाषित लाभ पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत शामिल डीमंड प्रतिनियुक्ति (विदेश सेवा) पर तत्कालीन आयुध निर्माणी बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में नियोजता के योगदान के प्रावधान के लिए 220.52 करोड़ रुपये की राशि शामिल नहीं हैं। कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24 सितंबर 2021 के अनुसार, भारत सरकार ने अपनी सभी देनदारियों को नवगठित डीपीएसयू में स्थानांतरित कर दिया है, इसलिए कंपनी सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए छह माह की अवधि के लिए डीमंड प्रतिनियुक्ति पर यह दायित्व प्रदान करने के लिए बाध्य है। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों को कम और कंपनी के लाभ को 220.52 करोड़ रुपये से अधिक दर्शाया गया है।

लाभ और हानि का विवरण

अन्य आय (नोट 25):

₹. 46.83 crore

सावधि जमा पर ब्याज आय:

₹. 22.64 crore



2 इसमें रुपये की राशि शामिल है। 2.07 करोड़ कुल कर कटौती (2.04 करोड़ रुपये) और कंपनी के बैंक जमा पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपरिव्यय कर कटौती (0.03 करोड़ रुपये)। इसे कंपनी द्वारा भुगतान किए गए व्याज (20.29 करोड़ रुपये) और व्याज उपाजित (रु.0.28 करोड़) कंपनी की अन्य आय रुपये की राशि पर पहुंचने के लिए। 22.64 करोड़। चूंकि भुगतान किया गया व्याज कुल कर कटौती और उपरिव्यय कर कटौती सहित है, इसे कंपनी द्वारा नहीं जोड़ा जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप अन्य आय के साथ-साथ कंपनी के लाभ को 2.07 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

स्थान - कोलकाता
दिनांक - 01/03/2023

महानिदेशक लेखापरीक्षा
(आयुध निर्माणांश)



प्रबंधन की टिप्पणियों का जवाब

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड के खातों पर प्रबंधन की टिप्पणियों का जवाब
सं. MIL/FIN/ऑडिट/CAG/MIL प्रतिक्रिया/FY2021-22 दि. 08.03.2023

सेवा में,
लेखापरीक्षा महानिदेशक का कार्यालय,
आयुध निर्माणियां,
कोलकाता

(ध्यानाकर्षण : श्री शरत चतुर्वेदी, डीजीए)

विषय: CAG ऑडिट रिपोर्ट और टिप्पणियों पर MIL की प्रतिक्रिया।

संदर्भ: (i) पत्र संख्या 216/T-459/MIL/Accounts/2022-23 Dtd. 01/03/2023

1. उपरोक्त संदर्भित पत्र के जवाब में, MIL की प्रबंधन प्रतिक्रिया नीचे दी गई है

सीएजी की टिप्पणी:

उपरोक्त (अन्य वर्तमान देनदारियों (नोट 23)) में 01 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय पेंशन योजना पुरानी परिभाषित लाभ पेंशन योजना के तहत शामिल डीमंड प्रतिनियुक्ति (विदेश सेवा) पर पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में नियोजता के योगदान के प्रावधान के लिए 220.52 करोड़ रुपये की राशि शामिल नहीं है। 24 सितंबर 2021 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, भारत सरकार ने अपनी सभी देनदारियों को नवगठित डीपीएसयू में स्थानांतरित कर दिया है, इसलिए कंपनी इस देयता को प्रदान करने के लिए बाध्य है। छह महीने की अवधि के लिए डीमंड प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप अन्य वर्तमान देनदारियों को कम करके और कंपनी के लाभ को 220.52 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।

एमआईएल प्रबंधन की प्रतिक्रिया:

1 अक्टूबर 21 से निगमीकरण के बाद, पूर्ववर्ती ओएफवी के सभी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी के समान सेवा शर्तों के साथ डीमंड प्रतिनियुक्ति पर कंपनी में काम कर रहे हैं।

केंद्र सरकार के एनपीएस अभिदाताओं के संबंध में, पैरा संख्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(5)/2021/OF/DP (PIg-V)/02 दिनांक 24 सितंबर 2021 का 07, जिसमें कहा गया है कि "पेंशन देनदारियों सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों को रक्षा पेंशन के लिए रक्षा मंत्रालय (MoD) के बजट से सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। दि. 01.01.2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू राष्ट्रीय पेंशन योजना प्रचलित है और इसे नए डीपीएसयू द्वारा अपनाया जा सकता है, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू सभी विशेष प्रावधानों को जारी रखना शामिल है।



1st Annual Report 2021-22

यह निवेदन किया जाता है कि कार्यालय जापन के पैरा सं. 07 के अनुसार कंपनी 01.01.2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के संबंध में एनपीएस के नियोजित अंशदान का भुगतान केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू विशेष प्रावधानों (अर्थात् मूल वेतन और डीए का 14%) के अनुसार कर रही है।

इसके अलावा, उसी कार्यालय जापन के पैरा संख्या 08 के अनुसार, "नए डीपीएसयू में आमेसन पर ओएफबी के कर्मचारियों को पेंशन लाभ के भुगतान की शर्त को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 37-ए के अनुसार विनियमित किया जाएगा"।

नियम 37ए, पैरा सं. 16 के संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया:

"सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सरकारी सेवक के आमेसन की तारीख तक की गई सेवा के लिए पेंशन निधि, पेंशन या सेवा उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान के लिए एकमुश्त भुगतान के रूप में अपनी पेंशन संबंधी देयता का निर्वहन करेगी।"

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, टर्मिनल लाभों के लिए प्रावधान करने का दायित्व भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा क्योंकि कंपनी का कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है। न तो भारत सरकार और न ही कंपनी ने अब तक भविष्य की किसी सेवा शर्त को निश्चित किया है।

उपरोक्त के बावजूद, MIL ने प्रस्तुत किया है कि इस संबंध में सरकार द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का पालन किया जाएगा।

1.1. सीएजी की टिप्पणी:

इसमें 2.07 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। कंपनी के बैंक जमा पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कुल कर कटौती (2.04 करोड़ रुपये) और ओवरहेड कर कटौती (0.03 करोड़ रुपये) की जा रही है। इसे कंपनी द्वारा भुगतान किए गए व्याज (20.29 करोड़ रुपये) और व्याज उपार्जन (0.28 करोड़ रुपये) के साथ जोड़ा गया है ताकि कंपनी की अन्य आय रु. 22.64 करोड़ पहुंच सके। चूंकि भुगतान किया गया व्याज कुल कर कटौती और उपरिब्यय कर कटौती सहित है, इसे कंपनी द्वारा नहीं जोड़ा जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप अन्य आय के साथ-साथ कंपनी के लाभ को 2.07 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।

एमआईएल प्रबंधन की प्रतिक्रिया:

एफडी पर व्याज आय की गणना एसबीआई से प्राप्त दस्तावेज और एसबीआई कर्मियों द्वारा किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार की गई थी और तदनुसार भुगतान किए गए व्याज, उपार्जित व्याज, कुल कर कटौती और ओवरहेड कर कटौती की कुल राशि को ध्यान में रखा गया था।

सीएजी ऑडिट द्वारा किए गए अवलोकन के सट्टेज गणना की फिर से जांच की गई और इस बात पर सहमति हुई कि, एफडी राशि को 2.07 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है, जो कुल कर कटौती और ओवरहेड टैक्स कटौती को शामिल करने के कारण कुल व्याज भुगतान में दिखाया गया है। एसबीआई दस्तावेज और एफडी से एमआईएल की कुल व्याज आय की गणना करते समय अलग से नहीं जोड़ा जाना चाहिए था।

इन राशियों को वित्त वर्ष 2022-23 में पूर्व अवधि के लिए तुलनात्मक राशियों के रूप में Ind AS 8 "लेखा नीतियां, लेखा अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां" के पैरा 42 के अनुसार पुनर्कथित किया जाएगा।

(प्रकाश अग्रवाल)

निदेशक/वित्त एंड सीएफओ
सीएमडी / एमआईएल के लिए



Munitions India Limited

Balance Sheet as at March 31, 2022

(All amounts are in INR Crores, unless stated otherwise)

	Notes	As at March 31, 2022
ASSETS		
Non-current assets		
Property, plant and equipment	4 (a)	3,009.87
Capital work-in-progress	4 (a)	1,442.99
Intangible assets	4 (b)	78.79
Intangible assets under development	4 (c)	13.42
Inventories	5	42.24
Financial assets	6	
(a) Investments	7	0.80
(b) Receivable from government	8	3.43
Other non-current assets		5.55
Total non-current assets		4,597.09
Current assets		
Inventories	9	2,987.46
Financial assets	10	
(a) Trade receivables	11	766.55
(b) Cash and cash equivalents	12	2,976.53
(c) Receivable from government	13	434.28
(d) Other financial assets	14	9.3
Other current assets		686.29
Total current assets		7,860.37
Total assets		12,457.46
EQUITY AND LIABILITIES		
Equity share capital	15	1,232.31
Equity shares pending issue on business reorganisation (refer note 39)	18	32,724.50
Reserves and surplus		-27,407.06
Total equity		6,549.75
LIABILITIES		
Non-current liabilities		
Financial Liabilities	17	3.60
Other financial liabilities	18	1
Provisions		2,985.3



Deferred tax liabilities	19	2.63
Total non-current liabilities		2,991.54
Current liabilities		
Financial liabilities		
(a) Trade payables	20	
(i) Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		8.07
(ii) Total outstanding dues other than (a)(i) above		595.46
(b) Other financial liabilities	21	186.15
Current tax liabilities	22	2.60
Other current liabilities	23	2,123.90
Total current liabilities		2,916.17
Total liabilities		5,907.71
Total equity and liabilities		12,457.46

The above balance-sheet should be read in conjunction with the accompanying notes.

As per our report of even date attached.

For P G BHAGWAT LLP
Firm Registration Number: 101118W/W100682

**For and on behalf of Board of Directors of
Munitions India Limited**

Abhijit Shetye
Partner
Membership Number: 151638

Ravi Kant
Chairman and Managing Director
DIN: 09283919

Prakash Agarwala
CFO & Director Finance
DIN: 09666613

E. J Paul
Company Secretary
Membership No. : FCS4521

Pune
31 December 2022

Pune
27 December 2022



लाभ और हानि का विवरण

Munitions India Limited

Statement of Profit and Loss for the period ended March 31, 2022

(All amounts are in INR Crores, unless stated otherwise)

	Notes	For the period from 17 August 2021 to 31 March 2022
Revenue from operations	24	2,571.55
Other income	25	46.83
Total income		2618.38
Expenses		
Cost of materials consumed	26	1,051.90
Changes in inventories of work-in-progress, stock-in-trade and finished goods	27	283.38
Employee benefit expenses	28	919.39
Depreciation and amortisation expense	29	85.02
Other expenses	30	253.29
Total expenses		2,592.98
Profit before tax		25.40
Income tax expense		
- Current tax	31	4.67
- Deferred tax	31	2.63
Total tax expense		7.30
Profit for the period		18.10
Other comprehensive income		-
Other comprehensive income for the period, net of tax		-
Total comprehensive income for the period		18.10
Earnings per share		
Basic and Diluted (Nominal value per share Rs. 10 each)	38	0.01



The above statement of profit and loss should be read in conjunction with the accompanying notes.

As per our report of even date attached.

For P G BHAGWAT LLP
Firm Registration Number: 101118W/W100682

**For and on behalf of Board of Directors of
Munitions India Limited**

Abhijit Shetye
Partner
Membership Number: 151638

Ravi Kant
Chairman and Managing Director
DIN: 09283919

Prakash Agarwala
CFO & Director Finance
DIN: 09666613

E J Paul
Company Secretary
Membership No. : FCS4521

Pune
31 December 2022

Pune
27 December 2022



नकदी प्रवाह का बयान

Munitions India Limited

Statement of cash flows

(All amounts are in INR Crores, unless stated otherwise)

	31 March 2022
Cash flow from operating activities	
Profit before income tax	25.40
Adjustments for:	
Depreciation and amortisation expense	85.02
Interest received	(22.64)
Change in operating assets and liabilities:	
(Increase)/decrease in trade receivables	(516.80)
(Increase)/decrease in inventories	290.21
Increase/(decrease) in trade payables	320.18
(Increase)/decrease in other financial assets	22.88
Increase/(decrease) in other financial liabilities	56.99
(Increase)/decrease in other current and non-current assets	(314.83)
(Increase)/decrease in provisions	(14.69)
(Increase)/decrease in receivable from government	262.44
Increase/(decrease) in current liabilities	1,704.92
Cash generated from operations	1,899.07
Income taxes paid	-
Net cash flow from operating activities	1,899.07
Cash flows from investing activities:	
Payments for property, plant and equipment	(179.45)
Payments for intangible assets	(13.42)
Interest received	22.64
Cash acquired as part of reorganisation of Ordnance Factory Board (Refer note 39)	15.39
Net cash flow from investing activities	(154.85)
Cash flow from financing activities:	
Proceeds from issues of shares	1,232.31
Net cash from financing activities	1,232.31
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents	2,976.53
Cash and cash equivalents at the end of the year	2,976.53



गैर-नकदी निवेश गतिविधियों में इक्विटी शेयरों के रूप में रुपये 32,724.50 की राशि के लंबित मुद्दे के रूप में व्यापार पुनर्गठन के लिए विचार शामिल है। विवरण के लिए नोट 39 देखें।

नकदी प्रवाह के उपरोक्त विवरण को संलग्न टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए।

एम. आई. एल की सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

पी.जी. भागवत एलएलपी

फर्म रजि. सं. : 101118W/W100682

For P G BHAGWAT LLP

Firm Registration Number: 101118W/W100682

अभिजित शेखे

पार्टनर

सदस्यता संख्या : 151638

Membership Number: 151638

Pune

31 December 2022

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के
निदेशक मंडल के लिए और
उनकी ओर से

**For and on behalf of Board of Directors of
Munitions India Limited**

रवि कान्त

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 09283919

DIN: 09283919

ई.जी पॉल E J Paul

कंपनी सचिव

सदस्यता सं. : FCS4521

पुणे

27 दिसंबर 2022

प्रकाश अगरवाल

निदेशक

डीआईएन: 09283919

DIN: 09666613



इक्विटी के परिवर्तनों का कथन

Statement of change in equity:

Munitions India Limited

Statement of changes in equity

(All amounts are in INR Crores, unless stated otherwise)

A. Equity share capital

	Notes	Amount
	15	
As at 17 August 2021		-
Issue of equity shares		1,232.31
As at 31 March 2022		1,232.31

B. Other equity

	Notes	Capital Reserve	Retained earnings	Total
Balance as at 17 August 2021	16	-	-	-
On reorganisation of Ordnance Factory Board	39	(27,425.01)	-	(27,425.01)
Profit for the period		-	18.10	18.10
Other comprehensive income		-	-	-
As at 31 March 2022		(27,425.01)	18.10	(27,406.91)

The above statement of changes in equity should be read in conjunction with the accompanying notes.

As per our report of even date

For P G BHAGWAT LLP
Firm Registration Number:
101118W/W100682

For and on behalf of Board of Directors of
Munitions India Limited

Abhijit Shetye

Partner

Membership Number: 151638

Ravi Kant

Chairman and Managing Director

DIN:

09283919

Prakash Agarwala

CTO & Director

Finance

DIN: 09666613

F. J Paul

Company Secretary

Membership No. : FCS4521

Pune

31 December 2022

Pune

27 December 2022



वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

(सभी राशियां करोड़ रुपये में हैं, जब तक उल्लेख न किया गया हो)

1. सामान्य जानकारी

म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ('MIL', या 'कंपनी') एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली रक्षा कंपनी है, जिसका मुख्यालय पुणे, भारत में स्थित है जिसे 17 अगस्त 2021 को विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भारत सरकार के आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) को निगमीकरण तथा पुनर्गठन करने के रूप में गोला-बारूद और विस्फोटकों के निर्माण का व्यवसाय संभालने के लिए शामिल किया गया था।

निदेशक मंडल ने 27 दिसंबर 2022 को जारी करने के लिए इन वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की तैयारी और सारांश का आधार

यह नोट इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की सूची प्रदान करता है। इन नीतियों को प्रस्तुत किए गए सभी वर्षों में निरंतर लागू किया गया है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2.1 तैयारी का आधार

I. इंडस्ट्रीज़-एएस के साथ अनुपालन

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) [कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के खंड 133 के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखा मानक तथा अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के साथ सभी भौतिक पहलुओं का अनुपालन करते हैं।

यह कंपनी के निगमीकरण का पहला वर्ष है। आ.नि.बोर्ड के व्यवसाय पुनर्गठन के विवरण के लिए नोट देखें 39।

II. ऐतिहासिक लागत सम्मेलन : उचित मूल्य पर मापी गई कुछ वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों को छोड़कर, ऐतिहासिक लागत के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार की गई है।

III. वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण : सभी संपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र तथा कंपनी अधिनियम, की अनुसूची 2013 III (डिवीजन II) में निर्धारित अन्य मातृदंडों के अनुसार वर्तमान या गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और संपत्ति के अधिग्रहण के बीच के समय के आधार पर उसकी प्रक्रिया करने तथा उनका नकद में उगाही (वसूली) करने तथा नकद समक्यों के लिए कंपनी ने संपत्ति तथा देनदारियों के वर्तमान या गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह के रूप में इसका परिचालन चक्र निर्धारित किया है।

IV) नए संशोधन जारी किए गए लेकिन वे प्रभावी नहीं हुए : कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 23 मार्च 2022 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियमावली, 2022 जारी की है, जिसमें कुछ लेखांकन मानकों में संशोधन किया गया है और वह 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी है। इन संशोधनों से वर्तमान या भविष्य की रिपोर्टिंग अवधि और निकट भविष्य के लेनदेन पर वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।



2.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

क) विदेशी मुद्रा लेन- देन

(i) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल वस्तुओं को प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का प्रयोग कर मापा जाता है जिसमें कंपनी संचालित होती है ('कार्यात्मक मुद्रा')। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (INR) में प्रस्तुत की जाती है, जो कि कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है।

(ii) लेन-देन और शेष राशि

लेन-देन की तारीखों पर विनिमय दरों का प्रयोग कर विदेशी मुद्रा लेनदेन को कार्यात्मक मुद्रा में अनुवादित किया जाता है। इस तरह के लेन-देन के निपटान से उत्पन्न विदेशी मुद्रा लाभ और हानि और वर्ष के अंत में विनिमय दरों पर विदेशी मुद्राओं में निहित मौद्रिक संपत्तियों और देनदारियों के अनुवाद से लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है और शुद्ध आधार पर लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया गया है।

गैर मौद्रिक-वस्तु जो एक विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में किए जाते हैं, लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग कर रिपोर्ट किए जाते हैं।

ख) राजस्व मान्यता

कंपनी अपने ग्राहक के साथ एक अनुबंध के लिए खाता बनाती है जब उसके पास दोनों पक्षों से अनुमोदन और प्रतिबद्धता होती है, पक्षों के अधिकारों की पहचान की जाती है, भुगतान शर्तों की पहचान की जाती है, अनुबंध में वाणिज्यिक पदार्थ होता है और प्रतिफल की संगृहीयता संभावित होती है।

ग्राहक को माल की आपूर्ति का हस्तांतरण करने का समान पैटर्न नहीं है क्योंकि यह समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों की शर्तों को पूरा नहीं करता है। इसलिए, प्रत्येक उत्पाद का एक अलग प्रदर्शन दायित्व है।

कंपनी प्रत्येक विशिष्ट प्रदर्शन दायित्व के मामले में राजस्व मान्यता के समय का आकलन करती है। कंपनी पहले यह आकलन करती है कि क्या राजस्व को समय के साथ पहचाना जा सकता है क्योंकि यह निम्न मानदंडों में से किसी को पूरा करता है:

(क) ग्राहक एक साथ लाभों का उपभोग करता है जैसा कि कंपनी करती है, या

(ख) ग्राहक कार्य-प्रगति को नियंत्रित करता है, या

(ग) कंपनी का प्रदर्शन कंपनी के लिए वैकल्पिक उपयोग के साथ एक परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करता है और कंपनी को अब तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान का अधिकार है।

यदि उपर्युक्त मानदंडों में से कोई भी पूरा नहीं होता है, तो कंपनी एक निश्चित समय पर राजस्व की पहचान करती है।

कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों में सामान्य तौर पर एकल प्रदर्शन दायित्व होता है। जो समय-समय पर निर्धारित किया जाता है जब माल का नियंत्रण स्थानांतरित किया जाता है जो सामान्य तौर पर निर्धारित होता है जब महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कार ग्राहक को स्थानांतरित किए जाते हैं। इसके अलावा, कंपनी भुगतान के अपने वर्तमान अधिकार, माल के कानूनी शीर्षक, भीतिक कब्जे और नियंत्रण को स्थानांतरित किए जाने के समय को निर्धारित करने में ग्राहक की स्वीकृति पर भी विचार करती है।



उत्पादों की बिक्री

वितरण शर्तों, भुगतान शर्तों, ग्राहक स्वीकृति और नियंत्रण के अन्य संकेतकों के आधार पर उत्पादों की बिक्री के मामले में, राजस्व को उस समय पहचाना जाता है जब माल का नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

वित्तीय घटक

कंपनी ऐसे किसी भी अनुबंध की उम्मीद नहीं करती है जहां ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं के हस्तांतरण और ग्राहक द्वारा भुगतान के बीच की अवधि एक वर्ष से अधिक हो। इसलिए, कंपनी धन के समय मूल्य के लिए किसी भी लेन-देन की कीमत को समायोजित नहीं करती है। अनुबंधों के लिए जहां कंपनी इंडस्ट्रीज़ में व्यावहारिक उपाय का उपयोग 115 एएस-करते हुए अपने ग्राहकों से अल्पकालिक अधिम प्राप्त करती है, कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए प्रतिफल की वादा की गई राशि को समायोजित नहीं करती है, यदि अनुबंध की शुरुआत में, यह अपेक्षा की जाती है कि ग्राहक को वादा की गई वस्तु या सेवा के हस्तांतरण और ग्राहक द्वारा उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करने के बीच की अवधि एक वर्ष या उससे कम होगी।

क) आयकर

अवधि के लिए आयकर व्यय या क्रेडिट वर्तमान अवधि की कर योग्य आय पर देय कर है, जो अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त कर हानियों के कारण आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन द्वारा समायोजित लागू आयकर दर पर आधारित है। वर्तमान आयकर शुल्क की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर कानूनों के आधार पर की जाती है। प्रबंधन समय-समय पर उन स्थितियों के संबंध में कर विवरणी में ली गई स्थिति का मूल्यांकन करता है जिसमें लागू कर विनियमन व्याख्या के अधीन है और विचार करता है कि क्या यह संभव है कि एक कराधान प्राधिकरण अनिश्चित कर विवेचन को स्वीकार करेगा। कंपनी अपने कर संतुलन को या तो सबसे संभावित राशि या अपेक्षित मूल्य के आधार पर मापती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी विधि अनिश्चितता के समाधान का बेहतर पूर्वानुमान प्रदान करती है। परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और वित्तीय विवरणों में उनकी अग्रणी राशियों के बीच उत्पन्न होने वाले अस्थायी अंतरों पर, देयता पद्धति का उपयोग करते हुए, आस्थगित आयकर पूर्ण रूप से प्रदान किया जाता है। हालांकि, आस्थगित कर देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि वे गुड़विल की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होती हैं। आस्थगित आयकर का भी हिसाब नहीं दिया जाता है यदि यह एक व्यावसायिक संयोजन के अलावा किसी अन्य लेनदेन में किसी संपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होता है जो लेनदेन के समय न तो लेखांकन लाभ और न ही कर योग्य लाभ (कर हानि) को प्रभावित करता है। आस्थगित आयकर का निर्धारण उन कर दरों (और कानूनों) का उपयोग करके किया जाता है जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है और लागू होने की संभावना होती है जब संबंधित आस्थगित आयकर परिसंपत्ति की अनुभूति होती है या आस्थगित आयकर देयता का निपटान किया जाता है। आस्थगित कर संपत्तियों को सभी कटीती योग्य अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त कर हानियों के लिए केवल तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभव हो कि भविष्य में कर योग्य राशि उन अस्थायी अंतरों और नुकसानों का उपयोग करने के लिए उपलब्ध होगी। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है जब वर्तमान कर संपत्तियों और देनदारियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है। वर्तमान कर संपत्ति और कर देनदारियां ऑफसेट हैं जहां इकाई के पास ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और वह या तो शुद्ध आधार पर निपटान करना चाहती है, या संपत्ति की अनुभूति और एक साथ देयता का निपटान करना चाहती है। वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ या हानि में पहचाना जाता है, सिवाय इसके कि यह अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है। इस मामले में, कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता प्राप्त है।



ख) संपत्ति की हानि

जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन होता है तो यह दर्शाता है कि अग्रणीत राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है, तो आस्तियों की हानि के लिए परीक्षण किया जाता है। हानि की क्षति की पहचान उस राशि के लिए की जाती है जिसके द्वारा परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। वसूली योग्य राशि निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य घटाकर परिसंपत्ति के उचित मूल्य से अधिक है।

हानि का आकलन करने के प्रयोजनों के लिए, परिसंपत्तियों का परीक्षण निम्नतम स्तर पर किया जाता है, जिसके लिए अलग से पहचाने जाने योग्य नकदी प्रवाह होते हैं जो अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह (नकदी पैदा करने वाली इकाइयां) से नकदी प्रवाह से काफी हद तक स्वतंत्र होते हैं।

गैर-वित्तीय संपत्तियों, जिन्हें हानि हुई है, का प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा संभावित उत्क्रमण के लिए समीक्षा की जाती है।

ग) नकद और नकद समकक्ष

नकदी प्रवाह के विवरण में प्रस्तुति के प्रयोजन के लिए, नकदी और नकद समकक्षों में हाथ में नकदी, बैंकों में शेष राशि और अन्य अल्पकालिक, तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले अत्यधिक लिक्विड निवेश शामिल हैं जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।



घ) व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्य राशियाँ व्यवसाय के सामान्य अवधि में बेचे गए माल के लिए ग्राहकों से देय राशियाँ हैं। व्यापार प्राप्ति को शुरू में बिना शर्त के प्रतिफल की राशि पर मान्यता दी जाती है, जब तक कि उनमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल न हों, जब उन्हें उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। कंपनी संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के उद्देश्य से व्यापार प्राप्ति को रखती है और तत्पश्चात प्रभावी व्याज पद्धति, कम हानि भत्ता का उपयोग कर उन्हें परिशोधित लागत पर मापती है।

छ) इन्वेंटरी

कच्चे माल और भंडार, कार्य-प्रगति और तैयार माल

कच्चे माल और भंडार, कार्य प्रगति और तैयार माल को लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम पर बताया गया है। कच्चे माल की लागत में खरीद की लागत शामिल होती है। कार्य-प्रगति और तैयार माल की लागत में प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम एवं परिवर्तनीय और निश्चित ओवरहेड व्यय का उचित अनुपात शामिल होता है, जो बाद में सामान्य परिचालन क्षमता के आधार पर आवंटित किया जाता है। इन्वेंट्री की लागत में इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने के लिए किए गए अन्य सभी खर्च भी शामिल हैं। भारित औसत पद्धति पर इन्वेंट्री के अलग-अलग मदों की लागत दी जाती है। छूट और घटौती घटाकर खरीदी गई इन्वेंट्री की लागत निर्धारित की जाती है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य व्यवसाय के सामान्य अवधि में अनुमानित विक्री मूल्य है, जिसमें से पूरा होने की अनुमानित लागत और विक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागतें घटाई जाती हैं।

ख) अन्य वित्तीय संपत्तियां

i) वर्गीकरण /Classification

कंपनी अपनी वित्तीय संपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करती है :

- जिन्हें बाद में उचित मूल्य पर मापा जाएगा (या तो अन्य व्यापक आय के माध्यम से, या लाभ या हानि के माध्यम से), और
- जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाना है।

वित्तीय संपत्तियों के प्रबंधन और नकदी प्रवाह की संविदात्मक शर्तों के लिए कंपनी के व्यवसाय मॉडल के आधार पर वर्गीकरण किया गया है।

उचित मूल्य पर मापी गई संपत्तियों के लिए, लाभ और हानि या तो लाभ या हानि या अन्य व्यापक आय में, निर्वाचित रूप में दर्ज की जाएगी। डेट इंस्ट्रुमेंट्स में निवेश के लिए, यह उस बिजनेस मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश किया गया है।

कंपनी ऋण निवेशों का पुनर्वर्गीकरण तब और केवल तब होता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए इसका व्यवसाय मॉडल बदलता है।



माप

आरंभिक मान्यता पर, कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उसके उचित मूल्य से अधिक मापती है, वित्तीय संपत्ति के लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं होने की स्थिति में, लेन-देन की लागतें जो सीधे वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं। 'लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य' पर की गई वित्तीय संपत्तियों की लेनदेन लागत लाभ या हानि में व्यय की जाती है।

डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स : डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स का बाद का माप संपत्ति के प्रबंधन और संपत्ति के नकदी प्रवाह की विशेषताओं के लिए कंपनी के बिजनेस मॉडल पर निर्भर करता है। कंपनी अपने डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स का वर्गीकरण निम्न प्रकार से करती है :

परिशोधित लागत: परिसंपत्तियां जो संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए रखी जाती हैं, जहां वे नकदी प्रवाह केवल मूलधन और व्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। प्रभावी व्याज दर पद्धति का उपयोग करके इन वित्तीय संपत्तियों से होने वाली व्याज आय को अन्य आय में शामिल किया जाता है। अमान्यता पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को सीधे लाभ या हानि में पहचाना जाता है और अन्य आय में प्रस्तुत किया जाता है। लाभ और हानि के विवरण में हानि नुकसान को एक अलग लाइन आइटम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

iv. वित्तीय संपत्तियों की हानि

कंपनी दूरदेशी आधार पर परिशोधित लागत पर अपनी संपत्ति से जुड़े अपेक्षित क्रेडिट घाटे का आकलन करती है। लागू की गई हानि पद्धति इस बात पर निर्भर करती है कि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। ध्यान दें कि कंपनी कैसे निर्धारित करती है कि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं।

केवल व्यापार प्राप्तियों के लिए इंडस्ट्रीज़ एएस 109 द्वारा आवश्यक सरलीकृत दृष्टिकोण लागू करती है जिसके लिए प्राप्तियों की प्रारंभिक पहचान से अपेक्षित जीवन भर के नुकसान की पहचान की आवश्यकता होती है।

v) वित्तीय संपत्तियों की अमान्यता

वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तभी रद्द की जाती है जब

- कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है।
- वित्तीय परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए संविदात्मक अधिकारों को बरकरार रखा है लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए संविदात्मक दायित्व मानता है।

जहां इकाई ने एक परिसंपत्ति को स्थानांतरित किया है, कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है। ऐसे मामलों में, वित्तीय संपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाती है। जहां संस्था ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं किया है, वहां वित्तीय संपत्ति की मान्यता को रद्द नहीं किया जाता है।

जहां इकाई ने न तो किसी वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित किया है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक बरकरार रखा है, यदि कंपनी ने वित्तीय संपत्ति पर नियंत्रण नहीं रखा है तो वित्तीय संपत्ति की मान्यता समाप्त कर दी जाती है। जहां कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण रखती है, वित्तीय संपत्ति में निरंतर सहभागिता की सीमा तक संपत्ति की मान्यता देना जारी रखा जाता है।



आय पहचान

परिशोधित लागत पर वित्तीय संपत्तियों से व्याज स्वरूप आय की गणना प्रभावी व्याज पद्धति का उपयोग करके की जाती है और इसे अन्य आय के भाग के रूप में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय संपत्तियां जो बाद में क्रेडिट हानि हो जाती हैं उन्हें छोड़कर व्याज आय की गणना किसी वित्तीय परिसंपत्ति की सकल अग्रणीत राशि पर प्रभावी व्याज दर लागू करके की जाती है। क्रेडिट हानि वित्तीय संपत्तियों के लिए, प्रभावी व्याज दर वित्तीय संपत्ति की शुद्ध अग्रणी राशि (हानि भत्ता की कटौती के बाद) पर लागू होती है।

i) ऑफसेटिंग वित्तीय साधन

वित्तीय संपत्ति और देनदारियां ऑफसेट हैं और शुद्ध राशि तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में रिपोर्ट की जाती है, जहां मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और शुद्ध आधार पर निपटान करने या संपत्ति की अनुभूति होने और देयता को एक साथ निपटाने का हरादा है। कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर आकस्मिक नहीं होना चाहिए और व्यापार के सामान्य अवधि में और कंपनी या प्रतिपक्ष के डिफॉल्ट, दिवाला या दिवालिया होने की स्थिति में लागू होना चाहिए।

ii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि (फ्रीहोल्ड भूमि) को ऐतिहासिक कीमत पर ले जाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अन्य सभी मर्दों को मूल्यहास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर बताया जाता है। ऐतिहासिक लागत में वह व्यय शामिल होता है जो सीधे तौर पर वस्तुओं के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार होता है।

अनुवर्ती लागतों को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है या एक अलग संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, केवल तब जब यह संभव हो कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के लिए प्रवाहित होंगे और आइटम की लागत को उचित रूप से मापा जा सकता है। एक अलग परिसंपत्ति के रूप में किसी भी घटक की अग्रणीत राशि को प्रतिस्थापित किए जाने पर अमान्य कर दिया जाता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लाभ या हानि के लिए प्रभारित किया जाता है जिसमें वे खर्च किए गए हैं।

मूल्यहास के तरीके, अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य

मूल्यहास की गणना उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर उनके अवशिष्ट मूल्य के शुद्ध को सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके संपत्ति की लागत को आवंटित करने के लिए की जाती है,

Assets	Useful life as per schedule II
Buildings	60 Years
Machines installed in Tool-rooms & Production shop	20 Years
Motor Vehicles, e. g. Diesel/ Petrol driven trucks, Forklift trucks, Dumpers, Tractors, Railway's shunters, Mobile Cranes etc.	05 Years
Air conditioners and Refrigerators	10 Years
Air Circulators, Pedestal Fans, Exhaust Fans etc.	20 Years
Electrical mains, meters, installation	16 Years
Electrical installation & fans in factory quarters	20 Years
Furniture & Fixture	05 Years
Office Equipment	8 Years



संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य संपत्ति की मूल लागत के 5% से अधिक नहीं है। मूल्यह्रास की गणना मूल लागत और अवशिष्ट मूल्य के शुद्ध मूल्य पर उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मूल्यह्रास दर के अनुसार की जाती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्यों और उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है, और यदि उपयुक्त हो तो समायोजित किया जाता है।

यदि परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि इसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक है, तो परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि उसकी वसूली योग्य राशि में तुरंत लिख दी जाती है। व्यक्तिगत रूप से रु. 10,000 या उससे कम की लागत वाली संपत्ति का खरीद के वर्ष में पूर्ण रूप से मूल्यह्रास किया जाता है।

निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण अग्रणी राशियों के साथ प्राप्ति की तुलना करके किया जाता है। इन्हें अन्य आय के अंतर्गत लाभ या हानि में शामिल किया जाता है।

अमूर्त संपत्ति

अर्जित अमूर्त संपत्ति

अमूर्त संपत्तियों का अधिग्रहण लागत घटा संज्ञित परिशोधन और हानि नुकसान, यदि कोई हो, पर बताया गया है। परिशोधन अवधि और परिशोधन पद्धति की कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है। यदि संपत्ति का अपेक्षित उपयोगी जीवन पिछले अनुमानों से काफी अलग है, तो परिशोधन अवधि तदनुसार बदल जाती है।

एक अमूर्त संपत्ति की सेवानिवृत्ति या निपटान से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में आय या व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अमूर्त संपत्तियों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के तहत तकनीकी जानकारी के अधिकार शामिल हैं, जो कि समझौते की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है जो कि बारह वर्ष है।

अनुसंधान और विकास व्यय

कंपनी द्वारा नियंत्रित पहचान योग्य और अद्वितीय अमूर्त संपत्ति के डिजाइन और परीक्षण के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार विकास लागतों को अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जहां निम्नलिखित मानदंड होते हैं:

- संपत्ति को पूरा करना तकनीकी रूप से व्यवहार्य है ताकि यह उपयोग के लिए उपलब्ध हो सके
- प्रबंधन का इरादा अमूर्त संपत्ति को पूरा करना और उसका उपयोग करना या बेचना है
- संपत्ति का उपयोग करने या बेचने की क्षमता है
- यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि कैसे संपत्ति भविष्य में संभावित आर्थिक लाभ उत्पन्न करेगी
- पर्याप्त तकनीकी, वित्तीय और अन्य संसाधनों के विकास को पूरा करने के लिए और संपत्ति का उपयोग या बेचने के लिए उपलब्ध हैं, और
- इसके विकास के दौरान संपत्ति के कारण होने वाले व्यय को उचित रूप से मापा जा सकता है।

अमूर्त संपत्ति के भाग के रूप में पूंजीकृत होने वाली प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागतों में कर्मचारी लागत और प्रासंगिक ओवरहेड्स का उचित भाग शामिल है।



पूँजीगत विकास लागतों को अमूर्त संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है और उस बिंदु से परिशोधित किया जाता है जिस पर संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

अनुसंधान व्यय और विकास व्यय जो ऊपर दिए गए मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें व्यय के रूप में जाना जाता है। पूर्व में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त विकास लागतों को बाद की अवधि में एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।

व्यापार और अन्य देय

ये राशियाँ वित्तीय वर्ष के अंत से पहले कंपनी को प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए देनदारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनका भुगतान नहीं किया गया है। यह राशियाँ असुरक्षित हैं और वर्तमान देनदारियों के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 महीनों के भीतर भुगतान देय न हो। उन्हें शुरू में उनके उचित मूल्य पर पहचाना जाता है और बाद में प्रभावी व्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

कानूनी दावों और सेवा वारंटी के प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास पिछली घटनाओं के कारण वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होता है। यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और राशि का अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाया जा सकता है। भावी परिचालन हानियों के लिए प्रावधानों को स्वीकार नहीं किया जाता है।

चूंकि छूट का प्रभाव भौतिक नहीं है, इसलिए प्रावधानों को बिना छूट वाली राशियों पर मापा जाता है।

आकस्मिक देनदारियों का प्रकटन तब किया जाता है जब पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाली संभावित बाध्यता होती है, जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या वर्तमान दायित्व उत्पन्न होता है। पिछली घटनाओं से जहां या तो यह संभव नहीं है कि संसाधनों के बहिर्वाह को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होगी या राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

कर्मचारी लाभ

पूर्व आ.नि.बोर्ड की उत्पादन सुविधाओं के निगमीकरण पर, रक्षा मंत्रालय के दि. 24 सितंबर, 2021 के कार्यालय जापन (ओएम) संख्या 1(5)/2021/ OF/DP(PIg-V)/02 के अनुसार पूर्व आ.नि.बोर्ड के कर्मचारियों को दो साल की प्रारंभिक अवधि में डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर कंपनी में स्थानांतरित कर दिया गया है। उक्त कार्यालय जापन के अनुसार, कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी बने रहेंगे और मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन देनदारी केंद्र सरकार की बाध्यता बनी रहेगी। इन कर्मचारियों के वेतन भत्ते और चिकित्सा सुविधाओं का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है। इन खर्चों को देखते हुए, इसे वित्तीय विवरणों में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में प्रस्तुत किया गया है।



योगदान इक्विटी

- इक्विटी शेयरों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- नए शेयरों को जारी करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार वृद्धिशील लागत आय से कटीती, शुद्ध कर के रूप में इक्विटी में दिखाई जाती है।
- आ.नि.बोर्ड के पुनर्गठन पर कंपनी को हस्तांतरित शुद्ध संपत्ति के मद्दे जारी की जाने वाली और आवंटित की जाने वाली इक्विटी शेयरों को इक्विटी के रूप में तुलन पत्र (बैलेंस-शीट) पर अलग से प्रस्तुत किया गया है।

प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना विभाजित करके की जाती है

वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कंपनी के मालिकों के कारण होने वाले लाभ या हानि को विभाजित करना।

राशियों का पूर्णांकन

वित्तीय विवरणों और नोटों में दर्शाई गई सभी राशियों को अनुसूची III की आवश्यकताओं के अनुसार निकटतम करोड़ में पूर्णांकन कर दिया गया है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए लेखांकन अनुमानों के उपयोग की आवश्यकता होती है, जो कि परिभाषा के अनुसार वास्तविक परिणामों के समान होंगे। प्रबंधन को कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की भी आवश्यकता है।

यह नोट उन क्षेत्रों को उजागर करता है जिनमें निर्णय या जटिलता का एक उच्च स्तर शामिल होता है, और उन मदों का जो मूल रूप से मूल्यांकन किए गए अनुमानों से भिन्न होने वाले अनुमानों और मान्यताओं के कारण भौतिक रूप से समायोजित होने की अधिक संभावना है।

महत्वपूर्ण निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है :

1. सहयोगी में निवेश

कंपनी ने आ.नि.बोर्ड के पुनर्गठन के एक भाग के रूप में इंडो रूसी राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड (आईआरआरपीएल) में 8% इक्विटी ब्याज प्राप्त किया। कंपनी ने IRRPL के निदेशक मंडल में एक निदेशक को भी नामित किया है। प्रबंधन ने निर्धारित किया है कि बोर्ड में प्रतिनिधित्व के साथ आईआरआरपीएल में इक्विटी निवेश, आईआरआरपीएल पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता प्रदान करता है। तदनुसार, प्रबंधन ने निर्धारित किया है कि आईआरआरपीएल कंपनी का सहयोगी है। हालांकि, शामिल राशियों की भौतिकता को देखते हुए, कंपनी ने समेकित वित्तीय विवरण तैयार करके IRRPL में अपने निवेश को इक्विटी में शामिल नहीं किया है। अगर कंपनी ने अपने सहयोगी के लिए इक्विटी खाने के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए होते, तो कर के बाद का लाभ रुपये से अधिक होता। 0.06 करोड़ और सहयोगी में संबंधित निवेश समान राशि से अधिक होता।

2. वारंटी के लिए प्रावधान

कंपनी पूर्व आ.नि.बोर्ड से स्थानांतरित अनुबंधों के मद्दे अपने उत्पादों पर आजीवन वारंटी प्रदान करती है। कंपनी ने पूर्व आ.नि.बोर्ड से हस्तांतरित की गई शुद्ध संपत्ति को स्थानांतरण तिथि के रूप में वारंटी प्रदान करके राशि के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर उन उत्पादों के मामले में समायोजित किया, जिनकी शेल्फ-लाइफ हस्तांतरण के रूप में समाप्त नहीं हुई है। हस्तांतरण की तारीख तक राशि को और कम कर दिया गया था। विवरण के लिए नोट 39 देखें।



संपत्ति, संयंत्र उपकरण और अमूर्त संपत्ति (पीपीई और आईटीए): म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड

	Freehold Land	Buildings	Plant and Machinery	Vehicles	Computer & Hardware	Office Furniture and fixtures	Office Equipment	Total	Capital work-in-progress
Gross carrying amount									
As at 17 August 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquired on business reorganisation of OFB (refer note 39)	73.09	1,361.14	1,511.47	34.62	1.01	0.24	0.71	2,982.28	1,367.22
Additions	-	34.11	65.96	2.51	0.84	0.49	0.15	104.07	75.77
Disposals	-	-	-0.99	-0.35	-	-	-	-1.34	-
Closing gross carrying amount	73.09	1,395.25	1,576.44	36.78	1.85	0.74	0.85	3,085.00	1,442.99
Accumulated depreciation									
Charge for the period	-	18.26	53.49	4.11	0.11	0.06	0.07	76.09	-
Disposals	-	-	-0.68	-0.28	-	-	-	-0.96	-
Closing accumulated depreciation	-	18.26	52.81	3.84	0.11	0.06	0.07	75.13	-
Net carrying amount	73.09	1,377.00	1,523.63	32.94	1.73	0.68	0.79	3,009.87	1,442.99

पूँजीगत कार्य-प्रगति की समाविष्टि

	As at March 31, 2022
Buildings	788.11
Plant and Machinery	656.88
Total	1,442.99

Capital work-in-progress ageing schedule

	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress					
Large caliber ammunition facilities	62.60	60.09	137.20	462.65	702.54
Rocket production facilities	-	-	-	181.64	181.64
Other plant and equipment and building construction in progress	65.34	31.24	161.46	300.29	558.33
Total	108.15	91.33	298.66	944.58	1,442.99

There are no projects suspended as at the balance sheet date.

Certain projects have exceeded their original time estimates. However, these are expected to be completed within revised time estimate.

4 (b) Intangible assets

	Technical Know-how	Total
Gross carrying amount		
As at 17 August 2021	-	-
Acquired on business reorganisation of OFB (refer note 39)	87.71	87.71
Closing gross carrying amount	87.71	87.71
Accumulated amortisation		
Charge for the year	8.92	8.92
Closing accumulated amortisation	8.92	8.92
Net carrying amount	78.79	78.79



4 (c) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

	As at March 31, 2022
Technology related to products	13.42
Total	13.42

5 नॉन करंट इनवेंटरी

	As at March 31, 2022
Raw materials	42.34
Total	42.34

6 नॉन करंट निवेश

	As at March 31, 2022
Investment in associate - carried at cost	
Unquoted 80,000 equity shares of Indo-Russian Rifles Private Limited	0.80
Total	0.80

Aggregate amount of quoted investments

--

Aggregate market value of quoted investments

--

Aggregate amount of unquoted investments

0.80

Aggregate amount of impairment in the value of investments

--

7 सरकार से प्राप्तियां

	As at March 31, 2022
Receivables from government	3.43
Total	3.43



8 Other non-current assets

	As at March 31, 2022
Considered good Capital advances	5.55
Total	5.55

9 Inventories

	As at March 31, 2022
Raw materials	1,957.63
Work-in-progress	937.61
Finished goods	92.22
Total	2,987.46

	As at March 31, 2022
Raw materials	59.90
	59.90

उपरोक्त सामग्री में निम्न प्रकार से पारगमन सामग्री शामिल है:

नोट 9 क

इन्वेंट्री जो 1 अक्टूबर, 2021 तक अनुपयोगी और अप्रचलित इन्वेंट्री आइटम हैं, जिसमें मुख्य रूप से कच्चा माल और कार्य प्रगति पर है, जिसकी राशि रु। 30.36 करोड़ रुपये इसके अनुमानित स्कैप मूल्य पर 10% यानी रुपये की दर से लिखे गए हैं। 3.37 करोड़। हमने उपरोक्त मामले को बोर्ड ऑफ इंडायरी (बीओई) को प्रबंधन मूल्यांकन की पुष्टि के लिए नामित किया है कि स्टॉक अनुपयोगी/पुराना है और इसकी निपटान योजना है।

नोट 9 ख

1 अक्टूबर 2021 तक अनुपयोगी और अप्रचलित इन्वेंट्री आइटम, जिसमें मुख्य रूप से कच्चा माल शामिल है, की राशि रु। 3.39 करोड़ को इसके अनुमानित स्कैप मूल्य पर 10% यानी 0.40 करोड़ रुपये की दर से लिखा गया है। हमने उपरोक्त मामले को बोर्ड ऑफ इंडायरी (बीओई) को प्रबंधन मूल्यांकन की पुष्टि के लिए नामित किया है कि स्टॉक अनुपयोगी / अप्रचलित है और इसकी निपटान योजना

10 व्यापार प्राप्त्य

	As at March 31, 2022
Trade receivables from contracts with customers - billed	766.55
Trade receivables from contracts with customers - unbilled	-
Less: Loss allowance	-
Total	766.55



Refer note 36 for related party disclosures.

Break-up of security details

	As at March 31, 2022
Trade receivables considered good - Secured	
Trade receivables considered good - Unsecured	766.55
Trade receivables which have significant increase in credit risk	-
Trade receivable - credit impaired	-
Total	766.55
Less: Less allowance	-
Total	766.55

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payments							Total
	Unbilled	Not due	Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 Years	2-3 Years	More than 3 Years	
Trade receivables								
Undisputed trade receivables- considered good			377.88	262.94	-	125.73	-	766.55
Undisputed trade receivables- which have significant increase in credit risk			-	-	-	-	-	-
Disputed trade receivables- considered good			-	-	-	-	-	-
Disputed trade receivables- which have significant increase in credit risk			-	-	-	-	-	-
Disputed trade receivables- credit impaired			-	-	-	-	-	-
Total			377.88	262.94	-	125.73	-	766.55

11 Cash and cash equivalents

	As at March 31, 2022
Balances with banks	
- in current accounts	700.03
Deposits with maturity of less than three months	2,267.49
Total	2,976.53

12 Receivables from government

	As at March 31, 2022
Receivables from government	434.28
Total	434.28

13 Other current financial assets

	As at March 31, 2022
Advances to employees	0.01
Security deposits	1.92
Other current financial assets	7.37
Total	9.30



14 Other current assets

	As at March 31, 2022
Advances to vendors	514.29
Balance with government authorities	171.96
Total	686.25

15 Equity share capital

(a) Authorised share capital

	Number of shares	Amount
As at the incorporation date i.e. 17 August 2021	40,50,00,00,000	40,500.00
Changes during the period	-	-
As at 31 March 2022	40,50,00,00,000	40,500.00

(b) Issued, subscribed and paid-up share capital

Particulars	Number of shares	Amount
As at the incorporation date i.e. 17 August 2021	-	-
Issued during the period	1,23,23,10,000	1,232.31
As at 31 March 2022	1,23,23,10,000	1,232.31

इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार :

इक्विटी शेयरों का मूल्य INR 10 है। वे धारक की लाभांश में भाग लेने और शेयरों की संख्या और भुगतान की गई राशि के अनुपात में कंपनी को बंद करने की आय में हिस्सा लेने का अधिकार देते हैं। व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा एक बैठक में मौजूद इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक एक वोट का हकदार होता है, और एक मतदान पर प्रत्येक शेयर एक वोट का हकदार होता है।

Details of equity shares held by shareholders holding more than 5% of the aggregate shares in the Company

	As at 31 March 2022	
	Number of shares	% of holding
Government of India	1,23,23,10,000	100%

The Government of India, being the Promoter, holds 100% of Shares as on 31 March 2022.

16 Other equity

	As at 31 March 2022
Capital reserve (a)	-27,425.16
Retained earnings (b)	18.10
Total	-27,407.06



(a) Capital Reserve

	As at 31 March 2022
As at the incorporation date i.e. 17 August 2021	
Reorganisation of Ordnance Factory Board (Refer note 39)	-27,425.16
Closing balance	-27,425.16

(b) Retained earnings:

	As at 31 March 2022
As at the incorporation date i.e. 17 August 2021	-
Profit for the period	18.10
Closing balance	18.10

Capital reserve represents the difference between the net assets transferred to the Company on business reorganisation of Ordnance Factory Board and the consideration issued. Refer note 39 for details.

17 Other non-current financial liabilities

	As at March 31, 2022
Security deposit payable	3.60
Total	3.60

18 Non-current provisions

	As at March 31, 2022
Provision for warranty	2,985.31
Total	2,985.31

Movements in provisions

	Product warranties
As at 17 August 2021	-
Acquired through business reorganisation (Refer note 39)	3,000.00
Amounts utilised during the year	(14.69)
As at 31 March 2022	2,985.31



19 Deferred tax liabilities

The balances comprises temporary differences attributable to :

	As at March 31, 2022
Deferred tax liabilities	
Property, plant and equipment and intangible assets	90.84
Deferred tax assets	
Inventories	0.38
Tax losses	83.16
MAT Credit Entitlement	4.67
Total	2.63

Tax losses include unabsorbed depreciation which is allowed to be carried forward indefinitely.

20 Trade payables

	As at March 31, 2022
Trade payables	
(a) Micro and small enterprises	8.07
(b) Other than micro and small enterprises	595.46
Total	603.53

Aging of trade payables

	Unbilled	Not due	Less than 1 Year	1-2 Years	2-3 Years	More than 3 years	Total
Trade payables							
Undisputed-MSME			5.26	0.31	0.06	0.09	5.73
Undisputed-Others			458.38	4.96	0.10	2.17	465.61
Disputed dues- MSME			-	-	0.44	1.91	2.34
Disputed dues- Others			-	4.73	-	128.10	129.85
Total			463.64	10.02	0.59	129.27	603.53

The details of dues to micro enterprises and small enterprises (MSME) as defined under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 ("MSMED Act") and disclosures pursuant to the MSMED Act are as follows:

	31 March 2022
Principal amount due to suppliers registered under the MSMED Act and remaining unpaid as at year end	8.07
Interest due to suppliers registered under the MSMED Act and remaining unpaid as at year end	-
Principal amounts paid to suppliers registered under the MSMED Act, beyond the appointed day during the year	-



Interest paid, under Section 16 of MSMED Act, to suppliers registered under the MSMED Act, beyond the appointed day during the year	-
Interest paid, other than under Section 16 of MSMED Act, to suppliers registered under the MSMED Act, beyond the appointed day during the year	-
Amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the MSMED Act	-
Interest accrued and remaining unpaid at the end of the accounting year	-
Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years	-

21 Other financial liabilities – current

	As at March 31, 2022
Payable to employees	186.15
Total	186.15

22 Current tax liabilities

	As at March 31, 2022
Current tax payable for the year	2.60
Total	2.60

23 Other current liabilities

	As at March 31, 2022
Advances from customers	1,891.26
Capital creditors	11.25
Statutory tax payables	221.39
Total	2,123.90

24 Revenue from operations

	For the period from 17 August 2021 to 31 March 2022
Revenue from contracts with customers	
Sale of products - at a point in time	2,571.55
Other operating revenue	
Sale of scrap	-
Total	2,571.55



Disaggregation of revenue recognised against contracts with customers (17 August 21 to 31 March 2022)

Particulars	Domestic		Exports	Total
	Government of India			
	Defence	Non-Defence		
Sale of Products	1,897.54	651.46	22.55	2,571.55
Total	1,897.54	651.46	22.55	2,571.55

Notes:

- (a) The performance obligation is satisfied “at a point in time” which is primarily determined on customer obtaining control of the asset. One of the prime indicator considered for this is transfer of significant risk and rewards to the customer based on Inco terms.
- (b) The company’s turnover mainly includes supply of defence arms and ammunition.
- (c) There are no reconciling items between contract revenue and revenue recognised.

25 Other income

	For the period from 17 August 2021 to 31 March 2022
Rental Income	4.96
Utility charges	5.45
Other income	10.14
Interest income on fixed deposits, being financial assets carried at amortised cost	22.64
Foreign exchange gain (net)	3.64
Total	46.83

26 Cost of materials consumed

	For the period from 17 August 2021 to 31 March 2022
As at the incorporation date i.e. 17 August 2021	-
Add: Transferred during the period on business reorganisation (refer note 39)	1,970.72
Add : Purchases	1,038.81
Less: Raw materials at the end of the period	1,957.63
Total cost of materials consumed	1,051.90



27 Changes in inventories of work-in-progress, stock-in-trade and finished goods

	For the period from 17 August 2021 to 31 March 2022
Opening balance	
Work-in-progress	-
Finished goods	-
Transferred during the period on business reorganisation (refer note 39)	
Work-in-progress	1,165.49
Finished goods	147.71
Total	1,313.21
Closing balance	
Work-in-progress	937.61
Finished goods	92.22
Total closing balance	1,029.83
Total changes in inventories of work-in-progress, stock-in-trade and finished goods	-283.38

28 Employee benefit expenses

	For the period from 17 August 2021 to 31 March 2022
Salaries, wages and bonus	919.39
Total	919.39

29 Depreciation and amortisation expense

	For the period from 17 August 2021 to 31 March 2022
Depreciation on property, plant and equipment	76.09
Amortisation of intangible assets	8.92
Total	85.02

29 Other expenses

	For the period from 17 August 2021 to 31 March 2022
Power & fuel	51.65
Security expenses	88.24
Transportation charges	6.90
Technical know-how	0.13
Telephone expenses	1.07



Printing & Stationary	0.04
Rent, Rates & Taxes	0.79
Insurance	0.32
Contract Labour	31.67
Departmental Canteen expenses	1.64
Medical and hygein expenses	1.41
Water Charges	22.77
Repairs & Maintenance	22.37
Travelling expenses	8.84
Exibition expenses	1.10
IT expenses	2.11
Legal and professional fees	0.92
Loss on sale of scrap	8.37
Payment to auditor [refer 30 (a)]	0.21
Miscellaneous expenses	2.73
Total	253.29

30 (a) Details of payments to auditors

	For the period from 17 August 2021 to 31 March 2022
<i>As auditor:</i>	
Statutory audit fee	0.21
Tax audit fee	
Total	0.21

31 Income tax expense

The major components of income tax expense for the period 17 August 2021 to 31 March 2022 are:

Profit and Loss section	For the period from 17 August 2021 to 31 March 2022
Income tax expense	
Current income tax	4.67
Deferred income tax	2.63
Total	7.30

Reconciliation of tax expense and accounting profit multiplied by tax rate for 31 March 2022

Particulars	For the period from 17 August 2021 to 31 March 2022
Accounting profit before tax	25.40
Tax at substantively enacted income-tax rate of 29.12%	7.40
Individually immaterial reconciling items	-0.10
Income tax expense	7.30



31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए आयकर (वर्तमान कर) प्रावधान की गणना के उद्देश्य से, कंपनी ने धारा 40, धारा 43बी आदि सहित आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्दिष्ट विभिन्न अस्वीकृतियों पर विचार नहीं किया है क्योंकि आवश्यक विवरण उपलब्ध नहीं थे। हालांकि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मूल्यहास के लिए उपलब्ध कटौती की राशि पर विचार करने के कारण, प्रबंधन का मानना है कि पूर्वोक्त अस्वीकृति का प्रभाव वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा। कंपनी द्वारा किया गया वर्तमान कर प्रावधान न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेबी के प्रावधानों के अनुसार है। परिणामस्वरूप प्रबंधन ने कंपनी के लिए उपलब्ध मैट क्रेडिट एंटाइटलमेंट के कारण आस्थगित कर संपत्ति की मान्यता दी है। कंपनी ने आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनवशोचित मूल्यहास के लिए आस्थगित कर संपत्तियों को भी मान्यता दी है।

उचित मूल्य मापन

परिशोधित लागत पर वित्तीय संपत्ति और देनदारियां

32 Fair value measurements

Financial assets and liabilities at amortised cost	As at March 31, 2022
<u>Financial assets</u>	
Trade receivables	766.55
Cash and cash equivalents	2,976.53
Receivable from government	437.71
Other financial assets	9.31
Total financial assets	4,190.09
<u>Financial liabilities</u>	
Trade payables	603.53
Security deposits	3.60
Payable to employees	186.15
Total financial liabilities	793.28

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

परिशोधित लागत पर किए गए सभी वित्तीय साधनों के उचित मूल्य उनकी अग्रणी राशि से भिन्न नहीं हैं क्योंकि वे या तो प्रकृति में अल्पकालिक हैं या लागू व्याज दर व्याज की वर्तमान बाजार व्याज दर से भौतिक रूप से भिन्न नहीं हैं।

लाभ और हानि के माध्यम से एवं उचित मूल्य और अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य की श्रेणी के अंतर्गत कोई वित्तीय साधन को मापा नहीं गया है।

वित्तीय जोखिम प्रबंधन अपने व्यवसाय के दौरान, कंपनी मुख्य रूप से बाजार जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और क्रेडिट जोखिम के संपर्क में है, जो इसके वित्तीय साधनों के उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है। कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो न केवल विदेशी मुद्रा जोखिमों को भी कवर करती है बल्कि वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों जैसे क्रेडिट जोखिमों से जुड़े अन्य जोखिमों को भी कवर करती है। जोखिम प्रबंधन नीति को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

क) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम संविदात्मक शर्तों या दायित्वों के अनुसार प्रतिपक्ष की चुकौती या सेवा ऋण से उत्पन्न होने वाली वित्तीय हानि का जोखिम है। क्रेडिट जोखिम में चूक का प्रत्यक्ष जोखिम और साख के बिगड़ने का जोखिम दोनों शामिल हैं।

कंपनी का क्रेडिट जोखिम मुख्य रूप से व्यापार प्राप्तियों, नकदी और बैंक शेष और अन्य प्राप्तियों से उत्पन्न होता है।



सरकार/सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) से व्यापार प्राप्तियों की महत्वपूर्ण राशि बकाया है। जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के पास ऐसी प्राप्तियों से जुड़े कोई क्रेडिट जोखिम नहीं है। गैर-सरकारी व्यापार प्राप्य के मामले में, बिक्री आम तौर पर ग्राहक द्वारा स्थापित साख पत्र के आधार पर की जाती है जिससे ऋण जोखिम कम होता है।

कंपनी आमतौर पर बैंक गारंटी के एवज में 60% अग्रिम भुगतान प्राप्त करती है जो व्यापार प्राप्तियों से जुड़े क्रेडिट जोखिम की सुरक्षा करता है।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए, केवल उच्च रेटिंग वाले बैंक/संस्थान ही स्वीकार किए जाते हैं।

क्रेडिट जोखिम के लिए एक्सपोजर

वित्तीय आस्तियों की अग्रणीत राशि अधिकतम क्रेडिट जोखिम दर्शाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में क्रेडिट जोखिम के लिए अधिकतम जोखिम, बैंक के पास शेष राशि, बैंकों के पास अल्पावधि जमा, व्यापार प्राप्तियों और अन्य वित्तीय संपत्तियों की अग्रणीत राशि को दर्शाया जाता है। विवरण के लिए प्रासंगिक नोट्स देखें।

ख) लिक्विडिटी जोखिम

प्रूडेंट लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और जमा को बचाए रखना एवं दायित्वों को पूरा करने और दायित्वों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता है। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी ग्राहकों से अग्रिम के रूप में ऑर्डर मूल्य का 60% प्राप्त करने के बाद माल के उत्पादन के आदेश को स्वीकार कर कार्यशील पूंजी का प्रबंधन कर धन की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की लिक्विडिटी स्थिति और नकदी और नकद समकक्षों के रोलिंग पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। कंपनी की लिक्विडिटी प्रबंधन नीति में नकदी प्रवाह का अनुमान लगाना और इसे पूरा करने के लिए आवश्यक नकद संपत्ति के स्तर पर विचार करना शामिल है। कंपनी अपने सरप्लस फंड को बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करती है।

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

1. नीचे दी गई तालिका कंपनी की वित्तीय देनदारियों का उनकी संविदात्मक परिपक्वताओं के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में विक्षेपण करती है:

तालिका में दर्शाई गई राशियाँ संविदात्मक गैर-वृद्धागत नकदी प्रवाह हैं। 12 महीनों के भीतर देय शेष राशि उनके वृद्धागत शेष के बराबर है क्योंकि झूट का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

31 March 2022	Total	Less than 3 months	3 to 12 months	1 to 5 years	> 5 years
Trade payables	603.53	171.18	432.35	-	-
Security deposits	3.60	-	-	3.60	-
Payable to employees	186.15	73.49	112.65	-	-
Total	793.28	244.68	545.00	3.60	-



ग) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम भविष्य की कमाई में किसी भी नुकसान का जोखिम है, जो वसूली योग्य उचित मूल्यों में या भविष्य के तकदी प्रवाह में वित्तीय साधन की कीमत में बदलाव के परिणामस्वरूप हो सकता है। विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, लिक्विडिटी और अन्य बाजार परिवर्तनों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वित्तीय साधन का मूल्य बदल सकता है। भविष्य के विशिष्ट बाजार गति का सामान्य रूप से उचित सटीकता के साथ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेन-देन करती है और विदेशी मुद्रा लेनदेन मुख्य रूप से यूएसडी, एसईके के संबंध में उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में होती है और विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त संपत्तियों और देनदारियों से एक ऐसी मुद्रा में उत्पन्न होता है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (INR) नहीं है।

कंपनी के पास विदेशी मुद्राओं में आयात और निर्यात दोनों लेनदेन हैं। निर्यात की तुलना में आयात अधिक है और इसलिए कंपनी के पास निर्यात की तुलना में अधिक खरीद की सीमा तक विदेशी मुद्रा जोखिम है।

कंपनी जित मुद्राओं के संपर्क में है, वे महत्वपूर्ण अस्थिरता के अधीन नहीं हैं। हालांकि, प्रबंधन इन मुद्राओं में उतार-चढ़ाव की बारीकी से निगरानी करता है और कंपनी को अस्थिरता के कारण होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है।

	31 March 2022
Financial assets	
Trade Receivables	
SEK	
USD	125.73
Net exposure to foreign currency risk (assets)	125.73
Capital creditors	
SEK	-0.40
USD	-4.65
Net exposure to foreign currency risk (liabilities)	-5.05

वर्ष के अंत में देय / प्राप्त शेष राशि के संबंध में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के लाभ वा हानि की संवेदनशीलता इस प्रकार है:

	Impact on profit 31 March 2022
Increase by 5%*	
SEK	(0.02)
USD	6.05
Decrease by 5%*	
SEK	0.02
USD	(6.05)

* अन्य सभी चरों को स्थिर रखना



34 पूंजी प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी के उद्देश्य हैं:

- चालू कंपनी के रूप में बने रहने के लिए उनकी क्षमता की सुरक्षा करें, ताकि वे शेयरधारकों के लिए रिटर्न और अन्य हितधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रख सकें, और
 - पूंजी की लागत को कम करने के लिए इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखना।
- पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को पूंजी वापस कर सकती है, नए शेयर जारी कर सकती है। कंपनी वार्षिक परिचालन योजनाओं और दीर्घकालिक परियोजनाओं और अन्य रणनीतिक निवेश योजनाओं के आधार पर आवश्यक पूंजी की मात्रा निर्धारित करती है। फंडिंग आवश्यकताओं को इक्विटी के माध्यम से पूरा किया जाता है।

35. खंड रिपोर्टिंग

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 5 जून, 2015 के अधिसूचना सं. 463 (ई) संशोधित रूप के अनुसार रक्षा उत्पादन में लगी कंपनियों को खंड रिपोर्टिंग की आवश्यकता से छूट दी गई है।

36. संबंधित पार्टी लेनदेन

कंपनी भारत सरकार द्वारा नियंत्रित है।

संबंधित पक्षों का नाम और पदनाम

(क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री रवि कान्त	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री देवाजीप त्रैनजी	निदेशक/मानव संसाधन
श्री. एस. के. राउत	निदेशक/ऑपरेशन
श्री. वी.सी.वर्मा	निदेशक/वित्त

1

Key management persone compensation	As at March 31, 2022 0.83
Short term employee benefits	
Total	0.83

ख) जैसा कि म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के नियंत्रण में एक सरकारी संस्था है, कंपनी ने सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ संबंधित पार्टी लेनदेन के संबंध में इंड एस 24 के तहत आवश्यक विस्तृत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त की है। हालांकि इंडस्ट्रीज एस 24 के तहत निम्नलिखित व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन हैं - सरकार तथा सरकार से संबंधित संस्थाओं से संबंधित कंपनी के टर्नओवर और व्यापार प्राप्ति का लगभग 95% और ग्राहक अग्रिमों का 99%



37 Contingent Liabilities

	31 March 2022
Legal claim involves court cases for pay and allowances, penalty in disciplinary cases, arbitration in purchases and pay fixation etc.	6.47
Legal claim involves court cases for pay and allowances, arbitration in purchases, pay fixation and GST department etc.	11.93
Total	18.40

38 Earnings per share

	31 March 2022
(a) Basic earnings per share Profit attributable to the equity holders of the company used in calculating basic earnings per share	18.10
Weighted average number of equity shares used as the denominator in calculating basic earnings per share	26,27,52,71,521
Basic earnings per share	0.01
(b) Diluted earnings per share Profit attributable to the equity holders of the company used in calculating diluted earnings per share	18.10
Weighted average number of equity shares used as the denominator in calculating diluted earnings per share	26,27,52,71,521
Diluted earnings per share	0.01

39 व्यापार पुनर्गठन

भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत भारत सरकार द्वारा आयुध निर्माणी बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग के एक संलग्न कार्यालय को सात अलग-अलग पूर्ण स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं में परिवर्तित करने की घोषणा की। तदनुसार, 12 उत्पादन इकाइयां और गोला-बारूद और विस्फोटकों के उत्पादन से संबंधित पूर्व आ.नि.बोर्ड की 4 गैर-उत्पादन इकाइयां (इस नोट के उद्देश्य के लिए "व्यवसाय" के रूप में संदर्भित) को 1 अक्टूबर, 2021 को आदेश संख्या 1(5)/2021/OF/DP(PIg-V)/01 रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया।

म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड पूर्व आ.नि.बोर्ड से गोला-बारूद और विस्फोटकों के कारोबार को संभालने के लिए तदनुगठित इकाई थी। इसलिए कंपनी इंड एस 103 के अनुसार पुनर्गठन के समय 'व्यवसाय' की परिभाषा को पूरा नहीं करती थी। तदनुसार, इस लेन-देन को सामान्य नियंत्रण के तहत एक व्यापार संयोजन के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यापार पुनर्गठन के रूप में माना जाता है। व्यापार पुनर्गठन के लिए लेखांकन पर इंड-एस के तहत कोई मार्गदर्शन नहीं है। हालांकि, पुनर्गठन से पहले और बाद में व्यवसाय सामान्य नियंत्रण (अर्थात्, भारत सरकार द्वारा) के तहत बना हुआ है, प्रबंधन ने यह निर्धारित किया है कि सामान्य नियंत्रण, इंड एस 8 द्वारा प्रदान की गई नीति के अनुसार इंड एस 103 के परिशिष्ट सी के प्रावधानों को लागू करना उचित है जो व्यापार संयोजन से संबंधित है। तदनुसार, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 103 के परिशिष्ट ग के तहत प्रावधानों का पालन कर कंपनी द्वारा अनुसरण की जाने वाली लेखांकन नीतियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के प्रभाव के लिए समायोजित अपने मौजूदा वहन मूल्यों पर हस्तांतरित व्यापार की संपत्ति और देनदारियों के लिए लेखांकन किया है।



"पूर्व आ.नि.बोर्ड के सरकारी विभागों पर लागू सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार व्यापार के लिए जिम्मेदार था। कंपनी ने स्वेच्छा से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) को अपनाया है। प्रबंधन ने निर्धारित किया है कि सामान्य वित्तीय नियमावली पिछला जीएएपी है जिसका कंपनी में स्थानांतरण से पहले व्यवसाय द्वारा पालन किया जाता है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वित्तीय विवरण कंपनी का पहला वित्तीय विवरण है, क्योंकि कंपनी नया निगमित किया गया था, इसकी शुरुआती तारीख अर्थात् निगमन की तारीख में इसकी कोई संपत्ति या देनदारियों नहीं थी। हालांकि, आ.नि.बोर्ड की कुछ इकाइयों के व्यवसायों को एमआईएल में स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए प्रबंधन ने निर्धारित किया कि स्थानांतरित किए गए व्यवसायों के संबंध में कंपनी नवनिर्मित है।

तदनुसार, प्रबंधन ने निष्कर्ष निकाला कि इंड एस 101 के प्रावधानों के तहत उपलब्ध छूट और अपवादों को अग्रणीत मूल्य संपत्तियों और देनदारियों पर लागू किया जाना चाहिए और फिर एमआईएल को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।"

इसके परिणामस्वरूप, इक्विटी के अनुरूप डेबिट प्रभाव के साथ INR 4,233.87 की राशि के रूप में Ind-AS समायोजन के साथ-साथ 1 अक्टूबर 2021 को कंपनी को हस्तांतरित की गई संपत्ति और देनदारियों के लिए कुछ सुधार किए गए थे।

महत्वपूर्ण समायोजन में निम्नलिखित शामिल थे:

- (i) कंपनी ने हस्तांतरण की तारीख पर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त संपत्ति के वृहन मूल्य के लिए मानित लागत (डीमंड कॉस्ट) लागू की।
- (ii) कंपनी ने व्यवसाय के हस्तांतरण की तिथि के अनुसार अनुबंधों के लिए INR 3,000 की वारंटी प्रदान की, क्योंकि इसे हस्तांतरित की गई शुद्ध संपत्ति के मूल्य में शामिल नहीं किया गया था।
- (iii) कंपनी ने जहां भी आवश्यक हो, शुद्ध वसूली योग्य मूल्य या लागत के मूल्यांकन को कम करने के लिए इन्वेंटरी के मूल्य को समायोजित किया।
- (iv) कंपनी ने सरकार से प्राप्त कुछ राशियों को दर्ज किया क्योंकि संबंधित देनदारियों (मुख्य रूप से सुरक्षा जमा और ग्राहकों से अग्रिम शामिल) को प्राप्त धन के बिना कंपनी को स्थानांतरित कर दिया गया था।
- (v) पिछले जीएएपी के तहत एक संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त विविध व्यय और प्रारंभिक व्यय को प्रभारित किया गया था क्योंकि ये इंड-एस के तहत मान्यता प्राप्त नहीं हैं।



हस्तांतरित शुद्ध संपत्ति का विवरण, व्यापार पुनर्गठन पर सहमति और पुनर्गठन पर मान्यता प्राप्त आरक्षित पूंजी निम्नानुसार है :

	INR Crores
Assets:	
Property, plant and equipment	2,982.28
Capital work-in-progress	1,367.22
Intangible assets	87.71
Inventories	3,319.91
Investments	0.80
Receivable from governments	701.91
Other non-current assets	1.12
Trade receivables	249.76
Cash and cash equivalents	15.39
Other financial assets	30.42
Other current assets	377.91
Total assets	9,134.42
Liabilities:	
Other financial liabilities	132.75
Provisions	3,000.00
Trade payables	283.35
Other current liabilities	418.98
Total liabilities	3,835.09
Net assets (A)	5,299.34
Consideration payable (B)	32,724.50
[32,724,498,380 equity shares (nos.) of Rs. 10 each]	
Capital Reserve [(A) - (B)]	(27,425.16)

एमआईएल द्वारा लेखा किए गए व्यवसाय की शुद्ध संपत्ति के उचित मूल्य के आधार पर देय विचार को एमआईएल द्वारा भारत सरकार को जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों के रूप में सहमति दी गई है। चूंकि उचित मूल्य व्यवहार रिपोर्टिंग तिथि यानी 31 मार्च, 2022 तक पूरा नहीं की गयी थी, शेयर उस तिथि के रूप में जारी नहीं किए गए थे और इसलिए देय प्रतिफल को शेष राशि में इक्विटी के तहत "व्यवसाय पुनर्गठन पर लंबित इक्विटी शेयर" के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कुल प्रतिफल में से, कंपनी ने 32,505,350,000 इक्विटी शेयर (नंबर) 29 अगस्त, 2022 को तुलन पत्र (बैलेंस-शीट) की तारीख के बाद जारी किए।

40. कर्मचारी लाभ दायित्वों के लिए प्रावधान

पूर्व आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के उत्पादन और गैर-उत्पादन सुविधाओं के निगमीकरण पर, पूर्व आयुध निर्माणी बोर्ड के कर्मचारियों को रक्षा मंत्रालय के कार्यालय जापन (ओएम) सं. 1(5)/2021/OF/DP(PIg-V)/02 दिनांक 24 सितंबर, 2021 द्वारा दो साल की प्रारंभिक अवधि के लिए डीम्ब प्रतिनियुक्ति पर कंपनी में स्थानांतरित कर दिया गया है। उक्त कार्यालय जापन के अनुसार, ऐसे सभी कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी बने रहेंगे और इसलिए उनके संबंधित निश्चित वेतन भत्ते, अवकाश, चिकित्सा सुविधाएं और पेंशन देयता केंद्र सरकार का दायित्व बना रहेगा। चूंकि कंपनी को इन दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, आईएनडी-एस 19 के अनुसार कुछ कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान अर्थात् ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों और भत्तों के लिए वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं हैं



41 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 और धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को क्रमशः स्वतंत्र निदेशकों और कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति और लेखापरीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक है। हालांकि, एक सरकारी कंपनी और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र इकाई होने के नाते, कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक सहित निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करना आवश्यक है। ऐसी प्रक्रियाओं के लम्बित होने के कारण, कंपनी महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं कर सकी और इस प्रकार इन वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने की तिथि तक लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं कर सकी। प्रबंधन ने इस संबंध में सरकार को आवश्यक आवेदन किया है। प्रबंधन का मानना है कि पूर्वोक्त गैर-अनुपालन के लिए वित्तीय विवरणों में भौतिक समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।



Accurate. Lethal. Reliable

Corporate Office : 2nd Floor, Nyati Unitree, Nagar Road,
Yerwada, Pune-411005

